Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा, के तृतीय सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

मंगलवार,

दिनांक 20 फरवरी, 1973.

विधान सभा की बैठक म. प. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वास्थ्य, राजस्व, सहकारिता, खनिज सार्वजनिक निर्माण, विद्युत, पंचायत एवं आयुर्वेद विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री निरंजननाथ आचार्य।

बीकानेर जिप्सम द्वारा राक फांस्फेट का कार्य

20 श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिप्सम द्वारा झामर-कोटड़ा में कार्य आरम्भ करने के पश्चात् इस कम्पनी की झामरकोटड़ा सम्बन्धी गतिविधियों पर राज्य सरकार ने कम्पनी पर कितना और किस प्रकार से नियन्त्रण कर रखा है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियम, उप-नियम आदेश या अन्य प्रकार की व्यवस्था की हुई है ? यदि हां, तो किस प्रकार से ? कृपया ऐसे आदेशों आदि की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) बीकानेर जिप्सम द्वारा राक फास्फेट के उत्खनन ग्राइंडिंग तथा ट्रान्सपोर्ट के सम्बन्ध में अब तक दिये गये ठेकों के विषय में राज्य सरकार एवं खनिज विभाग का किस प्रकार से नियंत्रण रहा है ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में प्रशासनिक प्रकिया एवं प्रशासन के विभिन्न स्तर के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध की लिखित व्यवस्था का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम द्वारा राक फास्फेट के सम्बन्ध में दिये जाने वाले ठेकों का अन्तिम निर्णय केवल इस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स अथवा मैनेजिंग डाईरेक्टर द्वारा ही किये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो ऐसे ठेकों की पत्रावली अन्तिम निर्णय हेतु मंत्री स्तर तक किस व्यवस्था के अन्तर्गत भेजी जाती रही है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : बीकानेर जिप्सम कम्पनी द्वारा झामर

(2)

(श्री जुझारसिंह)
कोटड़ा में कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् कम्पनी द्वारा झामर कोटड़ा की ब्लाक में खनन करने तथा खनन संबन्धी नियमों की पालना करने के लिये राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नियन्त्रण रखा जा रहा है और इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने कम्पनी के कार्य पर नियन्त्रण रखने के लिये एक विशेष अधिकारी अधिकृत शासन प्रतिनिधि (आथोराइज्ड गवर्नमेन्ट रिप्रेजेन्टटिव) झामर कोटड़ा की भी नियुक्ति की हुई है।

(2) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा माइन्स एक्ट एवं अन्य तत्सम्बन्धी वैधानिक प्रावधानों की पालना हेतु ठेके की संविदा में प्रावधान किया है। संविदा की प्रति संलग्न है।

(3) बीकानेर जिप्सम द्वारा राक फास्फेट के उत्खनन, क्रशिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन के सम्बन्ध में उनके द्वारा दिये गये ठेकों का विवरण खनिज विभाग में उपलब्ध होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संविदा के अनुसार इस प्रकार के कार्यों के लिये उप-ठेके (सब कान्ट्रेक्ट) देने या न देने की कार्य विधि पर नियन्त्रण रखना खनिज विभाग का कार्य नहीं है।

(4) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) खनिज विभाग के लिये यह प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई)

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि सन् 1969 में विभाग द्वारा कोई कान्ट्रेक्ट ग्राइंडिंग तथा परिवहन के लिये बी. जी. एल. प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया?

श्री जुझारसिंह : जी नहीं। बी. जी. एल. द्वारा जिंक स्मेल्टर का दो सौ टन राक फास्फेट उठाने के लिये कान्ट्रेक्टर को दिया गया····

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब यह है कि यह जो एग्रीमेन्ट हुआ है उसके क्लाज 12 में है :

"The Working Contractor shall not assign this work to any other party without the consent of the Government, but the working contractor shall have the right to appoint sub-contractors at his discretion for carrying out a part of the work entrusted to him."

मंत्री महोदय को याद होगा कि कल भी मैंने एक सवाल किया था, इस बारे में किया था अब आज मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार ग्राइंडिंग, ट्रान्सपोर्टेशन और क्रशिंग के लिये कोई सब-कान्ट्रेक्टर मुकर्रर कर सकती है, आपका जो एग्रीमेन्ट किया हुआ है उसके विरोध में बाई इनवाइटिंग टेन्डर्स····?

श्री जुझारसिंह : एग्रीमेन्ट का जो क्लाज 12 है उसमें लिखा है :

Page No 3

(3)

(श्री जुझारसिंह)

"Till the crushing plant, power and road facilities are available, the contractor may authorise a person to work at the pit's mouth in which case a sum of Rs. 15.00 for every tonne of iron ore delivered at the pit's mouth shall be payable to the working contractor".

यह जो माल निकलता है वह पिट्स माउथ से बाहर भेजने के लिये जिंक स्मैल्टर द्वारा ठेका दिया जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं पूछ रहा हूं कि क्या ग्राइंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाई इनवाईटिंग टेन्डर्स राज्य सरकार द्वारा कोई ठेका दिया गया ?

श्री जुझारसिंह : आप दो बातों को मिला कर रहे हैं, हमने कोई ठेका नहीं दिया है बी. जी. एल. ने उसे दिया। हमारे यहां से बाई इनवाईटिंग टेण्डर्स कोई ठेका नहीं दिया गया। जिन्क स्मैल्टर के पास रॉक फास्फेट था उसमें दो सौ टन रॉक फास्फेट सप्लाई···

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं तो आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या ग्राइंडिंग, क्रशिंग वगैरह के बारे में 31–12–70 को जोइन्ट डाईरेक्टर के सामने कोई टेन्डर खोले गये।

श्री जुझारसिंह : जी हां, खोले गये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्या इस तरह पहले राज्य सरकार द्वारा 1969 में ग्राइंडिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिये सब-कान्ट्रेक्टर नियुक्त किया गया था ? क्या गवर्नमेन्ट में इस तरह की शक्ति है।

श्री जुझारसिंह : वह तो बी. जी. एल. और जिन्क स्मेल्टर के बीच····

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप अपने एग्रीमेन्ट का क्लाज (7) (II) पढ़िये इसमें···

श्री जुझारसिंह : कौनसा क्लाज आप फर्मा रहे हैं, क्लाज 7 (II) ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : 7 (II) है इसमें 15 रुपया पर टन का लिखा है। इसमें ऐसा पहले प्रावधान था···

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मन्त्री महोदय से सवाल पूछना चाहता हूं कि राक फास्फेट के ग्राईडिंग, क्रशिंग, और ट्रान्सपोर्टेशन पर टन क्या कीमत है ?

श्री जुझारसिंह : किस पीरियड का पूछ रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जिस पीरियड की चर्चा चल रही है।

श्री जुझारसिंह : अभी 16 रुपये पर टन है पिसाई की और 10 रुपये 88 पैसे पर टन ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज की है। इस प्रकार कुल 26 रुपये 88 पैसे कोस्ट है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या यह सही है कि इससे भी लोएस्ट टेण्डर आये थे ?

श्री जुझारसिंह : जी नहीं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने जिनको ठेका देखा है उन्होंने सबलेट कर रखा है जो कि दस रुपया पर टन देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज राज्य सरकार का लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल ले लिया है । श्री लूनाराम ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय आज राज्य सरकार जिसे 22 रुपये में कान्ट्रेक्ट देती है वह दूसरे आगे सब कान्ट्रेक्टर को 18 रुपये में दे देता है और 18 रु. वाला 15 रुपये में और आगे इसी तरह कान्ट्रेक्टर पर देता है और होते होते वह 9 रुपये में सब कान्ट्रेक्टर्स के पास आता है । इसी तरह गवर्नमेंट को .

सरदार शहर तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

21. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) **:** प्रश्न संख्या 21 । क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील के गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ? यदि हां तो फिर कहां पर है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सरदारशहर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो फिर आज तक वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया ?

(3) सरदारशहर तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक खोल दिया जावेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं । ग्राम सरदारशहर में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र दिनांक 12·4·58 से कार्यरत है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(2) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय दो सौ से ऊपर ग्राम हैं वहां पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं जहां कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना चाहिये । और मन्त्री महोदय कहते हैं कि पंचायत समिति द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ वह गलत है । पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव भेजा हुआ है · ·

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि उस पंचायत समिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है हो नहीं । पी. एच. डी. सरदारशहर में है । वह आज से नहीं है । वह कई वर्ष पहले से काम कर रहा है ।

अब प्रश्न रह जाता है उसको चेन्ज करने का । आपने सुझाव दिया है । मैं चुरू गया था तब मेरे समक्ष यह चीजें लाई गई थीं । इस पर विचार करके गवर्नमेन्ट जल्दी ही फैसला कर देगी ।

Page No 5

(4)

श्री दलपतसिंह : क्या मंत्री महोदय से मैं यह जानकारी कर सकता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, कितने डाक्टर, कम्पाउन्डर नर्सेज वगैरा होती हैं

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दलपत सिंह : मैं दूसरा प्रश्न कर लेता हूं। क्या प्राइवेट प्रेक्टिस करने की इजाजत है?

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न होते हुए भी इसका उत्तर देना चाहूंगा कि इजाजत है। किसी को रोका नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा।

फागी तहसील के पेटे बन्ध की भूमि के बारे में काश्तकारों पर मुकदमें

22. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करें :

(1) फागी तहसील में पेटे बन्ध की भूमि के बारे में कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चल रहे हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ये लोग अपने पूर्वजों के समय से ही इस भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं? यदि हां, तो इनके विरुद्ध फिर बेदखली की कार्यवाही क्यों की जा रही है? और क्या इनसे पेनल्टी भी वसूल की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पटवारी हर साल अतिक्रमण की रिपोर्ट कर देता है और किसानों को परेशान किया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार किसानों के हित में इस अनुचित कार्यवाही को रोकने के बारे कोई विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :

(1) फागी तहसील में पेटे बन्ध की भूमि के बारे में 719 व्यक्तियों पर मुकदमें चल रहे हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। बेदखली और पेनल्टी वसूल करने की कार्यवाही केवल उन व्यक्तियों के विरुद्ध की जा रही है जिनको खातेदारी या गैर खातेदारी के अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथा कब्जे अनधिकृत हैं।

(3) जब कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करता है तो पटवारी द्वारा उसके विरुद्ध रिपोर्ट की जाती है जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जा जाती है इसमें किसानों को परेशान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटवारी परेशान करता है। सन् 58 में गवर्नमेंट का निर्णय हो चुका है कि उनको बेदखल नहीं करना चाहिये लेकिन इसके उपरान्त भी पटवारी किसानों को परेशान करता है और बेदखली के नोटिस दिये जाते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि सारा का

(श्री जय किशनलाल तोसावडा)

सारा रिकार्ड तहसील में मौजूद है और मौजूद होने के पश्चात् भी रिकार्ड बताने के लिए नोटिस दिये जाते हैं। इस प्रकार से बार बार किसानों को परेशान किया जाता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हर साल उन पेटे काश्त की जमीनों को नियमानुसार अलाट किया जाता है। बहुत से भाई नाजायज कब्जा कर लेते हैं इसीलिए जो करते हैं उनको नोटिस दिये जाते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : हर साल देते हैं या पांच साल में एक दफा देते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हर साल।

श्री मूलचन्द सामरिया : औपचारिक रूप से अलॉटमेंट होता है। ये नोटिस क्यों दिये जाते हैं। जिस व्यक्ति को अलॉट किया है दूसरे साल भी उसी को अलॉट किये जाते हैं। यह हैरेसमेन्ट की तारीफ में आता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अलॉटमेन्ट होता है वह तो ठीक है। लेकिन जिन लोग को भूमि अलॉट नहीं होती है लेकिन वे लोग नाजायज कब्जा कर कर लेते हैं और काश्त करने लग जाते हैं इसलिये ऐसा किया जाता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : भूमिहीन काश्तकार हैं उनको समय पर अलॉट नहीं किया जाता और इस प्रकार की स्थिति पैदा की जाती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अलॉटमेंट वक्त पर ही करते हैं और यदि ऐसा नहीं होता है कहीं तो इसकी कोशिश करेंगे कि समय पर अलॉटमेन्ट हो।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कल माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि अवैध कब्जे थे। उनको आप लगातार रेगुलेराइज कर रहे हैं। फागी तहसील में जो इर्रेगुलर मामले उठ रहे हैं उनको रेगुलेराइज करा लिये जायें ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पेटे काश्त की जमीन है। इसका हर साल ही अलॉटमेन्ट का सवाल रहता है इसलिये रेगुलेराइज करने का सवाल नहीं रहता।

श्री चेतराम : सालाना अलॉटमेन्ट होते हैं। लेकिन नदियों से हर साल जमीन बह जाती है और कट जाती है उसके लिये क्या होता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नदियों की जमीन है तो फिर भी ऐसा कायदा है कि वह पांच साल के लिये अलॉट की जा सकती है। तालाब के पेटे की जमीन हो एक साल के लिए ही होती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि वक्त पर जमीन का अलॉटमेन्ट नहीं किया जाता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी।

श्री जयकिशनलाल तोसावडा : मैंने पहले प्रश्न पूछा था और बार बार फागी और चाकसू तहसीलों के प्रश्न आते हैं लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता है। फागी और चाकसू में कोई ऐसे बन्धे नहीं है केवल मात्र एक दो

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

बन्धों को छोड़कर। किसानों को परेशान करने के लिये ही यह बार बार किया जाता है। यदि विश्वास न हो तो मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे वहां जाकर स्वयं मुग्रायना करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया सवाल पूछिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इसमें प्रश्नकर्त्ता की भावना यह है कि काश्तकारों का हरेशमेन्ट होता है। हरेशमेन्ट होता है यह निर्विदित बात है। उसके साथ साथ मुझे यह भी आशंका है कि भ्रष्टाचार होता है। अलॉटमेन्ट करते समय जो बैठते हैं उसको अलॉट करते हैं। यह व्यवस्था असंतोषजनक है। क्या मन्त्री महोदय जानकारी दे सकेंगे कि आपके पास दरख्वास्तें आती हैं या किस बेसिस पर अलॉटमेन्ट होता है ? सबसे पहली दरख्वास्त आती है उस पर विचार किया जाता है या आरबिट्रेटी बेसिस पर अलॉटमेन्ट किया जाता है। सबूत तो होंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अलॉटमेन्ट कमेटी बनी हुई है। जिसमें एम. एल. ए. और पंचायत समिति के सदस्य बैठते हैं। फिर भी अनियमिततायें और भ्रष्टाचार फैलता है तो इसका जवाब कौन दे।

श्री लक्ष्मण सिंह : आपके उत्तर के साथ मुझे सहानुभूति है। बहुत से अलॉट-मेन्ट ऐसे होते हैं कि पांच मील दूर कोई एम.एल.ए. नहीं आता है और अलॉट-मेन्ट हो जाता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : नोटिस जारी होता है। मीटिंग में आप लोग नहीं जायं तो मजबूरी है। जायं तो अलॉटमेंट सही होगा ऐसा मेरा खयाल है।

श्री लक्ष्मण सिंह : इसका तो भगवान ही मालिक है फिर।

श्री जयकिशनलाल : माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। नेक्स्ट दूसरा सवाल।

श्री जयकिशनलाल : मैं भी मेम्बर हूं अलॉटमेन्ट कमेटी का। सारी जिम्मेदारी तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी पर होती है। वे जाकर किसानों को बड़े परेशान करते हैं। फागी और चाकसू तहसील की यह वास्तविकता है। आप इसकी जांच करा लीजिये। रिकार्ड देख लीजिये मंगाकर। वरना झगड़े चलते रहेंगे और इस प्रकार के प्रश्न उठते रहेंगे इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है किसानों का।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अलॉटमेन्ट कमेटी की राय के खिलाफ तहसीलदार या कोई भी भ्रष्टाचार और दूसरी नीयत से कुछ करते हैं तो वह मामले लायें जायं मैं सख्त एक्शन लूंगा।

श्री जयकिशनलाल : पहले आश्वासन दिया उस समय भी यही कहा। इस प्रकार यही कह कर टाल दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। यह प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, यह जनरल नेचर का प्रश्न है इसलिए यदि इसका जवाब आ जाय तो अच्छा है।

राक फास्फेट का सर्वे

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : (श्रीमती मदन कौर द्वारा पूछा गया)-क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में राक फास्फेट खनिज भण्डार कहां कहां प्राप्त हुआ है ?

(2) उक्त स्थानों में कितने राक फास्फेट के प्राप्त होने की सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार ने उक्त खनिज को प्रयोग में लाने के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(4) राज्य सरकार ने उक्त खनिज से कितनी आय प्राप्त की ?

राज्य मन्त्री खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) राजस्थान में उदयपुर जिले में झामर कोटड़ा, नीमजमाता, बड़गांव, सोसारमा, कानपुर, मट्टन व डाकन कोटरा क्षेत्र तथा जैसलमेर जिले में बिरमानिया तथा फतहगढ़ क्षेत्रों में राकफास्फेट खनिज प्राप्त हुआ है। उपरोक्त स्थानों में से झामरकोटड़ा में लगभग 300 लाख टन, नीमचमाता और बड़गांव में 10 लाख टन राक फास्फेट के भण्डार राज्य खनिज एवं भूविज्ञान द्वारा अनुमानित किये गये हैं।

(2) इसके अलावा भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कानपुर में 20 लाख टन, मट्टन में 30 लाख टन, डाकन कोटरा में 20 लाख टन, बिरमानिया में 40 लाख टन राक फास्फेट प्राप्त होने का सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट है। सर्वेक्षण रिपोर्ट सर्वेक्षण पूर्ण होने पर ही प्राप्त हो सकेगी।

(3) उक्त खनिज को प्रयोग में लाने के लिये निम्न कार्यवाहियां की गई हैं :

(1) इसकी बिक्री का प्रबन्ध किया गया है जिसमें मसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड भी सम्मिलित है।

(2) यह राक फास्फेट मैसर्स हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड खेतड़ी को भी खाद बनाने हेतु दिये जाने का आश्वासन दिया गया है।

(3) राक फास्फेट व पाइराइट के भण्डार राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने भारत सरकार से राजस्थान में खाद कारखाने की स्थापना पर जोर दिया जिसके लिये स्थान का चयन विशेषज्ञों की सलाह से भारत सरकार के विचाराधीन है। उस खाद कारखाने के लिए इसकी सप्लाई होगी।

(4) राजस्थान सरकार को उक्त खनिज से 31-12-72 तक शुद्ध आय लगभग 507 लाख रुपये की हुई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 24
श्री शंकरलाल जाट

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)
नेक्स्ट

एस.डी.एम. भीनमाल की अदालत में पुराने राजस्व मुकदमात

25. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि परगना अधिकारी भीनमाल की अदालत में पुराने राजस्व मुकद्दमात काफी फैसले होने बाकी पड़े हैं ? अगर हां, तो कितने कब कब से मुकद्दमात जेर तजवीज अदालत हैं वे मुकद्दमात कब तक फैसल करवा दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि एस.डी.एम. अदालत भीनमाल में फौजदारी मुकद्दमात भी काफी नये एवं पुराने फैसल होने बाकी हैं ? अगर हां, तो कितने मुकद्दमात कितने सालों से जेर तजवीज अदालत हैं ? वे मुकद्दमात कब तक फैसला करवा दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि परगना अधिकारी, भीनमाल की अदालत में ज्यादातर मुकद्दमात तहसील सांचोर के हैं ? अगर हां, तो क्या सरकार सांचोर मुकाम रखवा कर वे मुकद्दमात शीघ्र फैसल करवाने की कृपा करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार सांचोर एक नया सब डिविजनल हैड क्वार्टर मुकर्रर करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक अगर नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) परगना अधिकारी भीनमाल की अदालत में बकाया राजस्व मुकद्दमों की सालवार सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है । मुकद्दमात को शीघ्र निपटाने हेतु कार्यवाही की जावेगी ।

(2) परगना अधिकारी भीनमाल की अदालत में बकाया फौजदारी मुकद्दमों का व्यौरा संलग्न परिशिष्ट 'ख' पर है । मुकद्दमात को शीघ्र निपटाने हेतु कार्यवाही की जावेगी ।

(3) सांचोर तहसील क्षेत्र के राजस्व एवं फौजदारी मुकद्दमों की सूची परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है राजस्व के मुकद्दमात यथा सम्भव सांचोर में ही रख कर तय करने हेतु उचित कार्यवाही की जा रही है ।

(4) परीक्षण के बाद उचित कार्यवाही की जावेगी ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : सांचोर में अदालत के लिये कमरे मिल सकते हैं, लॉक अप भी मिल सकता है । मैं समझता हूं कि इन मुकद्दमों को तय करने के लिए एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट लगाना चाहिये । वह महीने में बीस पच्चीस दिन तो दौरे पर रहते हैं । वैसे वहां पर अदालत पहले भी मौजूद थी । दो सौ मुकद्दमे सालों से पेन्डिंग में पड़े हैं । अदालत भी मौजूद है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस पर शीघ्र विचार करके कार्यवाही करेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह एक नीति का प्रश्न है । सारे राजस्थान के स्तर की नीति का है । क्या इस तरह की सुविधायें सारे राजस्थान के स्तर पर आप देने को तैयार हैं जिससे कि मौजूदा लाखों

Page No 10

(9)

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मुकद्दमे जल्दी से जल्दी निपटायें जा सकें। इसे आप कान्स्ट्रक्टिव फार्म दें तो अच्छा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जल्दी से जल्दी मुकद्दमे निपटाये जाने की सरकार की कोशिश है। जैसे जैसे वहां का सवाल सामने आवेगा उसी तरह कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। जनरल वे में तो मैं कैसे कहूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : राजस्थान के स्तर पर निगाह नहीं डालेंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह एस.डी.ओ. महीने में 25 दिन ट्यूर में रहते हैं। इस बारे में राजस्थान सरकार को निश्चित रूप से नई नीति अपनानी चाहिये।

गंगानगर हास्पिटल की बैड संख्या

26. श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़)** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के 26 जिलों में मुख्य जिला हास्पिटल की केटेगरी, बैड, आबादी, जिलेवार दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गंगानगर हास्पिटल की बैड संख्या आबादी के अनुपात में अन्य कई जिलों से काफी कम है ? यदि हां, तो इस भेदभाव का क्या कारण है ?

(3) क्या भारत पाक युद्ध के दौरान गंगानगर हास्पिटल की बैड संख्या बढ़ाई गई थी ? यदि हां, तो कितनी ? क्या यह सही है कि अब यह बैड संख्या फिर कम कर दी गई ? यदि हां, तो कितनी ? क्या बढ़ी हुई बैड संख्या के वार्ड वगैरह का निर्माण जनता के पैसों से किया गया है ? यदि हां, तो बैड संख्या के कम किये जाने का क्या औचित्य है ?

चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, निर्धारित अनुपात (1:2000) से ज्यादा है और कुछ जिलों से अधिक भी है।

(3) जी हां, 100 शैयाएं। राज्य सरकार द्वारा निर्माण किये गये वार्डों में जिसमें जन सहयोग भी सम्मिलित है, बढ़ाई गई रोगी शैयाएं ज्यों की त्यों हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री केदारनाथ : सौ शैयाएं अधिक की गई थीं जितनी कि निर्धारित संख्या है। इस सहूलियत को आप वापिस ले रहे हैं। वे इमर्जेन्सी के नाम से मिली थीं ?

श्री हरिदेव जोशी : एक तो एक्सपेन्शन से शैयाएं बढ़ीं और दूसरी इमर्जेन्सी में आर्मी के सहयोग से बढ़ी। सरकार ने जो एक्सपेन्शन की शैयाएं ज्यों की त्यों हैं। बाकी भारत पाक युद्ध के दौरान जो शैयाएं बढीं सेना के सहयोग से उनकी

(श्री हरिदेव जोशी)

पोजीशन दूसरी तरह की है, उसकी बात करते हैं आप तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने बताया कि गंगानगर जिले की स्थिति कुछ जिलों से अच्छी है। 26 जिलों में से दो तीन जिलों से अच्छी है। पर यह तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रेजेन्ट बेड स्थिति जो है वह सेटिसफेक्टरी स्थिति से नीचे है और ठीक नहीं है। सौ शैयाएं बढ़ाई उसके लिये वार्ड वगैरह जनता ने मुहइया कर दिया। आपका एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। पिछली बार मन्त्री महोदय उसका उद्घाटन भी कर आये। अब क्या वजह है कि इमर्जेन्सी का नाम लेकर उनको कम किया जा रहा है?

श्री हरिदेव जोशी : केवल एक ही कारण है जैसा मैंने बताया। अब क्या कर सकते हैं, यह अगले बजट में देखूंगा, और जो कुछ कर सकूंगा, करूंगा। रहा प्रश्न जनता के सहयोग से वार्ड बनाने का तो इसके अलावा भी रेकरिंग एक्सपेन्सेज तो सरकार को करने पड़ते हैं। फिर भी अगले वर्ष क्या किया जा सकता है, यह देखूंगा।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : क्या बेड इतने ही रक्खे गये थे? बजट में कमी की गई है।

श्री हरिदेव जोशी : बजट में बढ़ोतरी की गई है।

श्री केदारनाथ : किस अस्पताल में कितने बेड बढ़ाये जावें यह किस आधार पर आप तै करते हैं? क्या पोलिटिकल रीजन से?

श्री हरिदेव जोशी : सारी चीजें कन्सीडर करनी होंगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पोलिटिकल रीजन ज्यादा होगा।

श्री हरिदेव जोशी : तब तो आपकी तरफ वेट डालूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसा नजर नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य मन्त्री जी ने उद्घाटन किया, आश्वासन दिये, टी. बी. सेनीटोरियम का उद्घाटन किया। तो कमी तो नहीं की जानी चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : नेक्स्ट बजट में देखूंगा। मेरा निवेदन यह है कि इस वर्ष का तो लगभग सारा समय समाप्त ही हो चुका है। नेक्स्ट इयर रिवाइज करेंगे उस वक्त गंगानगर को टाप प्रायरिटी दूंगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : और फलौदी को छोड़ देंगे?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे हृष्ट पुष्ट आदमी को छोड़ना ही पड़ेगा।

प्रश्न संख्या–27

श्री अध्यक्ष : श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

मै. कुलदीपसिंह एण्ड कम्पनी के विरुद्ध सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताओं के मामलों की जांच

28. श्री गुरदयालसिंह सन्धु : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

क्या यह सही है कि मैं कुलदीपसिंह एण्ड कम्पनी के विरुद्ध सड़क निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं के मामलों की जांच राज्य सरकार द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव-जोशी) : जी हां प्रीलिमिनेरी इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो विचाराधीन है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : परन्तु क्या उस की कम्पनी को आइन्दा ठेके देना बन्द किया है या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : जब तक किसी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट नहीं करते तब तक उसे ठेका देना बन्द नहीं किया जा सकता।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : जिनके नाम दिये हैं उनके खिलाफ क्या सस्पेन्शन की कार्यवाही की गई है ?

श्री हरिदेव जोशी : क्या किया जा रहा है और क्या नहीं, यह अभी कहना बहुत पहले होगा। मेरी अपेक्षा तो आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि आप फील्ड में हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : छः महीने पहले से सरकार के पास इत्तला हो चुकी है। आज तक उस रिपोर्ट को मन्जूर न करने का क्या कारण है ?

श्री हरिदेव जोशी : प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट आई है। उम एग्जामिन किया जा रहा है। बहतर इस स्टेज पर यही होगा कि मैं उसकी डिटेल में इस समय नहीं जाऊं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या उस रिपोर्ट में क्लीयरली कुलदीपसिंह के वर्क के सम्बन्ध में कह दिया गया है कि उसको अनेकों पेमेंट किये गये हैं पर काम पूरा नहीं किया है बहुतों का और इस फर्म के बारे में सदन में जितने तथ्य रखे गये थे उनसे अधिक इस रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है ? इसमें कुछ सरकारी अधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया है। तो इस सारी रिपोर्ट के आधार पर आप किन किन पर एक्शन ले रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह काफी इम्पोर्टेन्ट केस है। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो एलीगेशन लगाये थे वे बेसलेस नहीं थे। एन्क्वायरी हुई है उनकी और माननीय सदस्य भी यह जानते हैं कि गवर्नमेंट इस मामले में विजिलेन्ट है और मैंने इसमें जिस तरह का एक्शन लिया है उसे भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं माननीय सदस्य। इसलिये मेरे लिये अभी यहां पर इससे अधिक कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि एन्क्वायरी इस समय ऐसी स्टेज पर है जिसमें कई चीजें हो सकती हैं, इसलिये यही उपयुक्त होगा कि इस समय मैं इसकी विगत में न जाऊं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : इस स्टेज पर प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी चूंकि आपके सामने आ गई है और कुछ अनियमितायें जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, बहुत कुछ सत्य है और उस एन्क्वायरी

(श्री निरजननाथ आचार्य)

के प्राइमा-फेसी रूप में इन्वाल्व्ड हैं तो जो अधिकारी इन्वोल्व्ड हैं उनको सस्पेन्ड करने का विचार रखा है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां। न केवल सस्पेन्ड करने का विचार ही रखा है, बल्कि जो जरूरी है वह सब किया जा रहा है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : अभी भी कुलदीपसिंह को बड़े बड़े ठेके दे रहे हैं। वह क्यों नहीं बन्द कर देते ?

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये कि ब्लैक लिस्ट नहीं किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया है लेकिन यह चोर साबित हो चुका है कि 10 लाख से ऊपर राशि चली जाती है–ऐसे ठेके देना क्या उचित है ?

श्री हरिदेव जोशी : आपने अभी एक एंगिल दिया है। अभी तक मैं प्रोसीड कर रहा था कि कौन अधिकारी इन्वोल्व्ड है। आपने एक नया एंगिल दिया है कि कन्ट्रेक्टर भी एक प्रकार से दोषी है। इसे मैं देख लूंगा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : आपने घोषणा की थी कि प्रिलिमिनेरी जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे, वह रख दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य इस से सन्तुष्ट हैं कि सदन में जो कुछ कहा था उस पर मैंने प्राम्प्ट डिसिजन लिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज भी लाखों रुपये के ठेके उस ठेकेदार को दिये जा रहे हैं। मैं कहता हूं एक दिन वह अमेरिका पढ़ाई कर जाएगा और आप यों ही रह जायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : जैसा एक्शन मैंने लिया है बहुत कम लिये जाते हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : आपके पास ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है कि 18 लाख का गबन है तो उसकी पेमेन्ट क्यों नहीं रोकी जा रही है।

श्री केदारनाथ : आपने तत्परता से काम किया, यह हम विश्वास करते हैं। जो हाइएस्ट आथोरिटी है पी. डब्ल्यू. डी. की वह ऐसा क्यों कर रही है ? हम यह चाहते हैं····

श्री हरिदेव जोशी : Highest authority is the Minister, not officer इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन गवर्नमेंट की जानकारी में आया और जो कुछ गवर्नमेंट के बूते में था वह किया गया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इसमें कोई ढिलाई नहीं होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक उसको ठेके दिये जा रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु। उसकी पेमेन्ट क्यों नहीं रोकी जा रही है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय,····

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब नहीं। बहुत सवाल बाकी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री अध्यक्ष : नहीं । कुछ सन्तोष रखें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह वैसा हाल हो जायगा जैसे कमल एण्ड कम्पनी में एक टूटी हुई लालटेन मिली थी ऐसा ही हाल. . . .

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इसको एडवान्स देना तो बन्द करें ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अभी भी उसको एडवान्स हो रहा है ।

श्री हरिदेव जोशी : उसको भी देखूंगा ।

प्रश्न संख्या 29

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मीठालाल ।

ग्राम पंचायतों के चुनाव

30. श्री **मीठालाल** (लालसोट) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ग्राम पंचायतों के चुनाव कब तक करवा दिये जायेंगे ? निश्चित समय बताने का कष्ट करें ।

(2) क्या राज्य सरकार पंचायती राज–व्यवस्था में आई हुई निष्क्रियता को दूर करने के लिए जब तक कि चुनाव नहीं हो जावें तब तक के लिए पंचायतों व पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में प्रशासक–व्यवस्था करना उचित मानती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत राज्य मन्त्री (श्री मूलचन्द) : (1) पंचायतों का कार्यकाल 20 जनवरी सन् 1974 को समाप्त होगा उससे पूर्व पंचायतों के चुनाव की व्यवस्था करवादी जावेगी ।

(2) जी नहीं । पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियमित रूप से कार्य करने के कारण प्रशासक की व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री **मीठालाल** : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आज सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनको ही विश्वास नहीं होता है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि गिरधारी लाल व्यास कमेटी ने जो सिफारिश की थी कि पंचायतों में जागृति लाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जायं, दूसरे जिला परिषदों और पंचायतों में जहां सरपंच नहीं हैं, उप-सरपंच नहीं हैं, प्रधान नहीं हैं. उप-प्रधान नहीं हैं और वहां के कार्य में निष्क्रियता आ गई है, वहां जागृति लाने के लिए कुछ करेंगे ।

श्री **मूलचन्द** : जहां तक सरकार की ओर से किये जाने का प्रयत्न है वह बराबर किया जाता है । ऐसी निष्क्रियता बिलकुल नहीं है, लेकिन राज्य में अकाल स्थिति के कारण अवधि बढ़ाई गई है वह किसी से छिपी हुई नहीं है । आज की जो

(श्री मूलचन्द)
स्थिति है पंचायत समितियों की और जिला परिषदों की उसमें ऐसा कोई स्वरूप सामने नहीं आया है ।

श्री मीठालाल : बहुत सी पंचायत समितियों में कोई काम नहीं हो रहा है। वहां न सरपंच है, न उप-सरपंच है। जिला परिषदों में न प्रधान है और न उप-प्रधान है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अकाल की स्थिति अगर बनी रही तो हमेशा ही चुनाव नहीं होंगे, ऐसा राज्य सरकार की मंशा है क्या ?

श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट) : प्रधान और सरपंचों के जो स्थान रिक्त हैं उनके चुनाव....

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : रिक्त स्थानों के जो चुनाव हैं वह इस अवधि में करा दिये जायेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय इसमें कोई दो राय नहीं है । पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव ओवर ड्यू हो गये हैं, और हम उनके अब चुनाव जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं। दो कारण थे-एक तो ऐसा महसूस किया जाता था कि पंचायती राज सिस्टम जो राजस्थान में प्रिविलेन्ट है, उसमें मौलिक परिवर्तन लाना चाहिये ताकि इसमें गति आये। इसलिये एक हाई पॉवर कमेटी बनाई गई। उसकी रिपोर्ट माना और इलेक्शन करवाने के समय में बहुत कम अन्तर था। एक विकल्प तो हमारे पास यह था-कि हम चुनाव करवा देते और हाई पॉवर कमेटी के अनुसार फिर करवाते, उसमें लाखों रुपया खर्च होता – उसको अवॉयड किया । दूसरे राजस्थान के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में अकाल के कारण बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता है । यह उन लोगों के साथ न्याय नहीं होता। मगर मैं तो यह भी कर सकता था कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के इलेक्शन रोक देता और बाकी राजस्थान के दूसरे हिस्सों का चुनाव करवा देता, लेकिन उस स्थिति में यह कहा जाता कि अकाल के दरमियान हो रहे काम का प्रभाव इलेक्शन के रिजल्ट पर पड़ेगा। उन सारी चीजों को ध्यान में रख कर हमने यह उपयुक्त समझा कि अक्टूबर तक पोस्टपोन किया जाय। अब रह जाता है जो स्थान रिक्त हैं प्रधान, उप-प्रधान, सरपंच व उप-सरपंच के ऐसे जो स्थान रिक्त हैं उनकी पूर्ति करवा दी जायगी।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि पोस्टपोनमेंट के कारण हैं, उनके साथ एक हद तक तो मेरी सहानुभूति है। व्यय का प्रश्न है, वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पंचायतों के विधान के सम्बन्ध में है वह तो सरकार के डिस्क्रिशन का प्रश्न है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि हमारी जो इलेक्टिव व्यवस्था है उसमें इतने दिन तक पोस्टपोन होने के पश्चात् अभी तक पंचायतों की जो वास्तविकता है वह नहीं रहेगी। मैं तो संवैधानिक दृष्टि से, इलेक्टिव प्रिन्सिपल्स के आधार पर यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार के लिये

Page No 16

(15)

(श्री लक्ष्मणसिंह)
उचित यह होता कि पंचायतों को सुपरसीड कर दिया जाता और यदि यह उपयुक्त नहीं है तो जहां प्रधान, उप प्रधान सरपंच, उप सरपंच के स्थान खाली हैं वहां पर सरकार क्या करना चाहती है। यह जो कनफ्यूजन की स्टेज है उसमें सरकार के स्पष्टीकरण का संकेत होता तो ठीक होता..

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिससे आप मेरे प्रश्न का भी जवाब साथ में ही दे सकें। मेरा कहना है कि आज पंचायतों के चुनाव सरकार की दया पर निर्भर रहें इससे तो संविधान में या एक्ट में ऐसी गारन्टी दी जाये कि 3 वर्ष बाद चुनाव होंगे ही। यदि ऐसी सरकम्स्टान्सेज हो जायें जैसे अकाल की हो तो उसकी अवधि एक साल के लिए बढ़ा दें। इस प्रकार की एक्ट में गारन्टी हो तब तो हम आश्वस्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि दस साल गुजर जायें, आठ साल गुजर जायें और सरकार चाहे जिस बहाने से चुनावों को स्थगित करती जाये। इससे तो पंचायतों की मूलभूत भावना ही समाप्त हो जायेगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं और उसका भी जवाब आ जाये। क्या सरकार चुनाव कराने से पहले जो गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके ऊपर डिस्कशन करने का मौका देगी या नहीं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, हाई पावर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि इलेक्शन कराने चाहिए और पोस्टपोन नहीं करने चाहिए— क्या यह सही है? और हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आपने पोस्टपोन करने की बात कही है तो अब आप कब तक चुनाव करा देंगे? आप अक्टूबर के अन्दर चुनाव करा सकते थे क्योंकि अकाल के कारण लोगों का माइग्रेशन अक्टूबर के बाद ही नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में हुआ है। तो आप पंचायतों के चुनाव माइग्रेशन से पहले अक्टूबर में करा सकते थे।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि मैं स्वयं यह मानता हूं कि यह इलेक्शन काफी ओवरड्यू हो गये हैं। मैं स्वयं भी जब भी दौरे पर जाता हूं तो कई सरपंच हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हमको इससे मुक्ति दिलाओ...

कई माननीय सदस्य : जनता कहती है या सरपंच कहते हैं?

श्री हरिदेव जोशी : मेहरबानी करके मुझे सुन लीजिए। मैं आपको सही कहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरपंचों को और प्रधानों को तो आपने अमर कर दिया दस वर्ष हो गये।

श्री हरिदेव जोशी : वह ऐसी स्थिति में बैठे थे मेरे मन की बात नहीं थी। मगर जहां तक उस आस्पेक्ट का

(श्री हरिदेव जोशी)

सवाल है इसमें दो राय नहीं है कि पंचायतों के चुनाव ओवरड्यू हो गये हैं। अब सारा प्रश्न सदन के समक्ष, नये सिरे से आ रहा है गवर्नमेण्ट इसमें किसी प्रश्न के ऊपर रिजिड व्यू लेकर नहीं चल रही है और हम ओपिन माइन्ड से सारी बातों समझना चाहते हैं, दूसरी स्टेटों को भी हमने स्टेडी किया है कि वहां पर क्या है क्या नहीं है; किस तरह से और हाई पावर कमेटी ने प्रमुख प्रकार के सजेशन्स दिये है मैं समझता हूं। कि उनकी पूरी रिपोर्ट आजावे क्योंकि अभी प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट ही आई है तो उनकी पूरी रिपोर्ट आजाये उसके बाद सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग लिया जाना चाहिए, पालिटिकल पार्टीज को कान्फीडेन्स में लिया जाना चाहिए, सेमीनार आर्गेनाइज की जानी चाहिए और सब की राय आजाये उसके बाद गवर्नमेन्ट माइन्ड मेक-अप करेगी। कोई केबिनेट ने इस इश्यू के ऊपर कि अमुक तारीख को इलेक्शन करा दिये जायेंगे ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं कोई फर्म डेट देने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं पंचायती राज मंत्री की तरह से कि मैं यह महसूस करता हूं कि अरलियेस्ट अपार्चुनिटी अवेल का जानी चाहिए और पंचायतों के चुनाव अलियेस्ट करा दिये जाने चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर डिसकशन का मौका मिलेगा या नहीं ?

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे इस सदन के अन्दर कितनी बार राज्य सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की कि हम इस चुनाव को जल्दी से जल्दी करा देंगे और उसके बाद कितनी बार यह कहा गया कि इन कारणों से यह चुनाव नहीं कराये गये ? मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि क्या गिरधारीलाल व्यास कमेटी ने यह सिफारिश की है कि पंचायतों का आकार छोटा कर दिया जाये और मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने अहम मसले में क्या इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि वह इस चुनाव को स्थगित करने से पहले सदन के महत्वपूर्ण लोगों को कान्फीडेन्स में लेकर चुनाव पोस्टपोन करने की बात करते और आज आप की घोषणा के ऊपर किस प्रकार विश्वास किया जाये समझ में नहीं आता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने कहा है कि हम अमेन्डमेन्ट करना चाहते हैं इस बारे में तो क्या आपने कोई बिल बनाया है इस बजट सेशन में पेश करने के लिए ? अगर नहीं तो फिर कब करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर चुका हूं कि पूरी रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री फूलचन्द जैन : फिर यह किस की जिम्मेदारी है ? आठ वर्ष चुनाव नहीं हों और आप आज कहते हैं कि पूरी रिपोर्ट नहीं है। यह किसकी जिम्मेदारी है ? कितनी बार घोषणा की कि हम चुनाव करायेंगे ? क्या यह जिम्मेदारी हमारी है ? इससे तो अच्छा हो कि पंचायती राज को खतम किया जाये।

Page No 18

(17)

श्री जयकिशन : आप कृपया इसका भी उत्तर दें कि इतना लम्बा अरसा गुजर जाने के बाद जनता के अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है—इसका हां या ना में उत्तर दे दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, विद्युत् मंत्री जी।

बानसूर तहसील के किसानों को बिजली देने के लिए सिक्योरिटी

31. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले की बानसूर तहसील के किस किस गांव के किस किस किसान को बिजली देने के लिए सिक्योरिटी विभाग द्वारा जमा कराई गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि बानसूर तहसील के रामपुर गांव के 6 किसानों से 1-4-71 को सिक्योरिटी जमा कराई गई थी, मगर अभी तक उनको बिजली नहीं दी गई है?

(3) क्या सरकार अब इन काश्तकारों को बिजली के कनेक्शन देने की आज्ञा प्रदान करेगी?

(4) बानसूर तहसील के ग्राम बिलाली व लेकडी को अलवर जिले के जयन्ती गांवों में सलेक्ट किया गया था? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है और इन गांवों को कब तक बिजली दी जावेगी?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) सूची 'अ' और 'ब' संलग्न है।

(2) जी हां, किसानों ने 7-4-71 को सिक्योरिटी जमा कराई थी परन्तु एल फार्म न देने के कारण वे दरख्वास्तें रद्द कर दी गयीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने बार में कहा है कि ऐसी सूचना नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास तो ऐसी ही सूचना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नम्बर 2 का रामपुर गांव के बारे में शिकायत नहीं है यह बात गलत है।

श्री हरिदेव जोशी : आप मुझे डिटेल दे दीजिए अगर दूसरी प्रकार की स्थिति है तो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने जो सूची पेश की है...

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर दूं कि मुझे तो सूचना यही दी गयी है कि एल फार्म पेश नहीं किया गया इसलिए उनको कनेक्शन नहीं मिला है। अगर आप अदर वाइज फील करते हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें कनेक्शन मिले तो आप मुझसे अलग से बात कर लें, मैं कोशिश करूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । ऐसा देखने में आया है कि सिक्योरिटी का पैसा जमा होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कोई अवधि निश्चित नहीं है कि जिसके तहत काश्तकारों को कनेक्शन मिल जाने चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए सरकार या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस किस्म का आदेश निकालने के लिए तैयार है कि सिक्योरिटी जमा हो जाने के बाद और एल फार्म जमा हो जाने के बाद उसको अमुक पीरियड में कनेक्शन मिल जायेगा ।

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऊपर सरकार आदेश निकालना चाहती है या नहीं? काश्तकार लोग परेशान होते रहते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो लिस्ट दी है उसमें नम्बर 18,19,20,21 और 22 पर लिखा है कि 'एल फार्म नाट रिसीव्ड'। आम शिकायत यह है कि हर किसान को दिक्कत है। आज ठेकेदार और इन्जीनियर्स मिले हुए हैं और ठेकेदार जिसको रिकमन्ड कर दे उसको तो कनेक्शन मिल जाता है। यह मेरे गांव की बात है । इन्जीनियर बिजली नहीं देता है और मैं उसको पिछले 6 महीने से कह रहा हूं । दो साल हो गए और चार फसल निकल गयीं और अभी तक उनको बिजली नहीं मिली है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितनी करुण दशा है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य 6 महीने से इन्जीनियर से कह रहे हैं और आज उन्होंने मुझे कहा है । मैं यह कोशिश करूंगा कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और कोई कानूनी व्यवधान नहीं है तो जो इन किसानों के नाम दिये हैं इनको जल्दी से जल्दी बिजली मिल जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री जीथिग ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न ...

श्री अध्यक्ष : अब नहीं । श्री जिथिग ।

जिला बांसवाड़ा में ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्य

32. **श्री जीथिंग** (कुशलगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो अब तक किन किन क्षेत्रों में किन किन ग्रामों के कितने कुओं पर बिजली पहुंचाई गई ? सूची क्षेत्र ग्राम, कुओं का विवरण दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा के समूचे ग्रामों को विद्युतिकरण में

(श्री जोधिंग)

लेने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या कुशलगढ़ में 24 घण्टे बिजली चालू करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, ग्रामों की सूची सितम्बर 72 तक की संलग्न है।

(2) जी नहीं, अभी इस प्रकार की योजना नहीं है। निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता।

(3) जी हां, परन्तु यह अभी सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री जोधिंग : क्या कारण है जो बांसवाड़ा जिले को विद्युतिकरण में लेने में निश्चित नहीं कहा जा सकता ?

श्री हरिदेव जोशी : पूरे जिले का एक साथ तो विद्युतिकरण नहीं हो सकता है। अब प्रश्न यह होता है कि उसको कितनी स्टेजेज पर किया जाएगा। आप शायद सबसे ज्यादा इंट्रेस्टेड हैं कुशलगढ़ में, कुशलगढ़ मे डिजल सेट है जो हाइडल से जुड़ा हुआ नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बांसवाड़ा अथवा वागीडोरा से कुशलगढ़ को हाइडल से जोड़ा जाय। उसका सर्वे हो गया है और अगर वह रैमुनरेटिव हुआ तो उसको जोड़ दिया जाएगा।

श्री जोधिंग : यह सर्वे कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री हरिदेव जोशी : नेक्स्ट इयर से।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(व्यवधान–प्रश्नव्य)

श्री लक्ष्मण सिंह : इस प्रश्न के तीसरे खण्ड में यह पूछा गया है कि क्या कुशलगढ़ में 24 घण्टे बिजली चालू करने का सरकार विचार रखती है...

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा–जी हां।

श्री लक्ष्मण सिंह : इसका अर्थ यह हुआ है कि कुशलगढ़ में 24 घण्टे बिजली नहीं दी जाती है ? इसका क्या कारण है ?

श्री हरिदेव जोशी : जैसा मैंने निवेदन किया है कुशलगढ़ में डीजल सेट है, वहां पर दो डीजल सेट लगे हुए हैं और वे ऑफसेट टाइप के हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं इसको हाइडल से जोड़ कर परमानेंट पावर की व्यवस्था की जाय।

श्री जोधिंग : यह कब तक हो जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं. 33।

श्री लक्ष्मण सिंह : अभी तक आयल इंजिन ही है जो 24 घण्टे तक नहीं चलता है ?

श्री हरिदेव जोशी : 18 घण्टे चलता है।

श्री विटठल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री विटठल : विद्युतिकरण का एक सवाल है साहब।

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्रीजी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न सं. 33।

(शोरगुल)

श्री विटठल : कुशलगढ़ में बिजली ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्रीजी।

श्री विटठल : अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। आयुर्वेद मंत्रीजी।

श्री विटठल : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो लिस्ट आपने दी है उसमें बांसवाड़ा और बागीडोरा के ही ज्यादातर नाम हैं, पीपलखूंट और कुशलगढ़ के नाम बहुत कम हैं तो क्या कुशलगढ़ को बिजली मिलेगी या नहीं, इसकी आशा करें या नहीं ? यह जवाब दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

जिला जालोर के गांवों में आयुर्वेद औषधालय

83. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम डूंगरी तहसील सांचोर, जिला जालोर में अभी तक आयुर्वेद अस्पताल नहीं खोला गया है ? अगर हां, तो कब तक खोल दिया जायेगा ?

(2) क्या सरकार ग्राम सरनाऊ एवं ग्रामपुर में जिनकी जन संख्या दो हजार से अधिक है, वहां शीघ्र आयुर्वेद अस्पताल खोलना उचित समझती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम गुड़ोहमा तहसील सांचोर जिला जालोर में एक आयुर्वेद अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया था ? अगर हां, तो कब ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि उक्त ग्राम में अब तक आयुर्वेद अस्पताल शुरू नहीं कराया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब आयुर्वेद अस्पताल कब तक खोल दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां। नवीन औषधालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। नवीन औषधालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

(श्री जुझार सिंह)

(3) जी हां। दिनांक 5-1-72 को।

(4) जी नहीं। दिनांक 8-3-72 से औषधालय प्रारम्भ किया जा चुका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह एक्चुअली जो सूचना आपने दी है, शायद ठीक नहीं है। आप इसकी जांच करा लें। अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है।

श्री जुझारसिंह : आपके कहने का मतलब है कि औषधालय नहीं खुला है।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : जी हां, न औषधालय खुला है, न वैद्य आया है और न काम शुरू हुआ है। इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है, इसकी जांच करावें।

श्री **जुझार सिंह** : इसकी जांच करा ली जाएगी।

श्री **योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : औषधालय है नहीं तो फिर बजट कैसे पास हो गया?

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : किसकी गलती है इसकी जांच कराकर जिसका दोष हो उसको दण्ड दिया जाना चाहिए।

श्री **अध्यक्ष** : श्री अमृतलाल।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : सदन के सामने सूचना दी जाती है...

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया है।

श्री अमृतलाल।

जोधपुर नगर की कंजरवेंसी रेल्वे लाइन की रेलें

34. श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर की उखाड़ी गई कंजरवेंसी रेल्वे लाइन की कई हजार टन रेलें खुले मैदान पर पड़ी हुई वर्षों से जंग खा रही हैं? यदि हां, तो पिछले कितने वर्षों से खुले मैदान पर पड़ी हैं और स्टॉक रजिस्टर के अनुसार उनकी वास्तविक तादाद कितनी है? कृपया उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भविष्य में इनका क्या उपयोग होगा?

(3) जिस भूमि पर उक्त रेलें पड़ी हैं, उसका मालिक कौन है और यदि गैर सरकारी है तो उसका अब तक क्या किराया दिया गया?

(4) अब तक इस माल की चौकीदारी इत्यादि का कितना वेतन भुगतान किया जा चुका है?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) जी हां। केवल 198 मेटरिक टन रेलें सन् 1962 से पड़ी हुई थीं।

(2) इन रेलों को 1972 में नीलाम द्वारा रु. 2,87,955.63 पै. में बेचा जा चुका है।

(3) भूमि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के अधिकार में है कन्जरवेंसी के

Page No 23

22

(श्री हरिदेव जोशी)

सामान के साथ है। अतः किराये का प्रश्न नहीं उठता।

(4) इस स्थान पर रखे हुए कुल सामान की चौकीदारी पर अब तक 6483.) रु. वेतन के रूप में खर्च हुए हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि 10 साल के बाद में आपने करीब 200 टन रेल नीलाम की तो दस साल पहले क्यों नहीं नीलाम कर दी। दस साल का ब्याज कितना हुआ। किराया उसका गया, रेल खराब हो गई। इसके अलावा चौकीदार पर अलग खर्चा हुआ इसकी जिम्मेदारी किस पर है?

श्री हरिदेव जोशी : वहां केवल रेलें ही नहीं है, सैकड़ों तरह का दूसरा सामान भी है। वह एक तरह का गोडाउन है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जिसके लिए चौकीदार को रखना जरूरी है। इसलिए केवल इन रेलों पर ही चौकीदार लगा रखा हो ऐसी बात नहीं है। वहां पर गोडाउन का परमानेंट स्टाफ लगा हुआ है।

श्री अमृतलाल गहलोत : वहां पर दूसरा कोई सामान नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास यह सूचना है कि वहां पर दूसरा सामान है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपने किस बेसिस पर कहा है कि बहुत सारा दूसरा सामान पड़ा हुआ है। सामान है तो कौन सा सामान है?

श्री हरिदेव जोशी : मेरा बेसिस तो ये कागज हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कागजों से ही बतायें कि कौन सा सामान पड़ा है, कोई इंजिन है, कोई डब्बा पड़ा हुआ है? रेलों के अलावा कोई चीज नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : यह आपका वर्सन है जब कि डिपार्टमेंट ने मुझे यह कहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गोडाउन होने से बहुत सारा सामान है। जोधपुर स्टेट के जमाने से यह गोडाउन काम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का और उसी समय से गोडाउन की इस प्रकार की व्यवस्था है और इस प्रकार का स्टाक रहता हुआ चला आ रहा है। जो भी फालतू सामान होता है वह फालतू सामान इस गोडाउन में रखा जाता है जिसमें ये रेलें भी पड़ी थीं।

श्री अमृतलाल गहलोत : यह कजरवेंसी के अधिकार में था या स्टेट के?

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पहले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा अधिकार में दिया गया है।

श्री अमृतलाल गहलोत : यह जमीन सरकार की है या हिज हाइनेस की है?

श्री हरिदेव जोशी : यह एक प्रकार का वर्सन है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहता है कि यह जमीन हमारी है।

श्री अमृतलाल गहलोत : यह इन्फार्मेशन गलत है, इसकी जांच करावें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं कंवीन्स्ड नहीं हूं कि यह इन्फार्मेशन गलत है। अगर यह जमीन हिज हाईनेस की है और अगर आपके सामने या हिज हाईनेस के पास कोई डाकूमेंट्री एवीडेंस होती तो आज तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को वहां से बेदखल कर दिया गया होता।

श्री भानुकुमार शास्त्री : प्रमाणों को फिर देखा जा सकता है?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मैं कन्वींस्ड हूं। इतने वर्षों से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अधिकार है तो अब तक दावा करके उनको बेदखल क्यों नहीं कराया गया? यह बात प्रमाणित है कि यह जमीन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अगर वहां पर सामान नहीं है और चौकीदार रख रखा है तो अब तो सामान रखवा दीजिए अन्दर।

श्री हरिदेव जोशी : इसका उपयोग ऐसे ही होगा।

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके स्वामित्व का प्रश्न नहीं है, स्वामित्व तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ही है। प्रश्न यह है कि इसका उपयोग हो रहा है या नहीं जो वहां पर स्टाफ रख रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के कहने का मकसद यह है कि अभी वहां पर कोई सामान नहीं है और चौकीदार रखा हुआ है तो क्यों रखा हुआ है जो सामान अब नीलाम किया गया है तो उसको दस वर्ष पहले ही नीलाम क्यों नहीं किया गया। महाराजा साहब की जमीन है या नहीं यह रेलेवेंट नहीं है। जमीन उनकी नहीं है यह हम मानते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नहीं है, मैंने कहा कि यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है, महाराजा की नहीं है इसलिए मैंने इस प्रश्न को स्ट्रेस किया। रहा सवाल यह कि यह गोडाउन खाली क्यों है। यह एक परमानेन्ट गोडाउन है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की चाहे उसके अन्दर एक धेले की चीज रखे, चाहे तो लाखों की रखे परन्तु वहां पर एक चौकीदार को रखना ही होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय सदस्य ने कंक्रीटली यह कहा है कि वहां पर कोई समान नहीं है और, आपके जवाब का आधार यह कागज है। परन्तु यह आपका कागज का आधार गलत है तो क्या आप इस कागज को बनाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : निश्चित रूप से करूंगा। मेरा निवेदन करना यह है कि यह एक परमानेन्ट गोडाउन है। उसमें माल आता जाता रहता है, कम होता रहता है, ज्यादा भी होता रहता है। इसलिए वहां पर एक परमानेन्ट गोडाउन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बना रखा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचे कि इसको एबन्डन करना है, खतम करना है, तब बात दूसरी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

अन्य तारांकित प्रश्नों के लिये परिशिष्ट 5 देखिये।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों के कार्य की स्वीकृति

24. **श्री शंकरलाल जाट (कपासन) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कुछ सड़कों के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं ? यदि हां, तो वे कौन कौन सी सड़कें हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो सड़कें क्रेश प्रोग्राम में स्वीकृत हो चुकी उन पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि कार्य प्रारम्भ किया गया है, तो कहां कहां और किस किस सड़क पर ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची 'क' प्रस्तुत है।

(2) सूची (क) में अंकित सड़कें नं.–8 व नं. 20 पर कार्य पूरा हो चुका है। सड़क नं. 13 पर मजदूर काम पर नहीं आ रहे हैं, बकाया सड़कों पर काम चालू है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ग्राम सेवा सहकारी समिति वरदाला

27. **श्री भरतलाल (वामनवास) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) वरदाला ग्राम सेवा सहकारी समिति को केन्द्रीय सहकारी बैंक सवाई माधोपुर द्वारा कब कितना कितना ऋण दिया गया ? इस समिति के कितने सदस्य हैं तथा इस समिति का आडिट समिति के निर्माण के पश्चात् कब कब हुआ ? समिति के आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

(2) क्या यह सही है कि आडिट रिपोर्ट में एतराज किये गये थे और इस समिति को ऋण देने के लिए भी आडिटर्स ने अपनी असहमति दी थी ?

(3) क्या यह सही है कि इस समिति की ओर भारी ऋण एवं ब्याज अवधि पार है जिसकी वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि ऐसी समिति के प्रतिनिधि केन्द्रीय बैंक में संचालक के पद पर भी कार्य कर रहे हैं ? यदि समिति की ओर अवधि पार ऋण है तो क्या ऐसी समितियों के प्रतिनिधि बैंक के संचालक मंडल के सदस्य बन सकते हैं ?

(5) क्या यह सही है कि समिति में भवन के मामलों के सम्बन्ध में आडिटर्स द्वारा कुछ ऐतराज किये गये हैं किन्तु उन मामलों को दबाया जा रहा है ?

(6) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उनके खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों और अब

(श्री भरतलाल)

उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) यह कि बरदाला ग्राम सहकारी समिति को केन्द्रीय सहकारी बैंक, सहकारी बैंक सवाई माधोपुर द्वारा निम्न ऋण दिया गया है:–

दिनांक 29–7–55 को 6560)
दिनांक 16–8–66 को 11000)
दिनांक 1–1–72 को 52025.68
दिनांक 7–7–72 को 23800

समिति के 128 सदस्य हैं तथा इस समिति का आडिट समिति के निर्माण के पश्चात् निम्न प्रकार हुआ:—

वर्ष	दिनांक ऑडिट
1963–64	19 व 20–9–64
64–65	28–4–66
65–66	21 व 22–6–67
66–67	26 व 27–6–68
67–68	25 व 26–6–69
68–69	24 से 26–6–70
69–70	20 से 21–7–70
70–71	10 से 12–4–72
तारीख	11 17 से 14–7–72

रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही है कि आडिट रिपोर्ट में कुछ एतराज किये गये थे किन्तु इस समिति को ऋण देने के सम्बन्ध में आडिटर्स ने अपनी कोई असहमति प्रकट नहीं की।

(3) दिनांक 30–6–72 को 4781.20 अवधिपार थी।

(4) जी हां, राज्य सरकार के वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत यदि सदस्य समिति की ओर अवधिपार ऋण है तो उसका प्रतिनिधि बैंक के संचालक मण्डल का सदस्य रह सकता है।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयसमन्द तालाब की भूमि का आवंटन

29. **श्री देवी लाल** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पेटा तालाब की भूमि के आवंटन पांच वर्ष के लिये करने का दो वर्ष पूर्व राज्यपाल महोदय ने विधान सभा में अपने अभिभाषण में कहा था ?

(2) क्या सरकार ने इससे सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन कर दिया ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में स्थित जयसमन्द तालाब की भूमि का आवंटन अभी भी एक वर्ष के लिये ही किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(राजस्व मंत्री)

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) जी हां आवंटन नियमानुसार किया जाता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गंगानगर, लालगढ़ व मलोट सड़क का ठेका

13. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) गंगानगर—लालगढ़—मलोट सड़क (डिफेन्स रोड) का ठेका किस किस को दिया गया है ?

(ख) जिन को ठेका दिया गया है, उन में कौन कौन हिस्सेदार हैं और यह ठेके किस रेट पर दिये गये हैं ?

उत्तर

(क) सड़क का ठेका अभी नहीं दिया गया है। टेण्डर भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समितियों व स्वायत्त शासन संस्थाओं में बकाया राशि

14. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य की कुल पंचायत समितियों एवं स्वायत्त शासन संस्थाओं में 31 दिसम्बर, 1972 तक कितनी राशि बकाया थी और अब कितनी बकाया है ? प्रत्येक के अलग से विभिन्न जिलों के आंकड़े प्रस्तुत करें।

(स्थगित किया गया)

जंगल कटवाने पर खर्च एवं आय

15. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किस किस वर्ष में विभागीय स्तर पर किस किस जंगल के कटवाने की कार्यवाही की गई ?

(2) किस किस कार्य में कितना कितना खर्च एवं आय हुई है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची (क) संलग्न है।

(2) सूची (ख) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगनहर के पानी का प्रयोग

16. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगनहर का कितना पानी कृषि कार्य में और कितना पानी कोठियों, शहरों, भट्टों आदि (Other than Agriculture purpose) के प्रयोग में आता है और दोनों से अलग-अलग क्या आय हो रही है ?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

गंगनहर से लगभग 12 लाख एकड़ फीट पानी कृषि कार्य में व लगभग 10000 एकड़ फीट कृषि कार्य के अलावा दूसरे कामों में आता है। वर्ष 1971-72 में कृषि कार्य से 63,90,645 रुपये व अन्य कार्यों से 1,17,830 रुपये आय हुई। पिछले पांच सालों का ब्यौरा संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

फागी व चाकसू तहसीलों में अतिक्रमण के नियमन के विचाराधीन मामले

17. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फागी तथा चाकसू तहसील में अतिक्रमण के नियमन के कितने मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मामले कब से विचाराधीन हैं और अब तक नहीं निपटाने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक निपटा दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि अतिक्रमण के मामले हर साल घटने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको रोकने के बारे में कोई सख्त कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) फागी तहसील से सम्बन्धित अतिक्रमण के नियमन का कोई मामला पेंडिंग नहीं है। तहसील चाकसू से संबंधित केवल एक मामला पेंन्डिंग है। सूची संलग्न है।

(2) उक्त मामला दिनांक 25-1-1973 से विचाराधीन है। उपजिलाधिकारी, जयपुर का पद रिक्त होने के कारण यह मामला निर्णित नहीं हो सका है। उपजिलाधिकारी, जिनकी अब नियुक्ति हो गई है, के ज्वाइन करने पर यह मामला निर्णित हो जावेगा।

(3) जी हां। गत वर्षों के मामलों की संख्या को देखते हुए यह मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इनको कम करने के लिये यहां तक जिला स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि समस्त सिवाय चक भूमि जो कि कृषि योग्य है भूमिहीनों में वितरित करदी जावे। तथा जो भूमि अकृष्ट हो उसे गैर मुमकिन में परिवर्तित कर दिया जावे। इसी प्रकार जब सिवाय चक भूमि ही नहीं रहेगी तो अतिक्रमण के मामले स्वतः ही कम हो जावेंगे। अतिक्रमण के मामले को रोकने हेतु कानूनी प्रावधानों में सख्ती लाने का प्रश्न राज्य के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जयपुर जिले में पास बुकों का वितरण

18. **श्री जयकिशन लाल तोसावडा** (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले में अब तक कुल कितनी पास बुकों का वितरण किया गया और फागी तथा चाकसू तहसील में कितनी पास बुकों का वितरण किया गया ? कृपया

(श्री जयकिशन लाल)

सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अब कितनी और पास बुकें वितरण करने के लिए बाकी रह गई हैं? तथा इनके वितरण न करने के क्या कारण हैं?

(3) अब बाकी बची हुई पास बुकों का कब तक वितरण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में 31 जनवरी, 1973 तक 92,665 पास बुकों का वितरण कृषकों को हो चुका है। तहसील फागी में 10,058 पास बुकों का व तहसील चाकसू में 7,088 पास बुकों का वितरण हो चुका है।

(2) जयपुर जिले में 1,66,330 पास बुकें वितरण होनी शेष हैं। इनके वितरण न होने के यह कारण हैं कि तहसील जयपुर, बस्सी, सांगानेर, आमेर, ज. रामगढ़ के ग्रामों में जो 12 मील के क्षेत्र में हैं, पैमाइश का कार्य चल रहा है, इसलिए काश्तकारान पास बुक लेने में उत्सुक नहीं हैं तथा इस जिले की तहसील बसवा सिकराय, दौसा, लालसोट, चाकसू, बस्सी ज. रामगढ़ के ग्रामों में भूमि एकीकरण विभाग की ओर से पास बुकें वितरण हो चुकी हैं, इसलिए भी काश्तकारान पास बुक लेने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

(3) पास बुकों के वितरण का कार्य शीघ्र ही पूरा किया जावेगा।

तहसील हनुमानगढ़ के चक 15 एच. एम. एच. की सरकारी भूमि

19. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चक 15 एच. एम. एच. तहसील हनुमानगढ़ में कितनी सरकारी भूमि किसके कब्जे में और कब से है?

उत्तर

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

देवस्थान विभाग के मुकदमों की पैरवी हेतु वकीलों की नियुक्ति

20. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) देवस्थान विभाग के मुकदमों की पैरवी करने के लिए राजस्थान स्तर पर कुल कितने वकील नियुक्त किए गए हैं?

(2) कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर मय नाम, वेतन एवं समयावधि दर्शाते हुए प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) चार वकील नियुक्त किये हुये हैं। ब्यौरा संलग्न सूची में है।

(2) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

1. श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने चक 37 आर.बी. तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर को गांव में आने जाने के लिये कोई रास्ता न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अत: मैं इसको स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

2. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा ने 8 जनवरी, 1973 को श्री एच. एन. बक्शी, असिस्टेन्ट कमान्डर, बी. एस. एफ, गंगानगर को गोली लगने से मृत्यु के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न भी हाल की घटना से सम्बन्धित नहीं लगता है अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री केदारनाथ तथा श्री गुरदयालसिंह, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान कोलोनाइजेशन (राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) 1955 टैम्परेरी टैनेन्ट्स गवर्नमेंट लेन्ड अलाटमेंन्ट शर्तें, 1971 में निर्णय लिये गये संशोधनों को अब तक लागू न किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

4. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर में अधिक कीमत पर किसानों, मजदूरों को गेहूं उपलब्ध न होने व गेहूं उपलब्ध न होने व गेहूं को बाहर भेजे जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

5. श्री केशरीमल और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने अजमेर जिले के किशनगढ़ शहर में और पाली जिले के वर के पास कुनेजा गांव में साहू मिनरल प्रोपर्टिज की मारबल की खान में चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों से संबंधित नहीं हैं अत: मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य यदि चाहें तो वे इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव की बहस के समय चर्चा उठा सकते हैं।

6. सर्व श्री केशरीमल, मोहम्मद गफ्फार अली, योगेन्द्रनाथ हांडा, गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है जिसमें राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन का उल्लेख किया है। चूंकि इस प्रश्न पर आज सदन में शिक्षा मंत्रीजी एक वक्तव्य देंगे अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर जिले की सभी मंडियों में कपास नरमे के ढेर लगे हुये हैं और भारतीय कपास निगम द्वारा बहुत थोड़ी मात्रा में नरमा खरीदा जा रहा है इस विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया लाखों टन अनाज गंगानगर से बाहर भेजा जा चुका है। चूंकि इस स्थगन प्रस्ताव में दो प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

एक साथ उठाये गये हैं और यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ। माननीय सदस्य यदि चाहें तो इसे धन्यवाद के प्रस्ताव पर चल रही बहस के समय पर प्रश्न उठा सकते हैं।

8. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने अजमेर में शराब बंदी सत्याग्रह के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रश्न पर सदन में कल एक स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा चुका है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

9. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने बारी दरवाजा, प्रतापगढ़ में दिनांक 2 फरवरी, 1973 को की गई गौ हत्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

10. सर्व श्री रघुनाथ विश्नोई, मोहन छंगानी, श्रीमती मदन कौर, श्री रामरघुनाथ, श्री रामलाल (बाड़ी) श्री रामसिंह (लूणी) और श्री अब्दुल हादी, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें नयी एस. टी. सी. प्रशिक्षण शालाओं में अल्पकालीन पत्राचार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये निर्धारित सीटों के अनुसार पूरी भर्ती नहीं किये जाने की स्थिति की चर्चा की गई है।

11. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने राज्य में आवश्यक उपयोग की वस्तुओं के भाव बहुत अधिक बढ़ जाने की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन तीनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर में चल रहे शराब बन्दी के आन्दोलन के सम्बन्ध में गत विधान सभा के सत्र के समय यहां पर शराब बंदी के प्रश्न पर श्री गौकुल भाई भट्ट का अनशन हुआ था, उस समय हमारे वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था।

श्री अध्यक्ष : अभी कोई अनशन नहीं कर रहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : तब सोच लेंगे।...

श्री गुमानमल लोढ़ा : उसके पश्चात् प्रधान मंत्री के आश्वासन के ऊपर उन्होंने अपना।

श्री अध्यक्ष : इसको किसी और तरीके से उठा लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा यह निवेदन है कि इस विषय के ऊपर, चूंकि वहां पर लगातार सत्याग्रह हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, महिलाओं को घसीटा जा रहा है, इनका लाठीचार्ज भी किया गया है, जबकि संविधान के अन्दर यह

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
मूलभूत सिद्धांत है, यह डाइरैक्टिव प्रिन्सीपल है, इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आप माननीय वित्त मंत्री जी को इस सम्बन्ध में अपना नीति विषयक एक वक्तव्य और जो सत्याग्रह चल रहा है, और पहले जो प्रधान मंत्री के द्वारा, जो आश्वासन दिया गया, शराब बंदी सत्याग्रह के सम्बन्ध में और उसका पालन नहीं किया गया है, इस विषयक अपना वक्तव्य देने के सम्बन्ध में कहें ।

श्री माणकचन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट...

श्री अध्यक्ष : आपका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है । धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही बहस के दौरान बोल लें ।

श्री माणकचन्द सोगानी : यह अजमेर से सम्बन्ध रखता है । एक मिनिट में बहुत ही संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं ।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब वहां पर अनशन नौ रोज का हुआ और उनको जो रस पिलाया जा रहा था, उस समय जो भाषण हुआ उस समय मैं भी वहां पर मौजूद था । कृपा करके यह सुन लीजिये । वहां पर किस तरह के भाषण हुए । यह कोई सत्याग्रह नहीं था । वहां पर यह शब्द कहे गये–विद्यार्थियों को संबोधित करके यह कहा गया कि इस डिस्टलरी को आग लगा दो मगर इमारत नहीं जले । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कि यह हिंसात्मक बात ऐसे मौके पर कहना, विद्यार्थियों को आग लगाने के लिये भड़काना, ये तमाम चीजें सत्याग्रह में नहीं आतीं और उससे कहां तक सम्बन्धित हैं इस ओर सोचना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : आपको रस नहीं पिलाया गया होगा ।

श्री माणकचन्द सोगानी : मेरे को अनशन की जरूरत नहीं पड़ी ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय मेरा एक स्थगन प्रस्ताव प्रदेश भर में बढ़ रही मंहगाई के बारे में था.

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी चाही गयी हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जानकारी कब होगी ? आज तो लोगों को खाने को अन्न नहीं मिल रहा है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके लिये एक दिन की डिबेट तय कर दीजिये । मंहगाई किस तरह से बढ़ गई है कि आज गेहूँ 140, 150, 160 रुपया क्विन्टल बिक रहा है । दालें 3, साढ़े तीन और चार रुपये किलो बिक रही है । एक साधारण व्यक्ति जिसको कि साढ़े तीन सौ ढ़ाई सौ रुपया महीना मिलता है वह किस तरह से अपना और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सकता है मैं यह जानना चाहूँता कि इन कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने को जा रही है इसलिये इस सब पर विचार करने के लिए एक दिन का समय रखा जाये । आज परिस्थिति ऐसी है कि शांति और व्यवस्था राज्य के अन्दर समाप्त होती जा रही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह विषय वास्तव में महत्वपूर्ण है और राज्यपाल के अभिभाषण पर इस पर पूरी बहस नहीं हो सकती है। अतः इसके लिये एक दिन का समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

श्री विट्ठल भाई : बांसवाड़ा जिले में जो अकाल है और वहां पर जो अनाज वितरण की व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : अभी जो प्रश्न मंहगाई के बारे में उठाया गया है उसको पहले निपटा लीजिये।

यह जो प्रश्न मंहगाई के बारे में यहां पर उठाया गया है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि यह एक अहम् प्रश्न है। समय पर शांत वातावरण में आप इस पर विचार करें।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विट्ठल भाई ने अनाज वितरण व्यवस्था के प्रश्न पर जो मुद्दा उठाया है, वह यही है। मंहगाई की बात अलग है। अकाल के बारे में उन्होंने निवेदन किया है कि मक्का वहां पर नहीं पहुंच रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शराब बन्दी के बारे में • •

श्री अध्यक्ष : यह खतम हो गई है, मंहगाई आ गई है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मंहगाई के बारे में • • •

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि किसी एडजार्नमेन्ट मोशन को रिफ्यूज किया है तो उस पर डिस्कशन नहीं होगा। आप तशरीफ रखिये।

एक एडजार्नमेन्ट मोशन पर एक आदमी बोल लें। उस पार्टी के सभी आदमी बोलते हों तो यह परम्परा अच्छी नहीं है। ऐसा समय हो तो सीमित लोग बोल सकते हैं। एक विषय पर एक सदस्य बोलें। एडजार्नमेन्ट मोशन पर ज्यादा लोग बोलें यह ठीक नहीं है।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ में मारबल पत्थर की खानें हैं। काफी पत्थर उनका बाहर जाता है। लेकिन वहां पर मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी न दें। वहां पर 1 तारीख से हड़ताल चल रही है। राज्य सरकार चुप्पी साधे बैठी है। शायद उसको पता नहीं होगा कि कहीं पर हड़ताल चल रही है। श्रम विभाग राज्य सरकार क्या सोच रहा है? क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई भी दखलन्दाजी नहीं की है। सरकार की दिनों दिन ऐसी नीति बनती जा रही है, उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है जिससे कि मामले को ठंडा करने का रास्ता पकड़ लिया है। मैं श्रम मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करने के लिए लोगों को बुलायें और विचार करके मामले को तय करें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

अधिसूचनाएं

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 1 सं.(1) राज/उप/71 दिनांक 16 दिसम्बर, 1971

(2) अधिसूचना सं. एफ. 3 (अ) (85) राज/उप/72 दिनांक 22 जनवरी, 1973

(3) अधिसूचना सं. प. 22 (54) राज/उप/68 दिनांक 31 जनवरी, 1973

शासकीय वक्तव्य शिक्षक आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य। शिक्षा मन्त्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में दिनांक 1-1-73 का एक सर्कुलर दिनांक 17-1-73 को प्राप्त हुआ। जिसमें शिक्षकों की 12 मांगें थीं। यह सर्कुलर किन्हीं श्री शिवकिशोर सनाढ्य, महा मन्त्री, राजस्थान शिक्षक संघ, उदयपुर द्वारा हस्ताक्षरित था और इसमें यह चेतावनी दी गई थी कि यदि ये 12 मांगें 26 जनवरी, 73 तक नहीं मान ली गई तो 30 जनवरी से विभिन्न जिला कार्यालयों में आन्दोलन शुरू कर दिया जायेगा और 13 फरवरी से जयपुर में आन्दोलन होगा। इस सर्कुलर में लिखा था कि दिनांक 24 और 25 दिसम्बर को हुई संघ की मीटिंग में इन मांगों को पेश करने का निर्णय लिया गया है। इस सर्कुलर के बाद अनेक पम्फलेट भी इसी सम्बन्ध में आते रहे। इनमें से कुछ तो संघ के मुख्य कार्यालय से आते थे और ठीक उसी तरह के कुछ पम्फलेट संघ के जिला कार्यालयों से आते थे जिनका नारा था 'जयपुर चलो।'

जनवरी की आखिरी तारीख को किन्हीं श्री भंवरसिंह चौधरी, महा मन्त्री, राजस्थान शिक्षक संघ, भीलवाड़ा से एक मांग पत्र प्राप्त हुआ। यह 21-1-73 तारीख का था और इसमें भी यही बतलाया गया था कि 24, 25 सितम्बर को हुई संघ की मीटिंग में यह तैयार किया गया है। इस पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं था कि ये मांगें पूरी नहीं हुई तो संघ क्या करेगा। किन्तु फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही अखबारों में ऐसे समाचार आने लगे कि इस राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा सचिवालय पर धरना दिया जाएगा तथा 19 फरवरी से 23 फरवरी तक अध्यापकों द्वारा गिरफ्तारियां भी दी जायेंगी।

इन सब मांगों और आन्दोलन की चेतावनियों से राज्य सरकार को आश्चर्य होना स्वाभाविक था क्योंकि कुछ अर्से पहले ही शिक्षकों की मांगों के प्रश्न पर अनेक बार भली भांति विचार विमर्श किया जा चुका था 1971 और 1972 में संघ की 19 मांगों और 58 मांगों पर विस्तार से बातचीत हो चुकी थी जिनमें अधिकांश मांगें पूरी कर दी गई गई थीं और सभी मांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्थिति पूर्णतः स्पष्ट करदी गई थी। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि भण्डारी कमेटी की सिफारिश पर मैंने एक समिति का गठन

(श्री चन्दनमल बैद)

भी किया जिस का कार्य शिक्षकों की कठिनाइयों पर विचार करना होगा। इस समिति की एक बैठक 25 सितम्बर, 72 को मेरी अध्यक्षता में हो चुकी है।

सारे हालात को देखते हुए राज्य सरकार को ऐसा स्पष्ट आभास होने लगा कि वर्तमान में मांगों का जो सिलसिला चला है उसकी तह में शिक्षकों की वास्तविक और न्यायोचित मांगों का ऐसा कोई प्रश्न नहीं लगता जिसका कि तुरन्त समाधान करना अभीष्ट हो किन्तु ऐसा लगता है कि यह दो अलग अलग संघों के बीच की प्रतिस्पर्धा का मामला है, दोनों संघ अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं और एक दूसरे से बढ़ कर अध्यापकों के समर्थन प्राप्त करने की होड़ में हैं। श्री सनाढ्य के नेतृत्व वाला संघ कुछ समय से मान्यता की मांग सरकार से करता रहा है किन्तु यह मामला इसलिए विचाराधीन है कि सभी तरह के कर्मचारियों के संघों की मान्यता के लिए सामान्य नियम बनाये जा रहे हैं। लगता है श्री सनाढ्य वाले संघ ने इस समय आन्दोलन शुरू करना इसलिए ठीक समझा कि सरकार पर उक्त मान्यता के लिए अधिक दबाव पड़ सके। उधर दूसरे संघ ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने व इस नये संघ को कमजोर बनाने के लिए तथा स्वयं को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने हेतु अलग से आन्दोलन शुरू कर दिया।

चूंकि राज्य सरकार का यह मानना था कि संघों की इस दलगत प्रतिद्वन्दिता और झगड़ेबाजी से विद्यार्थियों को इस पढ़ाई के समय में बहुत नुकसान होगा और अकारण उलझनें पैदा हो जायेंगी जबकि विचाराधीन मसले बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण भी नहीं हैं, इसीलिए दोनों ही संघों को राज्य सरकार से उच्चस्तरीय बातचीत तथा विचार विमर्श के लिये बुलाया गया। विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किये जाने की आशा की जा रही थी इसलिए मैं ने बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 1973 को प्रातः 11 बजे श्री सनाढ्य वाले संघ के तथा उसी दिन साढ़े तीन बजे श्री शेखावत वाले संघों के प्रतिनिधियों को बुलाया। वैसे 14 फरवरी को छुट्टी थी फिर भी मैं दोनों संघों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिये सचिवालय पहुंचा जिससे किसी तरह उनका विवाद हल किया जा सके।

श्री सनाढ्य की अध्यक्षता में एक दल हम लोगों से 14 फरवरी को प्रातः 11 बजे मिला। मीटिंग में शिक्षा आयुक्त, निदेशक, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा, जयपुर के कलेक्टर, उप शिक्षा सचिव एवं सहायक शिक्षा सचिव तथा श्री सनाढ्य वाले संघ के एक दर्जन से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे। इसमें शिक्षकों की 12 मांगों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया। इस संघ के प्रतिनिधि स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट दिखाई दिये। लेकिन वे सरकार से लिखित में उत्तर देने के लिए आग्रह कर रहे थे तथा यह भी चाह रहे थे कि सरकार उन्हें राजस्थान शिक्षक संघ के रूप में सम्बोधित करते हुए एक पत्र लिखे। लगता था दरअसल उनका मुख्य मकसद अपनी मांगों को पूरी न करा कर उस अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार द्वारा उनके संघ को मान्यता प्राप्त कराना था।

(श्री चन्दनमल बैद)

इस संघ के प्रतिनिधियों एवं विभाग के अधिकारियों के बीच लम्बे समय तक विचार विमर्श होता रहा। पर अन्त में जाकर यही अनुभव किया गया कि उनकी इस जिद को कि उन्हें औपचारिक रूप से लिखित में राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से सम्बोधित किया जाये स्वीकार किया जाना असम्भव था क्योंकि राज्य में इसी नाम से पहले से ही एक राजस्थान शिक्षक संघ मौजूद था। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि दिनांक 17 फरवरी को जैसे ही माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण समाप्त हुआ, मुख्य मन्त्री महोदय श्री सनाढ्य वाले संघ के एक डेलीगेशन से मिले।

श्री बिशनसिंह शेखावत की अध्यक्षता वाले राजस्थान शिक्षक संघ से हम लोगों ने निवेदन किया था कि वे 14 फरवरी को साढ़े तीन बजे विचार विमर्श के लिए आने का कष्ट करें। श्री शेखावत को दो दिन पूर्व इस मीटिंग की लिखित में सूचना दी गई थी। एहतियात के लिए शिक्षा विभाग कार्यालय के लिपिक श्री टहलियानी द्वारा जो कि श्री शेखावत के मकान के पास ही रहते थे, 14 फरवरी को साढ़े तीन बजे निश्चित समय पर मिलने के लिये श्री शेखावत को सूचित करवाया गया था। श्री टहलियानी ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि उन्होंने श्री शेखावत को इसकी सूचना दे दी है लेकिन उनके कोई प्रतिनिधि साढ़े तीन बजे नहीं आये। जबकि मैं, शिक्षा आयुक्त, निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर के कलेक्टर, उप शिक्षा सचिव तथा सहायक शिक्षा सचिव उनका एक घण्टे से भी अधिक समय तक सचिवालय में इन्तजार करते रहे। यहां तक कि श्री शेखावत की तरफ से यह सूचना भी नहीं मिली कि वे आ नहीं सकेंगे। आदमी भेज कर श्री शेखावत को उन सब जगहों पर ढुंढवाया गया जहां उनके मिलने की सम्भावना थी।

रात्रि को साढ़े नौ बजे श्री शेखावत शिक्षा आयुक्त से उनके निवास स्थान पर मिले। उस समय श्री कस्तूरचन्द, शिक्षा निदेशक, जयपुर तथा श्री अग्रवाल, सहायक शिक्षा सचिव भी उपस्थित थे यह पूछने पर कि वे तीसरे पहर निर्धारित मीटिंग में क्यों नहीं आ पाये, श्री शेखावत ने कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बतलाया। जब उनसे विनम्रतापूर्वक यह पूछा गया कि किस कारण से उनका संघ अकारण ही आन्दोलन को छेड़ने की योजना बना रहा है, तो श्री शेखावत ने यह माना कि यद्यपि वास्तव में उनकी कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको कि तत्काल पूरा करना अत्यन्त जरूरी हो, लेकिन वे आन्दोलन इसलिए प्रारम्भ कर रहे हैं क्योंकि दूसरा दल भी ऐसा ही कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर श्री सनाढ्य वाला संघ 16 फरवरी को अपना आन्दोलन करना प्रारम्भ न करे तो वे भी 19 फरवरी से अपना आन्दोलन कैंसिल कर देंगे। वास्तव में उन्होंने यह वायदा भी किया था कि यदि श्री सनाढ्य वाले संघ ने किसी कदर अपना प्रदर्शन न किया तो अपनी तरफ से आन्दोलन न करने के सम्बन्ध में वे अपने अन्य नेताओं से सम्पर्क साधेंगे। शिक्षा आयुक्त ने श्री शेखावत को सलाह दी कि बेहतर होगा वे जल्दी ही किसी दिन शिक्षा मंत्री से मिल लें। श्री शेखावत ने अगले

(श्री चन्दनमल बैद)

दिन (15 फरवरी को) 'शिक्षा मंत्री से उनके निवास स्थान पर प्रातः जल्दी ही मिलने की इच्छा भी प्रकट की थी पर वे न तो मुझ से और न विभाग के किसी भी अधिकारी से मिलने कभी आए। 15 तारीख को पूरे दिन मैं यहीं पर था। श्री शेखावत ने यह सन्देश तक भिजवाना 'आवश्यक नहीं समझा कि क्या वे विभाग के किसी अन्य व्यक्ति से मिलना चाहेंगे, यदि नहीं तो क्यों? वास्तव में उसके बाद से उन्होंने शिक्षा विभाग से किसी भी प्रकार का सम्पर्क नहीं किया। क्या यह घोर आश्चर्य की बात नहीं है कि जहां शिक्षक संघ ने एक ओर कुछ मांगें पेश कीं और हमने उन पर बातचीत करने के लिए उनसे निवेदन किया वहां वे बराबर किसी भी प्रकार की बातचीत को टालने का प्रयत्न करते रहे एवं तब भी उसी प्रकार अपना पूर्व नियोजित आन्दोलन चलाते रहे। स्पष्ट है उनका उद्देश्य अपनी मांगों के बारे में बातचीत करने या उन्हें पूरा करवाने का नहीं है परन्तु कुछ और ही है।

आया इस संघ को मान्यता दी जाए या उस संघ को, या फिर दोनों को या किसी को भी नहीं, इस सम्बन्ध में भी हमें वर्तमान आपसी विवादों को ध्यान में रखते हुए गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। शिक्षा आयुक्त, निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं जिलाधीश, जयपुर (जो पहले शिक्षा निदेशक थे) इन तीन लोगों की एक कमेटी बनाई गई है तथा उसे इस विशेष समस्या का अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है। इस कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

इन दोनों गुटों की 12 और 22 मांगों में से कुछ मुख्य मांगों पर मैं विवेचन करना चाहूंगा।

(1) सरकार को जैसे ही सूचना मिली कि कुछ चिकित्सा एवं यात्रा भत्ता बिल निधियों के अभाव के कारण बिना भुगतान के पड़े हैं, नवम्बर 1972 में चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए 10 लाख रुपये तथा यात्रा भत्ता व्ययों के लिए 5 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया गया। शिक्षा विभाग की पूरक मांगों को तैयार करते समय पुनः इन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। वित्त विभाग को अनुदेश दिए जा चुके हैं कि शिक्षा निदेशक को इस सम्बन्ध की पर्याप्त निधि प्रदान की जाए ताकि इस वित्तीय वर्ष के भीतर अर्थात् 31 मार्च, 1972 तक सभी विचाराधीन बिलों का भुगतान किया जा सके।

(2) सभी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के व्यापक राष्ट्रीयकरण की मांग एक नीति का प्रश्न है तथा इस पर सब प्रकार के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा यह कोई एक राज्य का प्रश्न नहीं है, परन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए नीति निर्धारण का प्रश्न है। जाहिर है इस प्रकार के प्रश्न को आन्दोलन की चेतावनी का भय दिखा कर हल नहीं करवाया जा सकता। यहां इस बात से इन्कार करना भी ईमानदारी नहीं होगी कि बहुत सी प्राइवेट शिक्षण

(श्री चन्दनमल बैद)

संस्थाएं स्तर तथा अन्य सभी दृष्टियों से बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं।

(3) शिक्षकों के वेतन में सुधार करने की भी आम मांग है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सामान्यत: राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के वेतनमान देश के शेष भागों में दिए जा रहे वेतनमानों की तुलना में किसी कदर कम नहीं बैठते। वस्तुस्थिति तो यह है कि पंजाब, हरियाणा, देहली एवं हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ छोटे एवं समृद्ध राज्यों को छोड़ कर हमारे वेतनमान भारत के अधिकांश अन्य राज्यों के मुकाबले तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। उदाहरण के तौर पर थर्ड ग्रेड टीचर का न्यूनतम वेतन राजस्थान में 208 था (जिसमें अब तो और भी बढ़ोत्तरी हो गई है) जब कि उस समय तुलनात्मक दृष्टि से उसी श्रेणी के टीचर का न्यूनमत वेतन अन्य राज्यों में इस प्रकार था–आन्ध्र में 167, असम में 195, बिहार में 182, गुजरात में 173, जम्मू व काश्मीर में 150, केरल में 180, मध्य प्रदेश में 160, मैसूर में 185, उड़ीसा में 171, तमिलनाडु में 188 तथा उत्तर प्रदेश में 134। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपनी वित्तीय सीमाओं के बावजूद राज्य सरकार राजस्थान के शिक्षकों के साथ पूर्ण वित्तीय न्याय कर रही है। उनकी वास्तविक कठिनाइयों तथा उचित मांगों पर हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है तथा मैं यहां फिर यह बात दोहराऊंगा कि भविष्य में भी सरकार उनकी न्यायोचित मांगों पर सदा सहानुभूति के साथ विचार करेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार इस बात पर खेद का अनुभव भी करती है कि कुछ शिक्षकों के निहित स्वार्थों एवं दलगत राजनीति को बढ़ावा देने मात्र के लिए इस प्रकार की गैर जिम्मेवाराना कार्यवाहियां शिक्षक जैसे तबके की ओर से देखने को मिलीं।

दोनों दलों के बीच की इस प्रतिद्वन्द्विता तथा नेतृत्व हथियाने की होड़ के कारण इस नाजुक समय में जब कि परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, छात्रों को पढ़ाई में कितनी बाधा उत्पन्न हो रही है, यह अपने आप में साफ है। प्रदर्शनकारी शिक्षक महोदयों ने उन निरीह बालकों के भविष्य का जिनका कि समूचा जीवन उनके हाथों में समाज ने शिक्षा दीक्षा के लिये छोड़ रखा है, कितना ख्याल रखा है यह इसी से स्पष्ट हो जाता है। फिर भी मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य सरकार शिक्षकों के समूचे वर्ग के प्रति सदा की तरह सद्भावना एवं सहानुभूति रखती है तथा यह नहीं चाहती कि इस प्रकार की शक्ति प्रदर्शन की होड़ में शामिल कुछ लोगों की अनुचित कार्यवाहियों के कारण समूचे शिक्षक वर्ग की गरिमा पर, उनके हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। तथापि सरकार की इस सम्बन्ध में सुदृढ़ नीति है कि विभाग में अपेक्षित अनुशासन कायम रहे तथा छात्रों के हितों पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो इस स्थिति पर, शिक्षकों के आन्दोलन के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है–इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके दो पहलू हैं–एक पहलू तो जिसका आपने जिक्र किया, एक शिक्षक संघ राजस्थान शिक्षक संघ है और एक दूसरा संघ है जो अपने आपको भी राजस्थान शिक्षक संघ कहता है। लेकिन मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति स्वयं राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों ने, जो वास्तविकता थी उस वास्तविकता को अलग रख कर प्रस्तुत की।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 29/30-1-72 को राजस्थान शिक्षक संघ के चुनाव हुये थे। उसमें चुनाव अधिकारी जोइन्ट डाइरेक्टर आफ एजूकेशन श्री बी.एल. कुमावत थे। अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव में यह जो दूसरा शिक्षक संघ है, राजस्थान शिक्षक संघ, जिसने कि बाहर अपना झण्डा-डण्डा जमाया हुआ है, इन तमाम लोगों ने उस चुनाव में हिस्सा लिया और उस चुनाव में बुरी तरह से ये लोग हार गये ...

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : आपको पता नहीं है, यह चुनाव हुए ...

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : आपको यहां बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकारी अधिकारी आपका बचाव कर रहे हैं, सरकारी अधिकारियों में आपके एजेंट मौजूद हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरे एजेंट हैं, आपके एजेंट हैं या कम्युनिस्टों के एजेंट हैं–वह देखा हुआ है आपका। (शोरगुल) आप क्यों बोल रहे हैं। आप बैठ जाइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्यों के सामने स्थिति अपने आप साफ आ जायगी। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। माननीय शास्त्री जी उनको ठण्डे दिल से सुनने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में वह भी किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे।

उस चुनाव में श्री बिशनसिंह शेखावत व इस ग्रुप के, जिसको शास्त्री जी रिप्रेजेंट करते हैं, आदर्श विद्या मन्दिर के हैड मास्टर खेमचन्द शर्मा को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया और चुनाव रिजल्ट रहा, बिशनसिंह शेखावत को 166 वोट मिले और खेमचन्द शर्मा को 8 वोट मिले और वह इस तरीके से..

(शोरगुल)

(कई माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : सुनने दिया जाय। डोन्ट डिस्टर्ब।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी तरीके से श्री शिवकिशोर सनाढ्य हैं। इन्होंने और भंवरसिंह चौधरी ने जनरल सेक्रेटरीशिप के लिए नामांकन पत्र भरा। जब वोट 8 आते दिखाई दिये तो उनको हिम्मत कान्टेस्ट करने की नहीं पड़ी तो उन्होंने अपना नाम विथड्रा कर लिया और भंवरसिंह चौधरी जो बिशनसिंह शेखावत के महा मन्त्री अनकान्टेस्टेड चुने गये। तीसरे पद के लिए सभाध्यक्ष, जैसे आपका पद है, इसी तरह से इस संगठन में भी सभाध्यक्ष का पद होता है। उसमें जो यह दूसरा इम्पोस्टर शिक्षक संघ है इनके जो वर्तमान अपने आपको अध्यक्ष कह रहे हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

श्री नानक कुंदनानी, यह खड़े हुए और नित्यानन्द पाठक को बिशनसिंह शेखावत ने खड़ा किया। नित्यानन्द को 134 वोट व कुंदनानी को 28 वोट आए। वह भी इसी तरीके से हार गए और उसके बाद जोइन्ट डाइरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट इन चुनावों की पूरे तरीके से सरकार को लिख कर दे दी। यह चुनाव की रिपोर्ट रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज के यहां भी पहुंच गई। उसके अनुसार राज्य सरकार की तरफ से यह मान्यता-प्राप्त है। राज्य सरकार ने अलग-अलग स्तर पर कुछ कमेटियां बनाई हुई हैं। जैसे एक समिति है जोइन्ट कान्सलटेटिव कमेटी जिसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी हैं, यह समिति तमाम सरकारी कर्मचारियों से बात करने के लिए है। इसमें राजस्थान शिक्षक संघ के नामिनी श्री बिशनसिंह शेखावत और श्री भंवरसिंह चौधरी हैं। दूसरी शिक्षा सलाहकार समिति है जिसके शिक्षा मन्त्री खुद चेयरमैन हैं शिक्षक संघ के 5 प्रतिनिधि हैं और वे पांचों प्रतिनिधि जिस राजस्थान शिक्षक संघ के श्री बिशनसिंह शेखावत अध्यक्ष हैं उसी के पांचों नामिनीज हैं। इसी तरह से डाइरेक्टर लेविल पर एक डिपार्टमेंटल कमेटी है। उसके अन्दर भी इसी संघ के लोग इसमें सदस्य हैं। डवलपमेंट कमेटी है जिसमें भी इसी संघ के नामिनीज हैं।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट के बाद भाषण नहीं होता है। आप खुद जानते हैं, जो कुछ कहना है संक्षेप में कह दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनके सामने विपक्ष बहस करके आ जायें। यह क्या मतलब है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारी स्थिति वो बता रहे हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : साजिश की गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो पक्ष पराजित हुआ उसको क्यों प्रतिनिधि मानते हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने शिक्षा मंत्री ने कहा जिस संघ का रामानन्दजी प्रतिनिधित्व करते हैं....

(शोरगुल)

शिक्षा मंत्री ने कहा आज तक कोई काम नहीं किया, नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के शिक्षा मन्त्री को मालूम नहीं, आंदोलन कैसे ...

श्री अध्यक्ष : आपको भी उचित समय दिया जाएगा। बीच में मत बोलिए वरना वे भी डिस्टर्ब करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां तक इसकी आफीशियल पोजीशन गवर्नमेंट में है, वह मैंने स्थिति व्यक्त की। चुनाव हार जाने के बाद वे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में गए। वहां केस चला अभी दस दिन पहले उनका केस रद्द हो गया और स्टे भी मिला स्टे एप्लीकेशन दी, वह रिजेक्ट हो गई। फिर दस दिन पहले वह केस उनके खिलाफ तय हो गया याने बिशनसिंह शेखावत के चुनाव को अदालत ने भी वैध मान लिया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो जूडीशियल प्रोनाउन्समेंट इस मामले में हो चुकी। अब अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज एक्ट के तहत उन्होंने अपना नाम भेज दिया, वही वहां पर रेकग्नाइज्ड हैं, तो मेरा निवेदन है कि यह जो राजस्थान शिक्षक संघ है यह कोई क्लेम नहीं करते कि यह कोई दूसरा संगठन है। यह यही क्लेम करता है कि राजस्थान शिक्षक संघ एक्चूअली हम ही हैं। यह जो रजिस्ट्रेशन नम्बर का इस्तेमाल करते हैं वही नम्बर वे इस्तेमाल करते हैं जो रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज के तहत इस संघ को मिला हुआ है एज इम्पोस्टर।

श्री चन्दनमल बैद : केस चलाइए उनके खिलाफ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्यों चलाना चाहिए जब आपके चुनाव अधिकारी ने रिपोर्ट दे दी, वे तमाम कमेटीज वगैरह पर मौजूद हैं, जुडीशियल प्रोनाउन्समेन्ट जो एडवर्स गई थी वह उनके पक्ष में हो गई....

श्री हरिदेव जोशी (चिकित्सा मंत्री) : आप यह कहना चाहते हैं कि जो असली शिक्षक संघ है उसको सरकार ने रैकग्नीशन नहीं दिया है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि उसको दिया हुआ है लेकिन एज इम्पोस्टर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दूसरे संघ को जिस तरह से बुलाने की बात कर रहे हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : एज इम्पोस्टर, राजस्थान शिक्षक संघ के जो लोग चुनाव में हार गये थे वे अपने आप खड़ा होकर कहते है कि हम ही हैं इनस्पाइट आफ यूअर रैकग्नीशन, इनस्पाइट आफ कोर्टस....

श्री हरिदेव जोशी : शिक्षा मन्त्री ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने दूसरे शिक्षक संघ को शिक्षक संघ के तौर पर लिखकर देना उचित नहीं समझा। बातचीत कुछ भी की हो।

श्री मो. गफ्फार अली : सवाल यह है कि अनअथोराइज्ड संघ को बुलाया ही क्यों गया?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके मुकाबले में हारा है उसको बुला लो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आई विल जस्ट एक्सप्लेन!

श्री हरिदेव जोशी : कोई ऑरगेनाइजेशन बात करना चाहती है तो सरकार बात न करे यह एक एस्पेक्ट है। सरकारी कर्मचारियों का एक सेक्शन एजीटेटेड फील करता था सरकार ने उचित समझा कि उनसे बात करनी चाहिए, मगर वह सर्टेन ट्रिक्स प्ले करके एक प्रकार रैकगनीशन इन्डाइरैक्टली पाना चाहता था उसको सरकार ने एवोइड किया है और दूसरी तरफ जो रैकग्नाइज्ड एसोसिएशन है उसको बुलाया बात करने के लिए वह आया नहीं ये दो फैक्टस हैं :

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो है। मगर कोई दूसरा आरगनाइजेशन माइनो-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रिटी को रिप्रेजन्ट करता हो और उससे सरकार बात करती हो वह बात दूसरी है। concede the right of minority to organise the union of their choice but this is not the case. यह यूनियन आप को रीयल संघ वाले नंबर से क्लेम करता है।

श्री चन्दनमल बैद : हमने तो उसको माना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अगर रामानन्द अग्रवाल से बात करना चाहें तो आप मुझे बुलावें और साथ में दूसरा कहे कि मैं भी रामानन्द अग्रवाल हूं उसको भी मेरे साथ बुलावें तब तो जरूर एतराज होगा। व्हाई यू आर आस्किग देम ?

श्री हरिदेव जोशी : कुछ कन्फ्यूजन है हमारी पोजीशन के बारे में। गवर्नमेन्ट ने जो टीचर्स के संघ से बात की है और दूसरे शिक्षक संघ से, जो कि नया है, उसमें कनफ्यूज हुआ है। लेकिन गवर्नमेन्ट ने रिकग्नाईज तो उसी संघ को कर रखा है जो कि बिशनसिंह जी वाला है। दूसरा शिक्षक संघ के नाम से उन्हें रिकग्नाइज नहीं किया है। वैसे गवर्नमेन्ट टीचर्स से मिलने को इनकार तो नहीं कर सकती। हमने शिक्षक संघ के, जो कि रिकग्नाइज है, उसे चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्हें बुलाया है। 20 जनवरी को लिखा है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सही नहीं, उन्हें तो शिकायत ही यही है कि उन्हें चिट्ठी नहीं लिखी है। उन्होंने तो यह कहा है कि उन्हें टेलीफोन करते हैं, बुलाने के लिये, लेकिन चिट्ठी नहीं लिखी 20 जनवरी को। वो कहते हैं कि जो दूसरा संघ, जो कि मान्यता प्राप्त करना चाहता है, उसे सरकार रिकग्नाइज कर रही है। अगर आप उन्हें बुलायें तो अभी भी वे अपनी मांगों के बारे में मिलने को तैयार हैं।

श्री चन्दनमल बैद : चिट्ठी लिखी है पर वे आये नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है अगर लिखी है तो नम्बर और डेट बताइये।

श्री चन्दनमल बैद : हमारे यहां से बिशनसिंह शेखावत के नाम से चिट्ठी गयी है।

श्री हरिदेव जोशी : इनके यहां से चिट्ठी गयी है बिशनसिंह शेखावत के नाम से। यह बता रहे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से गयी है।

श्री फूलचन्द जैन : अब तो बात स्पष्ट हो गयी अध्यक्ष महोदय, कि जिस बारे में माननीय रामानन्दजी कह रहे हैं उसी शिक्षक संघ को, जो कि रिकग्नाइज्ड है, उसे चिट्ठी गयी है। अब तो स्पष्ट स्थिति हो गयी।

श्री हरिदेव जोशी : हम तो स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। राज्य सरकार का ध्येय तो साफ था। राज्य सरकार तो उसी ग्रुप को जोकि रिकगनाइज्ड शिक्षक संघ है, इनवाइट करते हैं और चूंकि

(श्री हरिदेव जोशी)

बिशनसिंह का ग्रुप कहिये चाहे उनके वाले शिक्षक संघ का कहिये वह तो उसी को बुलायेगी। लेकिन एक दूसरा टीचर्स ग्रुप, जोकि एम्बीग्यूटी पैदा कर रहा था, जोकि रिकगनिशन लेना चाहता था, उस ऐसोसियेशन को रिकगनिशन नहीं दिया है यह तो पोजीशन क्लीयर हो गयी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : They don't claim. They say we are the only.

श्री मोहनलाल छंगाणी : तो फिर सही ग्रुप को रिप्रेजेन्टेशन देकर बात करनी चाहिये थी...

श्री हरिदेव जोशी : आप शान्त रहें। मैं सीधी बात कर रहा हूं आप उत्तेजित क्यों कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक सैक्शन आफ दी टीचर्स, जोकि उस नाम से अपना रिकोगनिशन चाहता था उसे गवर्नमेन्ट ने स्वीकृति नहीं दी है। और उसके लिये उसे इनकार कर दिया। यह सारी बात हुई है। मैंने कल ही शायद माननीय सदस्यों को याद होगा अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि इस बारे में गवर्नमेन्ट की तरफ से सफाई की जा सकती है, उसके लिये आप गवर्नमेन्ट को मौका दे दें। इस मामले में गवर्नमेन्ट की पोजीशन काफी क्लीयर है। एम्बीग्यूटी सिर्फ इस बात की थी कि गवर्नमेन्ट बिशनसिंह शेखावत वाले शिक्षक संघ को रिकोगनाइज नहीं करके दूसरे ग्रुप को रिकोगनाइज कर रही है। लेकिन एक्चुअली में यह बात नहीं थी। गवर्नमेन्ट ने तो आफिशियली, जो शिक्षक संघ रिकोगनाइज है, उसे ही माना है दूसरे को नहीं। अब दूसरा टीचर्स का जो ग्रुप है समाहय वाला वह अगर प्राईवेट केपेसिटी में आता है तो मिलने की बात दूसरी है, शिक्षक संघ तो वो ही रिकगनाइज है जोकि बिशनसिंह जी शेखावत वाला है। हमने उन्हें ही बुलाया था....

श्री चन्दनमल बैद : सौभाग्य से यह लेटर मेरे पास है मैं इसे पढ़ कर सुना देता हूं

"श्री बिशनसिंह शेखावत।

एफ. 135, गान्धीनगर, जयपुर।

निदेशानुसार लेख है कि आप शिक्षा संघ की मांगों के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री महोदय से सचिवालय में दिनांक 14-2-73 को अपरान्ह 3-30 बजे मिलने का कष्ट करें।

भवदीय
ह. ईश्वरचन्द्र श्रीवास्तव
शासन उप सचिव,

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां ठीक है।

श्री अध्यक्ष : अब तो सब ठीक हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ठीक है साहब मामला क्लीयर कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, रामानन्द जी ने काफी समय ले लिया है अब हमें भी तो उस पर विचार प्रकट करने का मौका मिलना चाहिये। पता नहीं किस चक्कर में पड़ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द जी आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि जो स्थिति मुझे बतायी गयी है उसके बारे में कह रहा था। क्योंकि जो किशनसिंह शेखावत वाला ग्रुप है वह ही रिकगनाइज्ड है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, जो कि आफिशियली रिकगनाइज्ड नहीं और रिकगनीशन चाहता है, उससे ही बात करनी चाहिये। लेकिन उन्हें यह शिकायत है कि उन्हें तो इनवाइट नहीं किया। लेकिन दूसरे ग्रुप को इनवाइट किया। लेकिन अब स्थिति क्लीयर हो गई। अब मैं उनकी मांगों के बारे में निवेदन करूंगा। क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने, जो शिक्षण संस्थायें प्राइवेट हैं, उन का राष्ट्रीयकरण करने का भी सोच रही है? आज शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है वह राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है, ये प्रश्न पर प्रश्न रखे जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अच्छा मैं एक ही रखता हूँ।

श्री दलपतसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

(कई माननीय सदस्यों के साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री दलपतसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया तो बाद में उसी पर प्रश्न क्यों किये जा रहे हैं। अगर माननीय सदस्य को कोई जानकारी चाहिये है तो वे अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस पर इतना वाद-विवाद क्यों किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपका व्यवस्था का प्रश्न सही है। जब मंत्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दे दिया तो बाद में भाषण नहीं होना चाहिए उस पर। मैं थोड़ा लिबरल हो गया था इस पर अब आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो प्रश्न हैं। लेकिन मैं एक में ही समाप्त कर दूंगा। क्या यह सही है कि पचायत समितियों के नीचे जो शिक्षक काम करते हैं उन्हें अभी तक पेमेन्ट नहीं किया गया? क्या राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि उन्हें पेमेन्ट कर दिया जाय?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्या निर्णय ले लिया या नहीं आप इतना लम्बा भाषण क्यों दे रहे हैं। आप सीधा प्रश्न ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन आवर में। टीचर्स के लिये जो निर्णय लिया है वह कोई लेबर कोर्ट के अन्तर तो आता नहीं है। रिकगनीशन किया या उसे मान्यता प्राप्त हुई उसके लिये कोई सरक्यूलर तो इश्यू किया नहीं है कोई कानून तो है नहीं...

श्री मोहनलाल छंगाणी : चुनाव तो हुए हैं इसके कानूनी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : लेबर कोर्ट तो लागू नहीं होता है, जो मान्यता...... रिकग्नीशन असंभव है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : संभव है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये। इस प्रश्न पर दूसरा दृष्टिकोण आ गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरों को मौका दूंगा। आप तशरीफ रखिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा राइट है मैं अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं। आपमे से एक व्यक्ति बोल लीजिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भानुकुमार शास्त्री : लम्बा नहीं होगा। लम्बा बोलना जानता नहीं।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने रिकग्नीशन के झगड़े के सम्बन्ध में कमेटी का निर्माण किया है। वह कमेटी जांच कर लेगी कि क्या सही है और क्या नहीं। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि एक पार्टी ने हार कर चुनाव में क्लेम किया कि हम राजस्थान शिक्षक संघ हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : भाषण का अर्थ क्या है? मुंह से बोलना।

एक माननीय सदस्य : यह भी बोलेंगे, और कुछ बोलेंगे। बैठ जाइये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 31 जनवरी को शिक्षक संघ के चुनाव हुए। विशनसिंह शेखावत गुट ने निर्वाचन से पूर्व निर्वाचक के पास अपने गुट की मतदाता सूची प्रस्तुत की। उस दूसरे गुट ने कहा कि यह मतदाता सूची पूरी नहीं है इसमें कई हमारे लोगों के नाम रह गये हैं। दोनों ओर से एक ही मतदाता सूची को स्वीकार किया जाना था तो निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दोनों प्रकार की मतदाता सूची दे दीजिये। एक पक्ष की तो ले ली और दूसरे पक्ष की नहीं ली। दूसरे ने चुनाव अधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया और कहा कि ये अयोग्य हैं और पक्षपात पूर्ण तरीके से चुनाव कराते हैं। यह सब प्रोसिडिंग्स में अंकित हैं। एक पक्ष गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड होना चाहता था जिससे स्ट्राइक के समय प्रभाव पड़े।

(व्यवधान)

(श्री प्रद्युम्नसिंह व श्री भानुकुमार-शास्त्री के साथ साथ बोलने पर अश्रव्य)।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय सदस्य, आपको अवसर मिलेगा जब बोल लीजिये।

जब अविश्वास की बात आयी तो उस शिक्षक निरीक्षक ने चुनाव करा दिये। भीलवाड़ा में जाकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि की घोषणा की। चुनाव हो गये, अधिवेशन हो गया। उसमें उन्होंने अपनी मांगे शिक्षा मंत्री जी के पास भेजी। 24 दिसम्बर को बैठक....

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोर्ट में उठाइये यह सवाल।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 24, 25 दिसम्बर की बैठक में उस शिक्षक संघ ने अपनी मांगे रखीं····

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय क्यों नष्ट कर रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 24, 25 दिसम्बर को उस शिक्षक संघ ने मांगे तय करके शिक्षा मंत्री जी के पास भेजीं और कहा कि हम 31 जनवरी को सारे जिलों के हैडक्वार्टरों पर धरना देंगे और उसमें यह भी तय किया था कि 17 फरवरी को असेम्बली पर प्रदर्शन करेंगे।

श्री केदारनाथ : क्या शिक्षा जैसे विषय को ट्रेड यूनियन के रूप में बनाना चाहते हैं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यहां आदर्श विद्यामन्दिर जैसा उजाला करना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आदर्श विद्यामंदिर में घोटाले हैं जांच कराइये।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : बिलकुल जल्दी। जब उनको पता लगा कि 17 फरवरी को असेम्बली नहीं है और 16 फरवरी को है तो 16 फरवरी को प्रदर्शन किया। 14 फरवरी को मुख्यमंत्री जी मिले। उनको यहां पर बुला भेजा। यह बात सही है कि जैसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा उन्होंने आने से मना कर दिया। यह शिक्षकों की संस्था है। इसमें राजनीति प्रवेश नहीं कराई जाय।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

(लगातार माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो प्रदर्शन हुआ था उस प्रदर्शन के अन्दर हम कह सकते हैं विधान सभा के बाहर कितने अध्यापक थे जो उनके साथ थे। शिक्षा मंत्री महोदय ने जैसा कहा उनको बुलाया वे नहीं आये और आन्दोलन शुरू कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : 50 शिक्षक थे और 200 सिपाही थे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आर. एस. एस. के लोग थे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप इस मामले को शिक्षकों को ही तय कर लेने दीजिये कि कौन बहुमत में है और कौन नहीं। यह एक गम्भीरता से विचार करने की बात है। राजस्थान के शिक्षकों के क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश मत कराइये। राजनीति कहां से घुसती है यह इसका प्रमाण है। जिनके हाथ

Page No 47

46

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

में आज प्रशासन की बागडोर है उनसे निवेदन करूंगा कि शिक्षा के साथ राजनीति न जोड़ें।

श्री मोहनलाल छंगाणी । आप भले ही राजनीति चलायें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : शिक्षा आयुक्त, राजस्थान का 19 सितम्बर का एक सरकूलर निकला है जिसमें उन्होंने लिखा है : Meeting of the state level committee to solve the problems of the teachers. शिक्षक संघ के अध्यक्ष सनाढ्य और मन्त्री नानचन्द के नाम से लिखकर भेजा। इसके बाद...

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : दिस इज दी कनफ्यूजन।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप शान्ति से सुनें।

श्री अध्यक्ष : उनको बोलने दीजिये। उनको पूरा कर लेने दीजिये। आपकी भी बारी आवेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा यह कहना है कि शिक्षक संघ को 19 तारीख को शिक्षा आयुक्त ने यह सरकूलर भेजा जिसमें इनको मान्यता दी थी, पदाधिकारियों के रूप में। उनको जयपुर बुलाया था बात करने के लिये। इसके दो दिन बाद ही शिक्षा आयुक्त का दूसरा सरकूलर निकला और उनको इण्डिविजुअल की कैपेसिटी में जयपुर आने के लिये कहा गया। यह क्या है ? मेरा अनुमान है कि सत्ताधारियों ने इसमें फूट डालने का इरादा किया और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने शिक्षा आयुक्त को दूसरा सरकूलर निकालने के लिये मजबूर किया। तो इस तरह से आप लोग शिक्षक संघ में राजनीति को लाना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान शिक्षक संघ में सभी प्रकार के राजनैतिक विचारों के लोग हैं। इसके लिये यह कहना कि इसमें अमुक विचारधारा के ही लोग हैं, यह गलत है। आज इनमें फूट डालने की सरकार की नीति खेदजनक है। अगर हम शिक्षा जैसे पवित्र मन्दिर में खेद पैदा करने की चेष्टा करें तो यह कतई उचित नहीं कहा जा सकता। मान्यता दें या न दें। कमेटी बिठाकर दें या कैसे भी करें। पर इस प्रकार की बातों में विवाद उत्पन्न करके उनके अन्दर खेद पैदा न करें। तो दो प्रमाण शिक्षा विभाग के आज भी मेरे पास मौजूद हैं। मेरे हाथ में हैं। आप चाहें तो आपके सामने इनको पेश कर सकता हूं। आप कमेटी बिठाकर देख लें कि कौनसा दल बहुमत में है, कौनसा अल्पमत में है। 188 पकड़े गये और 300 का ब्राडकास्ट हुआ। यहां 1400 आये थे। कौन सा शिक्षक संघ बड़ा है यह शिक्षक स्वयं तय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना कथन समाप्त करता हूं और एक बार शिक्षा मन्त्रीजी को धन्यवाद और दूंगा कि उन्होंने कमेटी बनाई, जो जांच करके सही तथ्य क्या है, वह बतायेगी और उसके आधार पर सरकार मान्यता देगी।

श्री अध्यक्ष : अब इस पक्ष से बोल लें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा मंत्रीजी का वक्तव्य पढ़ा ऐसा लगा कि पहाड़ खोदकर अन्दर से चूहा निकला। विपक्ष की बातें भी सुनीं। इनमें भेद इतना ही है कि एक ही शाखा की दो चोटियां हैं। दोनों ने जनहित का कोई ध्यान नहीं रखा है, न जनहित की उनको चिन्ता है, ऐसा लगता है। खींचातान केवल इस बात की है कि किसकी मूंछ ऊपर रहे, किसकी नीचो। इस तरह से दोनों पक्ष देश का बड़ा अहित कर रहे हैं। सरकार प्राइमरी और सैकण्डरी शिक्षा पर चालीस करोड़ रुपया खर्च करती है। और लगभग 200 करोड़ रुपया बच्चों के अभिभावकों का खर्च हो जाता है हर वर्ष। इससे लगता है कि हम शिक्षा को बुनियाद मान कर चल रहे हैं, पर इतनी छोटी छोटी बातों में जब सरकार और विपक्ष दोनों उलझ जाते हैं और शिक्षक भी जब इम्तिहान के नजदीक आने पर बच्चों का कुछ भी विचार नहीं रखते हुए आन्दोलन की बात सोचते हैं तो यह सारा मामला बड़ा शर्मनाक बन जाता है। हमें इन हरकतों के लिये शर्म आनी चाहिये।

सरकार के सामने केवल एक बात प्रतीत होती है कि किस शिक्षक संघ को मान्यता दे। शिक्षकों के साथ हमारी हमेशा सहानुभूति रही है लेकिन शिक्षक जब बच्चों के हित का ध्यान नहीं रखते तो वे शिक्षक के नाते हमारी सहानुभूति भी खोते जाने की बात करते हैं। अधिक बच्चे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के हैं। उनकी परेशानी बढ़ाना किसी के लिए भी उचित नहीं है।

मैं एक प्रश्न मंत्रीजी से भी पूछूंगा कि आखिर उन शिक्षकों की मांगें क्या हैं और उनका सरकार के पास क्या जवाब है? उनकी एक मांग है मेडिकल बिलों के पेमेन्ट की। आज से चार साल पहले यह रकम कितनी होती थी और आज कितनी है। यह भी देखने की बात है। पहले से पच्चीस गुना बिल बने हैं। अब सरकार इसे देखे। अगर वे बिल सही नहीं है तो तुरन्त दोषी को दण्ड भी दे और जिनका वाजिब है तो उनको मानने में इतनी देरी का क्या कारण है। देरी लगाने वालों की खबर ले। तो ये छोटी मोटी बातें तो सरकार स्वयं हल कर सकती थी। इनमें क्या कठिनाई थी उनको।

श्री अध्यक्ष : इसमें समय करीब करीब काफी हो गया है।

प्रो. श्री केदारनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेन्ट सरकार की ओर से दिया गया है वह स्टेटमेन्ट की तारीफ में नहीं आता। इस स्टेटमेन्ट ने तो उल्टे काफी कनफ्यूजन पैदा कर दिया है। इस ने शिक्षक वर्ग में दो डिविजन पैदा कर दी और उनमें यह टेम्पटेशन पैदा कर दिया कि कौन सरकार से पेट्रोनेज सीक करने आवे।

आप चाहते हैं कि उनकी मांगें सही हो या न हों उससे पहले आप मान्यता की बात का फैसला करना चाहते हैं। मैं निवेदन कर दूं कि जहां मास मांगें हों, कलेक्टिव बारगेन हो, इण्डिविजुअल आज की पोलिटिक्स में कोई कीमत नहीं रखता। यह मेरी अपनी धारणा है। इसलिये हम स्टेटमेन्ट ऐसा चाहते हैं मान्यवर कि जिसमें उनकी मांगों के बारे में सरकार का मन्तव्य हमारे सामने आवे।

(श्री केदार नाथ)

आपने केवल तीन मांगों का स्पष्टकरण किया । न बारह मांगों के बारे में आपने कहा न बाइस मांगों के बारे में कुछ जिक्र किया । तो क्या हम ऐसा समझें कि आपने सभी मांगें मान ली हैं ? सीनियर टीचर्स, जो लगातार 15 सालों से एक ग्रेड में हैं सेचुरेशन पोइन्ट पर पहुंच गये हैं, उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं स्पष्टीकरण आपने कुछ नहीं दिया।

कानफीडेन्शल रिपोर्ट के नाम पर मास रिटायरमेन्ट आप करने जा रहे हैं, जैसा कि पिछले दिनों सुना गया था और कुछ लोगों को अन्य अन्य विभागों में आपने रिटायर भी किया है । इस बारे में भी आप ने चुप्पी साध ली ।

राणावत कमीशन के बारे में भी आपने कोई रिफलेक्शन नहीं दिया ।

यह भी उनकी मांग है कि सी. आर. लिखने का तरीका बदला जावे । इस बारे में भी आप चुप ।

भण्डारी कमेटी की रिकमण्डेशन पेश हो गई । पर एक कमेटी और बिठा दी। इसकी रिपोर्ट कब आवेगी । कब तक लोग बेट करेंगे । इसके लिये भी आप चुप ।

इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेटमेन्ट में यह सारा उल्लेख होना चाहिये था । अब माइनोरिटी या मेजोरिटी किसकी है और आप किसको मान्यता देते हैं इस बारे में अगर आपने कोई क्रेरीकुलम बना लिया है तो एक को मान्यता दे दीजिये । फिर दूसरे को इण्डिविजुअल कैपेसिटी में बुलाने का अधिकार आपको नहीं है । आज हम श्रीमान, देख रहे हैं कि टीचर स्कूल में नहीं जा रहे हैं । अब यह मूवमेन्ट किसने पैदा किया यह सारी गड़बड़ी किस के कारण से है ? मैं चार्ज करता हूं कि यह सरकार को अपने आपकी कि देन है । आप के आदमियों की है, आप भुगतें इसे । अब तो स्पष्ट बात यह कहें कि आप इन मांगों के बारे में सरकार की यह नीति है और यह कहना है ।

आपने बताया नेशनेलाइजेशन की बात । यह आल इण्डिया पालिसी है यह कहकर आपने बात टाल दी । आपकी भी तो पालिसी होगी इस बारे में । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पूछती है तो आप भी तो अपनी नीति फॉर्म करें । जैसे दिल्ली इत्यादि में हरियाणा वगैरह में, केरल में सवाल चल रहा है। केरल में तो बिल पेश हुआ । तो आप क्या इसी लेवल पर चलना चाहते हैं या आपकी पालिसी इनसे भिन्न होगी । तो हरेक मांग के बारे में स्टेटमेन्ट आपका स्पष्ट नहीं है । कनविंसिंग भी नहीं है । मान्यता का सवाल तय करना है तो तय कर देना चाहिये । कमेटी और नियुक्त कर दी । मैं पूछता हूं कमेटी किस बात की ? कमेटी अगर बनाते हैं तो इसका मतलब है मान्यता का सवाल रिओपन करने की आपकी मंशा है । कभी इस मामले को क्लोज करते हैं कभी रिओपन कर लेते हैं, तो इस तरह से यह स्टेटमेन्ट कनफ्यूजन पैदा करता है । मांगों के बारे में जब तक आप क्लेरिफिकेशन पेश नहीं करते हैं मैं इस स्टेटमेन्ट को तब तक मन्जूर नहीं करता ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरा केदारजी से इतना सवाल है, शिक्षक स्कूलों में जावें या नहीं जावें।

श्री अध्यक्ष : इस स्टेटमेंट पर हमने काफी समय लगाया है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा मैंने कहा समय तो अंकित करना ही पड़ेगा। कष्ट भी होता है, बोलने का जो प्रलोभन है उसको रोकना कठिन है, यह मैं मानता हूं। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और इसे अब यहीं समाप्त करना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री जो कुछ कहना चाहें तो कहें नहीं तो मैं समाप्त करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मैं अर्ज करना चाहता हूं गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं 22 मांगें हैं। विशेष का ही मैं विवेचन करूंगा। सबके बारे में विवेचन करता तो लगभग 3–4 घण्टे का समय लगता। मेरे पास इसकी बहुत सारी रिपोर्ट है। सरकार की क्या नीति है। आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना सकता हूं।

कई माननीय सदस्य : टेबिल पर रख दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : इसको टेबिल पर रखे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई माननीय सदस्य किसी मांग के बारे में जानकारी चाहें तो मैं दे सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उप नेता महोदय ने जो उत्तर दिया, मैं मानता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

(माननीय सदस्यों के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष : मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ना में दूं ऐसा क्यों अवसर देते हैं। राज्य गृह मंत्री जी।

दिनांक 16 फरवरी, 1973 को राज्य कर्मचारियों एवं श्रमिकों के जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज सम्बन्धी वक्तव्य

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16–2–73 को सांयकाल लगभग 6 बजे राजस्थान श्रमिक एवं कर्मचारी संगठन समन्वय समिति के द्वारा आयोजित करीब 2,000 व्यक्तियों का एक जुलूस अजमेर रोड का पुल पार कर सिविल लाइन्स की ओर पहुंचा। पुलिस ने रेल्वे फाटक के पास ही जुलूस को रोका। यहां पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये समुचित प्रबन्ध था। प्रदर्शनकारियों को महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने के लिये अपना प्रतिनिधि मण्डल भेजने को कहा गया किन्तु वे सहमत नहीं हुये और सभी प्रदर्शनकारी बल पूर्वक राजभवन में प्रदर्शन करने को आमादा हुये। उपस्थित दण्डनायक ने उन्हें समझाया, किन्तु उन्होंने बलपूर्वक पुलिस पंक्ति (कार्डन) तोड़ने का प्रयास किया। अतः दण्डनायक ने इस भीड़ को गैर कानूनी घोषित किया और उन्हें वहां से हट जाने का आदेश दिया। इस आदेश की प्रदर्शन-कारियों ने कोई परवाह नहीं की और

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

उन्होंने पुनः पुलिस पंक्ति तोड़ने का प्रयास किया तथा पथराव भी शुरू कर दिया। इस स्थिति में दण्डनायक के आदेश से अश्रु-गेस का प्रयोग किया गया और भीड़ को पीछे धकेला गया। इस कार्यवाही से भीड़ तितर बितर हो गई।

उपरोक्त घटना के दौरान 13 पुलिस कर्मचारियों के चोटें आई और 3 प्रदर्शनकारियों के भी चोटें आई जिनका अस्पताल में उपचार हुआ।

जहां तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता को लागू करने का प्रश्न है वह आदेश 17 फरवरी, 1973 को आठ बजे सांयकाल से लागू किया गया है। यह आदेश 18–3–73 तक अथवा जब तक कि उससे पूर्व इसे निरस्त नहीं कर दिया जावे अथवा वापिस नहीं लिया जावे, लागू रहेगा।

यह आदेश राजस्थान शिक्षक संघ तथा राजस्थान श्रमिक एवं कर्मचारी संगठन समन्वय समिति के आन्दोलनों द्वारा ,उग्र रूप धारण कर लेने से तथा विधानसभा भवन के बाहर तथा सिविल लाइन्स में हिंसात्मक कार्यवाहियां करने से लागू किया गया है।

आन्दोलनकारियों ने अपने आन्दोलनों को और भी उग्र रूप देकर शान्ति एवं व्यवस्था में विघ्न डालना चाहा है और राजकीय कार्यालयों एवं भवनों पर घरने, भूखहड़तालें, पिकेटिंग करने को घोषणायें भी की हैं और शान्ति भंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस आतंक, हिंसा, अवरोध, जनधन की क्षति तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था के हनन को रोकने के लिये यह आदेश जारी किये गये हैं। यह आदेश सचिवालय के पास के क्षेत्र में और सिविल लाइन्स के कुछ क्षेत्र में प्रभावशील है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि क्या यह सही है कि श्रम संगठन समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री रामलाल खण्डेलवाल और दूसरे जो नेता थे, वे वहां पर उपस्थित, जो दण्ड नायक थे, उनसे शिष्ट मण्डल को भेजने के बारे में बातचीत कर रहे थे और उधर उनकी बातचीत हो रही थी और उधर लाठी चार्ज हो गया। क्या यह बात सही है—इसका उत्तर दे दें। नम्बर 2, यह बात जो आपने कही वहां पर लाठी चार्ज शुरू करने से पहले और अन-ला-फुल असेम्बली घोषित की, इस प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी। यह बात दुरुस्त नहीं है। यह बात सरासर गलत है, मन गढ़न्त है। वहां पर किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई वरना माननीय मंत्री जी बतायें किसके जरिये की, किससे ऐलान किया गया मैंने जा जा कर सबसे पूछा है किसी से भी ऐसा कहते नहीं सुना। यह रामलाल खण्डेलवाल को भी आश्चर्य है और दण्ड नायक को इस बात का आश्चर्य है। पुलिस आफिसर्स, जो इन्टरैस्टेड थे और यह चाहते थे कि किसी तरह कन्फ्रन्टेशन हो। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों के वहां चोटें आई थी उसका बदला निकालने की दृष्टि से कुछ अधिकारियों के दिमाग में था। यह पूर्व नियोजित था। शान्ति पूर्ण जुलूस को ऐसा लगता है, क्योंकि उनका तो डेपूटेशन मिलने वाला था और उनको एक ज्ञापन पेश करना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

था इसलिये वहां गये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने इससे पूर्व लिखकर सूचना भेजी थी—चिट्ठी राज्यपाल महोदय से समय मांगा था। इस बात का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है उस जुलूस की जो समस्या है, जो कर्मचारियों और श्रमिकों की समस्या है वह रखना था इसके अलावा कोई अशान्ति पैदा करना नहीं था। आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसको कवर करने की कोशिश की है। मेरा यह निवेदन करना है कि वे लोग ज्ञापन नहीं दे सके और···

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछ रहे हैं या क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने उस ज्ञापन को पढ़ने को कोशिश की ? क्या उसमें यह मांग नहीं की गई थी कि ऐसे स्टाकिस्ट को और ब्लेक मार्केटियर्स को, जो अपने स्टाक को रोक कर माल मंहगा कर रहे है, उस पर छापा मारिये ? क्या आपने इस पुलिस का उपयोग उस काम के लिये किया ? उसका करने के बजाय आपने उनके खिलाफ किया। क्या इसका मतलब यह है कि आप उस लाठी चार्ज से यह उत्तर दे रहे हैं। आप ब्लेक मार्केटियर्स के खिलाफ लाठी चार्ज नहीं करना चाहते हैं वरना जो खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं उनके खिलाफ ही आप कार्यवाही करना चाहते हैं।

अन्त में मैं यह पूछना चाहता हूं वहां पर जब सरकार ने घोषणा की कि हम फूड ग्रेन्स–गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लेना चाहते हैं उस ज्ञापन के अन्दर क्या इस प्रकार की मांग नहीं थी; क्या गवर्नमेंट की पालिसी ऐसी थी जिसमें उनको सहयोग देना था। ब्लेक मार्केटियर्स, जो फस्ट्रेट करना चाहते हैं, जिन्होंने नोटिस दिया है कि 1 अप्रेल से व्यापार बन्द कर देंगे, उनके खिलाफ एक्शन लें। उस पर वे सहयोग कर रहे थे यह दृष्टिकोण उस ज्ञापन में था किन्तु उन पर लाठी चार्ज करके और इस तरह चोटें लगाकर क्या यह घोषणा सरकार की नहीं करना चाहते हैं कि वास्तव में जो थोक व्यापार की बात है, उसकी आप अमली रूप नहीं देना चाहते हैं और जो लोग करना चाहते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में जो तथ्य हैं और जो स्टेटमेंट दिया है वह वास्तविक स्थिति के प्रतिकूल है। आप निष्पक्ष जांच करवाइये इसमें किन्हीं पुलिस अधिकारियों का हाथ मिलेगा, जिन्होंने जान बूझकर स्थिति नहीं होते हुए भी भयंकर लाठी चार्ज और ब्लड शेड करवाया। मजदूर श्रमिक अपनी मांगों को बहुत उसूल की मांग समझते हैं कि देश में फूड ग्रेन्स का व्यापार सरकार अपने हाथ में ले। आपने उसको दबाने की कोशिश की इसलिये इसके खिलाफ एक जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : और कोई पूछना चाहता है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार जयपुर) : पुलिस, जिन्होंने लाठी चार्ज किया, वह गवर्नर के बंगले से कितने फासले पर थी, यह बता दें। मेरी जान-

(श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली)
कारी यह है कि गवर्नर का बंगला आस पास था नहीं। वह चौराहे पर दूर थे और वहीं पर लाठी चार्ज किया गया। यह भी बतायें कि क्या गवर्नर के बंगले में घुसने की कोशिश की। गवर्नर का बंगला बहुत दूर था। आप बतायें वह कितने फासले पर था।

श्री दलपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि दण्ड नायक के आदेश देने के बाद कि भीड़ यहां से आगे न बढ़े और दूसरे आदेश देने पर कि अश्रु गैस का चार्ज किया जाये या लाठी चार्ज किया जाये इसमें कितने समय का फर्क रहा? आपके पास समय होगा कितने बजकर कितने मिनट पर उनके नेताओं से बात की और कितने मिनट पर आदेश दिया कि लाठी चार्ज और अश्रु गैस का प्रयोग किया जाये?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): मेरा भी एक प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि वहां पर वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ। नेता लोग खड़े खड़े बात कर रहे थे और लाठी चार्ज हुआ। मेरी जानकारी यह है कि दूर खड़े हुए लोगों को बुलाकर उनके ऊपर लाठी प्रहार किया गया और जो लोग रास्ते पर जा रहे थे उनके ऊपर भी लाठी प्रहार किया गया और वहां पर लाठी चार्ज हो रहा था। कई लोग अपने जूते और दूसरा सामान जो उनके पास था ऐसे जाते हुए लोगों के ऊपर लाठी प्रहार किया गया। इसलिए मेरी मांग है कि सही स्थिति की जानकारी के लिए एक जांच समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष जी, यहां इस विधान सभा के पास भी एक प्रदर्शन हुआ। 4–4॥ बजे लाठी चार्ज हुआ और उसके बाद लाठी चार्ज दूसरे स्थान पर हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहां जो पुलिस का बन्दोबस्त था एस.पी., डी. एस.पी., कान्सटेबल्स जो कुछ भी घेराव यहां पर था और यह भी प्रश्न था कि कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए तो यहां जितना स्टाफ पुलिस का आफिसर्स से लेकर दूसरे लोग थे वह स्टाफ यहां से वहां तब्दील हो गया और लाठी चार्ज जहां कहीं कमजोरी रही तो वहां पूरी तरह से किया?

श्री रामानन्द अग्रवाल : और यहां के घायल भी वहीं ट्रान्सफर हो गए?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न मेरा भी है। वह प्रश्न यह है कि 11 आदमियों का एक प्रतिनिधि मण्डल मिलने वाला था··

श्री अध्यक्ष : वह तो सब को मालूम था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और काफी दूरी का फासला था। फिर कौनसी उत्तेजना थी? आपने अपने सारे के सारे बयान में नहीं बताया कि कौनसी और किस प्रकार की उत्तेजना उस भीड़ में पैदा हो गयी या किस प्रकार का एप्रीहैन्शन पैदा हो गया? फासला भी दूर और डेलिगेशन भी तैयार मिलने के लिए, फिर क्या स्थिति पैदा हो गई कि जिसमें इतनी दूर से इस बात का विचार कर लिया गया कि राजभवन के अन्दर प्रवेश कर जायेंगे?

प्रो. श्री केदारनाथ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह था कि समन्वय

(श्री केदारनाथ)

समिति द्वारा घोषित प्रोग्राम था। न तो मन्शा थी पुलिस से क्लेश करने की, न 144 धारा को वायोलेट करने की, फिर आपका एप्रीहैन्शन कैसे हो गया कि पीस वहां भंग हो जायेगी ? आपने एक रोज पहले 144 धारा लगा दी, प्रिकाशन्स के लिए तो आपने कैसे सोच लिया कि जब जुलुस मार्च करेगा तो यह आगे बढ़ेगा और 144 धारा का वायोलेशन हो जाएगा ? फिर आपको मालूम था कि 11 आदमियों को जाना था और राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देना था। कभी ऐसी मन्शा नहीं थी, कोई इन्टेन्शन नहीं थी और वहां सेन्टर के एम्पलाईज और स्टेट के एम्पलाईज और दूसरे श्रमिक थे और सारों की एक मिलोजुली समन्वय समिति थी। इसलिए जैसी उनकी मन्शा थी उनके ऊपर लाठी चार्ज करना गलत था।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक ही मिनट आपकी आज्ञा से बोलूंगा। यह बड़ा नाजुक प्रश्न है, ला एण्ड आर्डर का प्रश्न है। इसके अन्दर विशेष पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता और माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनका राज्य मंत्री महोदया जवाब देंगी। मैं तो एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा और वह यह है कि क्या गवर्नमेन्ट हाउस, क्या यह विधान सभा यहां पर एक प्रदर्शन सा हो रहा था जैसे कि 'बेलीजरेन्ट बेटलमेंट के फोरट्रेसेस' हों। हम जनतन्त्र में हैं और इस जनतन्त्र के अन्दर इसकी भी शान होती है, इसकी भी मर्यादायें और परिधि होती हैं। इस तरह का अभद्र प्रदर्शन कि कोई तो हैलमेट लगाकर बैठा है कोई यूनीफार्म में कसे हुए डंडे लेकर बैठे हैं। यह बड़ी अभद्र चीज है। इतनी बड़ी सरकार, जिसके इतने लम्बे चौड़े हाथ हैं अगर इस तरह का अभद्र प्रदर्शन सरकार रोक नहीं सकती-इसका जनता के ऊपर भी क्या असर होगा ? मेरे ऊपर तो अच्छा असर नहीं होता है। इस बारे में भी सरकार को चाहिए कि ओवर प्रिकाशन लेकर निहत्थे लोगों के ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था करना मेरे ख्याल में रोब, दबदबा यह तो आटोक्रेसी के जमाने में हो सकता था, आज का जमाना तो इसके लिए, मेरे ख्याल से, ठीक नहीं है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूं। 16 तारीख की घटना का जिक्र हो रहा है उसी सन्दर्भ में मैं राज्य मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूं, जैसा कि सब कह रहे हैं कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी यह है और मेरी व्यक्तिगत जानकारी यह है उसी प्रकार मैं भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कुछ तथ्य निवेदन करना चाहती हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि हर बार हम लोग, चाहे प्रदर्शन हो या कुछ भी हो और उसमें किसी तरह से भी शरारत हो, पुलिस को और शासन को ही दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन आप जानकारी करायें कि जो लाठी चार्ज हुआ उसमें पहल किसने की और जो शान्त निहत्थे लोगों की बात माननीय महारावल साहब ने कही उससे भी मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि जो प्रदर्शन था वह बैनर्स से बांस निकाल करके झपटे हैं, बड़ी पत्थरबाजी उन्होंने की है और पुलिस अपने बचाव में पीछे हटी है और कहना कि पुलिस मानक चौक तक भागी है ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसे स्थान के लिए कह रही हैं ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : इसलिए प्रश्न है लॉ एण्ड ऑर्डर का। एक तरफ तो हम पुलिस से चाहते हैं कि वह लॉ एण्ड ऑर्डर बनाये रखे और दूसरी तरफ हम ऐसी बातों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जिससे कि पुलिस डीमोरेलाइज हो जाये, प्रशासन डीमोरेलाइज हो जाये। इन बातों को हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि असलियत क्या है ? इसलिए मैं मंत्री महोदया से इस बात का निवेदन करूंगी कि कम से कम इसकी जांच कराई जाये कि जो खून के कपड़े यहां दिखाये जा रहे थे वह जनता के थे या पुलिस वालों के थे। इसकी भी जांच कराये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय महारावल साहब ने जो बात कही वह बड़ी अहमियत की है और वह न 16 तारीख से और न 17 तारीख से सम्बन्ध रखती है। बात यह है कि विधान सभा भवन के अन्दर आते ही जैसे ही हम लिफ्ट के पास आते है तो हमें लगता है कि जैसे हम पुलिस के घेरे में चारों तरफ से घिरे है··

श्री अध्यक्ष: मैं एक बात कहूं। माननीय सदस्य (श्री लोढा) बैठे। कृपया आसन ग्रहण करें।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तवा: यहां विधान सभा की मर्यादा की रक्षा के लिए पुलिस हैं··.

श्री अध्यक्ष : आप भी बैठें मेरी बात सुन लें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज के विषय का जो स्टेटमेन्ट था वह रेल्वे क्रासिंग पर सिविल लाइन्स के पास में मारपीट हुई और धारा 144 लगी उसी संबंध का वक्तव्य था और यहां का वाकया आज का विषय नहीं है इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय राज्य मन्त्रीजी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं एक मिनिट के लिए स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह कपड़ों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह : यह आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। गुमानमलजी ने उस रोज बतलाया था और बड़े जोर 2 से चीख रहे थे कि यह खून के कपड़े जनता के हैं। अगर वे पुलिस के ही खून के रूमाल थे तो बहुत शर्मनाक बात है।

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल : आप तो राज्यपाल के भाषण का मजा ले रहे थे।

श्री गुमानमल लोढा : जो मैंने रूमाल प्रस्तुत किया था और जिस पर खून लगा हुआ था वह शिक्षकों के शरीर पर पुलिस के लाठी चार्ज से वहा खून था। पुलिस की लाठियों से लोगों के चोटें लगी हैं। मैंने उसी समय माननीय शिक्षा मन्त्री से कहा था और शिक्षा मन्त्री ने यह कहा था कि पुलिस वालों के चोटें लगी हैं। अगर पुलिस वालों के चोटें लगी हैं तो यह भी दर्दनाक है। लेकिन जिस साम्राज्यवादी तरीके से पुलिस ने लाठी चार्ज किया और पुलिस

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कहती है कि सेल्फ डिफेंस में लाठी चार्ज करती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ब्रिटिश सल्तनत के जमाने में तो सुना करते थे, वह कहा करते थे, जब आजादी के दीवानों को पकड़ पकड़ कर जेलों में ठूंस दिया जाता था, उनके प्रदर्शनों के लिए कहा करते थे कि किराये के लोग लेकर आते थे। पुलिस हमेशा यही कहती है कि सेल्फ डिफेंस में लाठी चार्ज करती है। आज इस बात का···

[शोरगुल–अश्रव्य]

श्री श्रीराम गोटेवाला : माफी मांग कर आए थे।

श्री गुमानमल लोढा : लाठीचार्ज हो, गोली काण्ड हो, अश्रु गैस के बम्ब फेंके जावें, तो जो उस दिन अश्रु गैस के बम्ब फेंके गए वे भी शिक्षक अपने साथ लेकर आए थे। खून यहां पर सावन भादों के पानी की नदियों की तरह बहा है··

(शोरगुल अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री खेतसिंह : बिल्कुल झूंठ।

श्री फूलचन्द जैन : चिकित्सा मंत्री जी को खून इकट्ठा कर लेना चाहिये था अगर इतना बहा है तो।

श्री अध्यक्ष: कुछ नतीजे की बात हो तो फरमावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: खून का दरियाव बह गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन···

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : औरतों के गन्दे कपड़े तो नहीं उठा लाए थे।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, आज यहाँ कोई प्रदर्शन होने वाला नहीं है, किसी प्रकार की शांति भंग होने की अपेक्षा नहीं है··

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पोइन्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा : विधान सभा भवन के चारों ओर पुलिस खड़ी रहे···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पोइन्ट आफ आर्डर अध्यक्ष महोदय। आज जिस विषय पर बहस हो रही है उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं बन्द कर रहा हूं। राज्य मंत्री जी।

श्री मनोहरलाल : मेरा एक पोइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : नो।

श्री मनोहर लाल : बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो हम भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री जी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, झण्डा लेकर आते हैं तो झण्डे के साथ तो डण्डा भी आएगा । डण्डे में झण्डा लगाकर लायेंगे ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष: राज्य मंत्री जी फरमायें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री-गृह) : माननीय अध्यक्षजी, मैंने जो सदन के सामने विवरण प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट तौर पर बतलाया है कि जुलूस जो आ रहा था उसको सिविल लाइन्स के रेल्वे क्रोसिंग के सामने, जो सर्किल है उसके पास में रोका गया । वहां से गवर्नर साहब का बंगला कितनी दूर पड़ता है वह हम सब लोग जानते हैं । उसके बीच में एक बंगला प्राईवेट है, दूसरा मुख्य मंत्री जी का है और तीसरे नम्बर पर माननीय गवर्नर साहब की कोठी आती है । जिस वक्त उनको रोका गया उस वक्त उनको यह भी समझाया गया कि आप सब लोग गवर्नर साहब के बंगले पर नहीं जाकर के और सिर्फ कुछ प्रतिनिधि अपने ज्ञापन के साथ में माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने जावें तो उचित होगा । उस समझाने के विपरीत भी जब उन्होंने यह आग्रह किया, कोशिश की, नाजायज प्रयत्न किया, हम सब जाना चाहते हैं और सभी प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसको पुलिस ने इन्कार किया और फिर भी उनको प्रतिनिधि मण्डल भेजने के लिए बराबर समझाया गया । और बार बार समझाने के बाद भी जब पुलिस कोर्डन को तोड़ने की कोशिश की गई और पथराव शुरू हुआ तो फिर उसके बाद में दण्ड नायक महोदय ने यह आदेश दिया कि अश्रु-गैस का उपयोग किया जाय । अगर पथराव नहीं हुआ होता और सिर्फ आपस की खींचतान ही हुई होती तो शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ती । लेकिन पथराव जब शुरू हो गया तो उससे बचने के लिये और व्यवस्था कायम रखने के लिये दण्डनायक महोदय को यह आदेश देना पड़ा ।

दूसरी एक बात और पैदा होती है कि लाठी चार्ज किया गया । मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से बतलाया है कि उनको ढकेल दिया गया, लाठी चार्ज जैसा कोई काम नहीं हुआ और लाठीचार्ज किए जाने का आदेश नहीं दिया गया, केवल अश्रु गैस का उपयोग करने का आदेश दिया गया ।

इसके बाद में एक प्रश्न यह आया कि जिस वक्त उनको यह समझाया गया कि आपको सिर्फ प्रतिनिधि मण्डल भेजना है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : किससे वह बात कही पुलिस ने । रामलाल खण्डेलवाल से मजिस्ट्रेट ने बात की ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्रदर्शनकारी के प्रतिनिधि मंडल के जो मुखिया थे उनसे यह बात की गई...

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने इन्कार किया ? यह बात सही नहीं है आप फिर पता लगावें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है और पुनः निवेदन

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

करना चाहती हूं कि उन्होंने इन्कार किया और जबरदस्ती पुलिस कोर्डन तोड़ कर आगे बढ़ने की चेष्टा की। उनको जब रोका गया तो प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया तब अश्रु गैस का प्रयोग किया गया। केवल अश्रु गैस का प्रयोग करने का आदेश दिया गया इसके अलावा न तो लाठी चार्ज, करने का आदेश दिया गया और न ही लाठी चार्ज किया गया।

जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस किसी ज्ञापन को प्रस्तुत करने से किसी प्रतिनिधिमण्डल को रोकना नहीं चाहती थी और इसलिये उनसे यह कहा गया कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिनिधि मण्डल माननीय राज्यपाल महोदय से मिलकर अपना ज्ञापन पेश करें। उनका जो भी ज्ञापन था और जिसमें जो भी मांगे थीं, उसको वे माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करते और वह राज्य सरकार के सामने आने पर सरकार उस पर विचार करती और आगे भी करेगी इसमें कोई दो बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो आपने अभी बात रखी है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ तो आपने यह माना है कि तीन आदमी प्रदर्शनकारियों में से जख्मी हुए हैं। उन आदमियों के किस किस्म के जख्म हैं। क्या यह सही नहीं है कि धर्मपाल, जो कि अस्पताल में दाखिल है, उसके कितनी ही लाठियों की, करीब पचास लाठियों की चोटें हैं। मेडिकल एग्जामिन भी शायद हुआ है। अगर लाठियों की चोटें हैं तो धकेलने से लाठियों की चोटें कैसे आ जाएगी? एक आदमी की हड्डी टूटी है, फ्रेक्चर हुआ है। तीसरे आदमी की भी इसी तरीके की स्थिति है, जिसमें उसके बहुत सी चोटें आई हैं। बहुत सों ने इसलिए वहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया मैं निवेदन करता हूं कि खुद आपके थानेदार ने, जिसको नाम पता नहीं मालुम था, जो भी वहां पर मेडिकल एग्जा-मिनेशन कराने लगा, उसका नाम लिख कर गिरफ्तार कर लिया और कहा कि जमानत लाओ। लोग कह रहे थे कि वहां पर इलाज कराने से तो अच्छा है कि कहीं और जगह पर मरहम पट्टी करा लें, व्यर्थ में केस में फसेंगे। इनको भी छोड़ दें तो भी आपके पास जिन तीन आदमियों के नाम हैं, जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है और अस्पताल में हैं उनमें धर्मपाल हैं, उसके, अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर से पचास लाठियों की चोटें हैं। इस वक्त तक भी शायद आप देख लें, स्वस्थ नहीं हुआ है। इसलिये लाठीचार्ज निश्चित तौर से हुआ है यह आपको गलत सूचना दी गई है।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, लाठीचार्ज किया गया या लाठियों से धकेल दिया गया इसकी नई परिभाषा कर दी गई है। लाठी चार्ज करेंगे तो सिर में लगेगा और लाठी से धकेलेंगे तो पेट में लगेगी। जब लाठी चार्ज नहीं किया गया तो फिर शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोटें कैसे लग सकती हैं? लाठियों से धकेला गया तो फिर लोगों की हड्डी कैसे टूट गयी?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी संतसिंह जो वहां देखने के लिए गए थे और जो खड़े हुए थे उनका सिर फोड़ दिया। उन्होंने कहा भी कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हम तो देख रहे हैं फिर भी उनके लाठी मार दी और उनका सिर फोड़ दिया। फिर हम तो इन्क्वायरी की मांग कर रहे हैं जिससे तथ्य सामने आ जाय।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जिन धर्मपालजी के चोटें आई हैं और जिनका जिक्र कर रहे हैं और जिन तीन प्रदर्शनकारियों के चोटें आई हैं, उनके अन्दर कोई ऐसा नहीं है जिसके फ्रेक्चर हुआ हो या ग्रिवियस हर्ट आई हो। सिर्फ सिम्पल इंजरी आई है और उनका फर्स्ट ऐड का काम किए जाने के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। एक सिपाही जिसको ज्यादा चोट आई है, तेरह में से एक सिपाही को चोट आयी है, उनमें से एक को ज्यादा चोट आई, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और दूसरे दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है। लेकिन जो धर्मपाल के 35 चोटें और फ्रेक्चर हुआ है उसकी अस्पताल में जांच नहीं की गयी है। मैं जांच के उपरान्त ही इसके बारे में निवेदन कर सकती हूं। जो अस्पताल में गए हैं और जांच करायी है उनके बारे में यहां पर कहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तीन चोटें, चार चोटें आई हैं तो उसका मेडिकल सर्टीफिकेट आपने देखा है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने यह नहीं कहा है तीन या चार चोटें आई हैं। यह कहा है कि तीन या चार व्यक्तियों के चोटें आई हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो यह लिखा होगा। पत्थर की चोट और लकड़ी की चोट में बहुत बड़ा फर्क होता है। यह चोट पत्थर की है या लकड़ी की है, यह डिस्टींक्शन मेडिकल सर्टिफिकेट में किया गया होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, लाठी चार्ज मजिस्ट्रेट के आर्डर से नहीं हुआ है। यह बात मंत्री महोदया ने यहां पर कही है। परन्तु अगर लाठी चार्ज नहीं हुआ है तो ये व्यक्ति कैसे घायल हो गये हैं। आप जरा इस बात को देखें। धर्मपाल का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। उसकी रिपोर्ट को आप मंगवाकर देखिये और डाक्टरों से भी पूछ लीजिये जो मेडिकल ज्यूरिस्ट हैं। मैंने स्वयं उनको देखा है। अगर उनके लाठियों की चोट है तो लाठीचार्ज हुआ है और जिन लोगों ने लाठी चार्ज किया है वे अवश्य ही सजा के भागीदार हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वाट इज दी ओपीनियन ऑफ दी डाक्टर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप इस तथ्य की जांच करेंगी? यह अनआथोराइज्ड लाठीचार्ज किया गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने इस तथ्य को दो तीन बार कन्फर्म कर लिया है और उसके बाद ही सदन को पेश किया है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है और जिस व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं कि उसके इतनी चोटें लगी हैं वे लाठी की हैं या पत्थर की हैं और उनका डॉक्टरी मुआयना

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

हुआ है इसको मैं जांच कर के ही निवेदन कर सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल सकते हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय,

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : एक मेरा—एडजोर्नमेन्ट मोशन था उसका उत्तर देने के लिये कहा गया था।

श्री अध्यक्ष : वह आज के लिए नहीं है। कमरे में आकर बात कर लीजिये।

(1.42 बजे)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद के प्रस्ताव के प्रसंग में मैं अपना निवेदन कल कर रहा था। मैंने इस अभिभाषण को फिर से पढ़ा है, मनन किया है और चिन्तन किया है और राजस्थान की सारी परिस्थितियां, उपलब्धियां और अभाव इन सब के बारे में विचार किया। वास्तव में सब से अधिक शंका का विषय है तो यह है कि राजस्थान के राज्यपाल ने अपने भाषण के अन्दर हमें इस बात का आश्वासन नहीं दिया है कि राजस्थान का एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरने दिया जायेगा। यह तो मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने इस बात की उपलब्धि नहीं की कि राजस्थान का कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा। इसके बारे में विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं परन्तु ढाई करोड़ जनता के अन्दर एक करोड़ 33 लाख जनता अभावग्रस्त है, अकाल से पीड़ित है। क्या राज्य सरकार इस बात के लिये कृत संकल्प है कि इस अकाल में किसी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जायेगा ? इस बारे में राज्यपाल महोदय द्वारा कोई उद्बोधन नहीं करना इस बात का संकेत है कि राज्यपाल महोदय और राज्य सरकार इस बात से पूर्णतया परिचित हैं कि स्थिति बिगड़ चुकी है। राज्य सरकार के पास में साधनों का अभाव है, प्रशासन अकर्मण्य है, भ्रष्टाचार और लालफीताशाही है। भाई-भतीजावाद है, आपाधापी चल रही है और जो करप्शन फेवरटिज्म है उसके कारण यह सब करना राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं हो पा रहा है। मुझे इस बात को कहते हुए दुःख होता है कि केन्द्र के अन्दर राजस्थान की लाबी इस बारे में सक्रिय नहीं है। राजस्थान के मंत्री, जो राजस्थान की तरफ से चुने गये हैं, वे व्यक्ति हमारी ओर से वहां पर राजबहादुर हैं, रामनिवास मिर्धा हैं और जगन्नाथ पहाड़िया हैं, पार्लियामेंट में कई सदस्य हैं, लेकिन यह कहते हुए दुःख होता है कि हमारे ये साथी प्रधानमंत्री और उनके साथियों को दुर्भिक्ष की, जो विभिषिका राजस्थान में व्याप्त है उसे वे पूरी तरह बता नहीं सके हैं। यही कारण है कि भरपूर सहायता नहीं जुटा पाये हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसके बारे में प्रस्तावक महोदय ने अपने विचार रखते

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हुए अपनी वेदना व्यक्त की। केन्द्र द्वारा राजस्थान के साथ इस सम्बन्ध में ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यह स्टेप मदरली ट्रीटमेन्ट क्यों दिया जा रहा है, महाराष्ट्र के अन्दर अरबों रुपया राहत कार्य के लिए लगा दिया गया है। चार-चार रेल्वे लाईनों पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। खाद्य मंत्री श्री शिन्दे महाराष्ट्र के हैं वित्त मंत्री श्री चव्हाण महाराष्ट्र के हैं। खाडिलकर साहब और अन्य मंत्री महाराष्ट्र के हैं। इस वजह से ये राहत कार्य वहां पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र के अन्दर यहां के राजस्थान से खाद्य निगम में जो अनाज था, उसके गोदामों के अन्दर जो धान था वहां जो अनाज राजस्थान का भरा पड़ा था वह अनाज नवम्बर में, दिसम्बर में और जनवरी के महीने के अन्दर, जो कि राजस्थान सरकार का शत-प्रतिशत है वह अनाज बड़ी भारी मात्रा में महाराष्ट्र को भेजा गया है। यह एक लाख टन अनाज महाराष्ट्र को भेजा गया है। यह एक लाख हजार टन अनाज है। यह अनाज जो राजस्थान की भूमि का है, जिससे आप राजस्थान की जनता को दुर्भिक्ष और अभावग्रस्त व्यक्ति को बचा सकते थे, और ये अभावग्रस्त व्यक्ति अपने परिवार को बचा सकते थे, वह धान आज महाराष्ट्र को चला गया है और राजस्थानी राजस्थान के धान के लिए तरसते रहे। मैं यह बात जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार, राज्य के मुख्य मंत्री महोदय और हम सब इस बात के लिए कृत संकल्प नहीं हो सकते कि जो राजस्थान का धान फूड कार्पोरेशन में पड़ा रहे और राजस्थानी भूख से तड़पते रहे, वह अनाज भारत सरकार को तब तक नहीं देंगे जब तक कि खाद्य मंत्रालय यह बात स्वीकार नहीं कर ले कि हमने जो केन्द्र से खाद्यान्न मांगा था वह धान हमको दिया जाये। यह हमने करीब 65 हजार टन मांगा था। लेकिन केंद्र ने हमको इसका आधा धान दिया। इस कारण से हम राजस्थान के अन्दर एक व्यक्ति को, यदि यह धान दें तो आप अनुमान लगा सकते हैं किलो, आधा किलो प्रति व्यक्ति कर दें तो राजस्थान के लिए यह धान पूरा नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से तो राजस्थान की जनता को एक व्यक्ति पर सवा किलो अनाज एक महीने में दिया जा सकता है। आप अन्दाजा लगाइये उपाध्यक्ष महोदय, कि सवा किलो अनाज एक महीने के अन्दर, यह अनाज है उस राजस्थानी के लिए जो कृषि के द्वारा ही अपनी जीविका का उपार्जन करता है, कृषि पर मेहनत करता है उसको केवल सवा किलो अनाज ही हम दिला सकते हैं। महाराष्ट्र के अन्दर एक लाख टन अनाज राजस्थान से चला गया, जो कि फूड कारपोरेशन के अन्दर पड़ा था और उसको हमारी राज्य सरकार नहीं रोक सकी इससे अधिक अकर्मण्यता और क्या हो सकती है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता इस अकाल की भूख को सहन नहीं कर सकती है फूड कारपोरेशन के अन्दर धान रखा है, वह राजस्थान की धरती के ऊपर है तो वह राजस्थान की धरती के ऊपर ही काम में आना चाहिए। हमें आज इस बात के लिए कृत संकल्प होना चाहिए कि जब तक राजस्थान को धान पूरा एलाट नहीं हो जाता है तब तक यह अनाज, जो फूड कारपोरेशन के गोडाउन के अन्दर भरा पड़ा है, वह अनाज

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बाहर नहीं जाएगा। यह अनाज महाराष्ट्र को नहीं जा सकता है, गुजरात को नहीं जा सकता है और यह अनाज राजस्थान में पैदा हुए राजस्थानियों को पहले मिलेगा। यह कोई प्रान्तीयता की बात नहीं है, यह कोई संकीर्णता की बात नहीं है लेकिन वस्तुस्थिति को ध्यान में रख कर चलने की बात है। चेरिटी बिगेन्स फर्स्ट ऐट होम। हम भूखे पेट रह कर परोपकार नहीं कर सकते। हमारे यहां पर भूखमरी हो और हम उदारता से धान दूसरे प्रदेशों को देते रहें तो यह उदारता नहीं चल सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि कल मैं आपको यह बता रहा था और इसका विस्तृत विवरण आपको देना चाहता था। महाराष्ट्र को अनाज क्यों जावे, महाराष्ट्र को क्यों न मदद कर सके····

राजस्थान की जो स्थिति है, उसके बारे में मैं अर्ज करूं कि राजस्थान में पिछले तीन, चार, छ: महीनों में यहां के मनुष्य भूख से तड़प-तड़प कर मर गए हैं उनके कुछ नाम मैं प्रस्तुत करता हूं। बूचा गांव कोलायत में खेताराम, चेराराम इसी तरह से ओसियां का मुंशाराम। एक गांव में केवल पांच सदस्य थे। अनाज नहीं होने से भूख से मर गए हैं। सोजीराम, भैरूंराम का लडका केकड़ी तहसील में दुर्भिक्ष के कारण अनाज नहीं मिलने से भूख के कारण मर गया है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य मुंशाराम के बारे में कल आपने सदन में उल्लेख किया था। मैंने जिलाधीश को आदेश दिया तो उन्होंने वहां एक अफसर को भेजा। यहां इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर है तो जिन्दा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उसका तो बलिदान हो गया है। वह वहां जिन्दा नहीं मिल सकता। मैं कहता हूं, हमारे आदमी के साथ जाकर देखो पता चलता है या नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : मिलने की बात नहीं है। इस नाम का वहां पर कोई आदमी ही नहीं था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मगर मैं कह रहा हूं।

श्री फूलचन्द जैन : माननीय सदस्य आपका यह कहना है कि इस नाम का कोई आदमी ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि इस नाम का आदमी था जोकि अब जिन्दा नहीं है। हम आपको जिम्मेदार आदमी मानते हैं। इसको आप गम्भीरता से स्पष्ट करेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : नाम दूसरा होगा। आप फिर पढ़िये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुंशाना राम। मेरे पास लिखा हुआ है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि नाम गलत हो सकता है। लेकिन भूख से कोई मरा या नहीं?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : कोई होगा ही नहीं।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या इलेक्टोरल में मुंशियाना राम नाम हो सकता है कोई?

एक माननीय सदस्य : मुंशीयानाराम नाम हो ही नहीं सकता है।

श्री गुमानमल लोढा : अगर नाम गलत है तो मैं माननीय अकाल राहत मंत्री को नाम दे दूंगा, वे जांच करवा लें।

इसी प्रकार मैं निवेदन कर रहा था, रतनगढ़ करबाडी नाम का गांव है। रतनगढ़ इलाके के माननीय सदस्य आते हैं, वह जांच करवालेंगे। 173 घरों की आबादी है, वहां 83 आदमी गये 6 महीने में अपौष्टिक भोजन के कारण मर गये हैं। यह माननीय मन्त्री महोदय जांच करवा लेंगे। वहां उनको भोजन नहीं मिल सका। धान नहीं मिल सका। न इलाज का कोई प्रबन्ध किया गया उन्हें बचाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया। सरदारशहर जहां से माननीय वित्त मंत्री महोदय आते हैं, वहां के कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहनलाल ने बताया है। कापलसर नाम का गांव है। उस गांव के 3 व्यक्ति भूख से मर गये हैं। 2 पुरुष और 1 महिला।

श्री फूलचन्द जैन : वहां कांग्रेस का कोई अध्यक्ष मोहनलाल नाम का नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : यह मैं आप को बताता हूं। सरदारशहर के अन्दर जो नगरपालिका है, उसके अध्यक्ष हैं, वह कांग्रेस में हैं या नहीं यह मुझे पता नहीं है। वह नगरपालिका के अध्यक्ष हैं। वह कभी चन्दनमल जी के पक्ष में थे। मोहनलाल जी के पास प्रमाण था। वहां 3 व्यक्ति मरे हैं। यह कहना कि वह बीमारी के कारण मरे हैं अकाल के कारण नहीं। तो वहां पर नवज्योति का संवाददाता महेश शर्मा भी था। गांव वालों ने उनको बतलाया कि तीन-तीन दिन उनको भोजन नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य मनोहर कोठारी की जानकारी में है कि तहसील गुढ़ा में धन्ना नामक भील भूख के कारण वहां पर मर गया है। स्वयं मनोहर कोठारी ने उसकी जांच की है। नांवा तहसील की एक महिला दम तोड़ गई है। क्योंकि उसको खाना नहीं मिला है। वहां पर, कांग्रेस विधायकों की एक सभा हुई थी। सभा की जो रिपोर्ट है, वह इस बात की साक्षी है जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है। उसमें कहा है, अनाज की समस्या विषम बताते हुए, सरकार को चेतावनी दी गई कि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो स्थिति विषम हो जायगी।

नाथद्वारा के सदस्य श्री मनोहर कोठारी ने कहा कि जो मृत्यु हुई है, वह अकाल मृत्युओं के समकक्ष है। अब चाहे अकाल से मृत्यु हो या उसके समकक्ष हो, इसका क्या मतलब है, इसको सरकार सोचे।

फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य मोहनलाल छंगाणी ने कहा कि भूख, बीमारी शीत लहर और इलाज की कमी के कारण अनेक लोग उनके क्षेत्र में मर गये हैं। उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं सरकार से मांग करूंगा, इन मौतों की संख्या लगभग 300 तक पहुंच चुकी है। उसकी रोकथाम करने का कोई विचार किया गया है।

इतना ही नहीं, राजस्थान की जो दयनीय स्थिति है उस दयनीय स्थिति का वर्णन करूं आपके सामने तो मालूम होगा कि राजस्थान के अन्दर, अधिकतर जो अकाल-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

ग्रस्त इलाके हैं उनमें आज जनता कहीं घास खा कर, कहीं जनता छाछ खा कर, कहीं पेड़ों के पत्ते खा कर जीवन व्यतीत कर रही है। जिस प्रकार की घास को पशु भी नहीं खा सकते, उस प्रकार की घास को, बरूठ घास और सेमल घास को पीस कर उसकी रोटियां बनाकर खा कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह मेरा कहना नहीं है, जो अध्ययन दल यहां आया था, उसने और जगन्नाथ मेहता ने यह स्वीकार किया है। के. डी. गरनड़े, ओमप्रकाश गोयल ने अकालग्रस्त इलाकों का भ्रमण करने के बाद यह कहा है, अकालग्रस्त इलाकों में लोग मौत से संघर्ष कर रहे हैं, अधिकांश लोग रोग से पीड़ित हैं, उनको चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, लंगोटिया और घास को रोटी खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फलौदी के पास अध्ययन दल गया, तो वहां पर उनको एक परिवार मिला, जो लंगोटिया खाकर जीवन निर्वाह कर रहा था। लंगोटिया· ·

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, विधायक महोदय से, आप फर्मा रहे हैं इतनी दुर्घटना हुई। आप कहीं पधारे या नहीं? आपका अनुभव क्या रहा?

श्री गुमानमल लोढ़ा: मैने अकालग्रस्त इलाकों का दौरा किया है· · ·

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): यह तो आप अदालतें में सुनायें। आपका क्या अनुभव रहा वह यहां सुनायें।

श्री गुमानमल लोढ़ा: मैं बाड़मेर तहसील में गया, चौहटन में गया · · ·

श्री शीशराम ओला (पिलानी): लंगोटिया तो हमारे यहां यार को कहते हैं या बाबा जी को कहते हैं। लंगोटिया क्या है यह आप बता दें। वास्तव में मैं जानना चाहता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लड़खड़ाती जबान में और कब्र में पैर रखकर राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उस समय हमने रोक-थाम नहीं की और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण शांति के साथ, कान में तेल डालकर हमने सुना। आप यह चाहें· · ·

एक माननीय सदस्य: आप गलत कहेंगे तो हम बीच में बोलेंगे।

श्री गुमानमल लोढा: राज्यपाल महोदय ने जो बातें कहीं वह अधिकांश गलत थीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): राज्यपाल महोदय तो राजस्थान के नहीं उनको हिन्दी नहीं आती है। लेकिन आपको तो हिन्दी आती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा: राज्यपाल महोदय ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, दस मिनिट का भाषण हमने डेढ़ घण्टे तक सुना उनकी जबान लड़खड़ा रही थी जिस प्रकार यह सरकार लड़खड़ा रही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह: आप तो नहीं लड़खड़ा रहे हैं।

श्री शीशराम ओला: मैं निवेदन करूंगा, वास्तव में क्या है लंगोटिया?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्य बता रहे हैं। आप सुनें तो सही, लंगोटिया क्या है।

श्री गुमानमल लोढा : इस सम्बन्ध में फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य बतायेंगे। मेरा निवेदन है, अध्ययन दल जब वहां गया था तो मनचंदा साहब से वहां एक परिवार मिला। जो पेड़ की छाल होती है, उस छाल को लेकर, उबाल कर, एक तरह से गरम पानी उसको समझ लीजिए, आपके लिए तो वह सूप बन जायगा, उस सूप को वह पीते हैं और उस सूप को पीकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि मैं अकाल के दौरे पर कहां गया। मैं बाड़मेर गया, चौहटन गया, गिरबा में गया, हरसारी में गया। गिरवा में सैकड़ों व्यक्ति भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए थे, वहां दाना नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता। पटवारी ने जानबूझ कर उसको अकालग्रस्त अभावग्रस्त घोषित नहीं किया, इसलिए न वहां पर अकाल राहत कार्य खुल सके हैं और न कोई अकाल राहत मिल सकी है...

श्री दलपतसिंह (खारची) : माननीय सदस्य, जनसंघ के नेता महोदय से मेरी गुजारिश है कि इस चीज को बढ़ा-चढ़ा कर न कहें। यह सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, पड़ौसी भूख से मरता है तो सब राजस्थानियों की जिम्मेदारी है। गांव में कोई भूख से मरता है तो पहले गांव वालों को जिम्मेदारी आती है, सरकार की जिम्मेदारी बाद में आती है। इसको बढ़ा-चढ़ा कर कहेंगे और प्रचार करेंगे तो राजस्थान के लिए ही बाहर बुरा होगा।

श्री खेतसिंह : घास का तो पता नहीं, क्या बतायेंगे।

श्री मुंशीलाल महावर : उपाध्यक्ष महोदय, आप राज्यपाल महोदय को सदन में क्रिटीसाइज न करें। इस सदन में राज्यपाल महोदय को क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आप प्रशंसा की लोरिया गायें और इस सदन में उसकी आलोचना नहीं सुनना चाहें तो टोटेलिटेरियन गवर्नमेंट कर दीजिये और विधान सभा को समाप्त कर दीजिये। क्यों भाषण सुनते हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जरूर कहिये, लेकिन जोर से नहीं बोलें। जोर से बोलने से आलोचना नहीं हो जाती।

श्री खेतसिंह : आप अच्छे वकील हैं जोधपुर से जीत कर आये हुए हैं, आपको लंगोटिया घास क्या है, यह नहीं मालूम, यह लंगोटिया नहीं है लबड़ा है, लबड़ा घास की रोटी कहिये।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अगर इनका यही बतीरा रहा तो लंगोटी और कमण्डल हाथ में रह जायगा जनता के।

श्री श्रीराम गोटेवाला : महारावल साहब बराबर के माननीय सदस्य को मत दे देना लंगोटी और कमण्डल।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के प्रति आदर में न तो मेरे दल और न मुझ में कोई कमी आई है और न आयेगी । राज्यपाल महोदय ने जो मुद्दे रखे उपलब्धियों के बारे में मैं तो समझता हूँ, हमारा कर्त्तव्य है कि उसमें जो अभाव है उनकी ओर संकेत करें ।

इसी तरह से बांसवाड़ा जिले में गोजरा नामक घास खाकर लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं । उदयपुर के अन्दर चांवट गांव है, जिस समय मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल, मसूर आये थे और वहां पहुँचे तो वहां के लोगों ने उनके सामने यह बताया कि वह गऊ बछड़े और पालतू पशुओं का मांस खाकर...

श्री हीरालाल देवपुरा : यह गलत खबर है । चांवट के लोगों ने यह नहीं कहा कि वह गाय और बछड़े का मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । यह बिलकुल गलत है ।

श्री खेतसिंह : बिल्कुल गलत है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपको पता नहीं है, चांवट में किस तरह की पापूलेशन है, किस तरह के लोग वहां रहते हैं । चांवट कैसी जगह है यह आप समझ नहीं पाये हैं ।

श्री शंकरसिंह रावत : गऊ के लिये आप चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं उसके लिए आप ऐसा कह रहे हैं ।

श्री विद्यासागर : ऐसी बात नहीं है । उनके यह विचार नहीं है । आप पीछे बैठे शास्त्रीजी से पूछें ।

श्री हीरालाल देवपुरा : चांवड गांव के अन्दर कहीं ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री हरलाल मीणा : आपने तो जनसंघ की मान मर्यादा खत्म कर दी । जयपुर के जौहरी बाजार जैसी चौड़ा झूंठ नहीं चल सकती है । लोढा साहब आप जनसंघ के अध्यक्ष हैं । इस सदन में पांच दस पर्सेन्ट झूंठ बोलें तो ठीक है, जौहरी बाजार जैसे चौड़ा झूंठ बोलते हैं तो सदन की मर्यादा खत्म करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह प्रस्तुत करता हूं नव भारत टाइम्स का उद्धरण :

"भूखे भीलों ने पालतू पशुओं का मांस खाया । सुखाड़िया द्वारा सरकार को स्थिति की जानकारी का वचन ।

ऐतिहासिक सूखे ने इस बार उदयपुर जिले की सभी सत्रह तहसीलों को भीषण अकाल से संत्रस्त कर दिया है ।

मैसूर के राज्यपाल श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने आज ग्राम पंचायत प्रधानों व सरपंचों के आग्रह पर उदयपुर को सराड़ा तहसील के कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया और वे खेरवाड़ा पंचायत समिति में चांवड तक गये । उदयपुर से चांवड तक के मार्ग में ग्रामीणजनों ने अकाल की विभिषिका का दुःख दर्द श्री सुखाड़िया को सुनाया और उनका स्वागत किया ।

चांवड में दूर दूर ग्रामों से आये मुखियाओं व ग्रामीणजनों ने उनका स्वागत किया

(श्री गुमानमल लोढा)

श्री सुखाड़िया ने ग्रामीण जनों को सलाह दी कि बड़ी बड़ी विपदा में पालतू पशुओं को मारने जैसा अधर्म नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह राज्य सरकार तक उनके कष्ट पहुंचायेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को यथासम्भव सहायता कराई जा सके।

झाडोल पंचायत समिति के कोटड़ा क्षेत्र के आदिवासियों ने जाति सुधार की कस्में तोड़ दी हैं तथा कई स्थानों पर गाय बछड़े व दूसरे पालतू पशुओं को मार कर खाया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह खबर पढ़ रहे हैं, इससे स्पष्ट है, इसमें कहीं यह नहीं कहा गया है। आप अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि कोटड़ा तहसील कहां है और चांवट कहां है। कोटडा के कभी चांवट में नहीं आये। यह अखबार वाले की खबर है। इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। सुखाड़िया साहब की सभा हुई उसमें नहीं कहा है।

श्री गुमानमल लोढा : राजस्थान के सारे पत्र गलत कहते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : आप अखबार को छोड़कर मौके पर जाकर देखें।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सिलसिला जारी रहा कि एक बात कहने पर कांग्रेस के विधायक दूसरी बात कहें तो...

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्ट्रप्ट नहीं कर रहा हूं। यह जो खबर की बात है, यह खबर अखबार में मैंने भी पढ़ी थी। उस दिन सुखाड़िया साहब आये हुए थे। मैं स्वयं उनसे मिला। वे उदयपुर से आ रहे थे तब अजमेर से जयपुर तक मैं कार में साथ था। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि न तो वे इस इलाके में गये और न उनके सामने इस तरह की बात हुई, और न उन्होंने स्टेटमेंट दिया।

श्री गुमानमल लोढा : मुझे इस बात की तो प्रसन्नता है, कि मदेरणा साहब ने स्वीकार किया कि समाचार-पत्रों के अन्दर इस प्रकार का समाचार विशद रूप से छपा कि सुखाड़िया साहब के सामने यह कहा गया कि गाय और बछड़े और पालतू पशुओं का मांस खा कर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उसके बाद जो श्री मदेरणा...

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बात कहां स्वीकार की है कि मदेरणा साहब ने सामने यह बात आयी।

कई माननीय सदस्य : गलत कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कुछ तो रहम करो। झूठ बोलने की भी हद हो गई। यह कहां कहा है जो आप कह रहे हैं। जबर्दस्ती झूठ कह रहे हैं। यह अदालत नहीं है कि किसी केस की पैरवी कर रहे हो। मर्जी आये घुमा-फिरा कर एलीगेशन लगाना शुरू कर दें और सोचें कि जजमेंट बाद में आ जायेगा। उन्होंने कहा कुछ और आप कुछ कह रहे हैं। जिस प्रकार से आप चल रहे हैं कि राज्य

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पाल के लिये एक मिनट बोल नहीं सकते किसी मंत्री का नाम नहीं ले सकते और जैसे कोई पंचायत का अखाड़ा बना दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि इसको सदन से निष्कासित कर देना चाहिये इस बात पर. .

(शोरगुल)

श्री राजेन्द्र भारतीया : सफेद झूठ बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गुमानमल लोढा : श्री परसराम मदेरणा ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्यपाल के सामने उनकी यह बातचीत हुई कि समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार छपे और मैंने उस बात को कहा है। इस बात पर सारे के सारे कांग्रेस के विधायक खड़े हों तो मुझे उस बात का दुःख है कि जिस समय राजस्थान के अनाज के गोदामों से यह अनाज महाराष्ट्र जा रहा था उस समय उनका शौर्य, उनका संगठन, उनकी ताकत कहां गई थी। केवल कान्ट्राडिक्शन करना और कहना कि झूठ है तो गांवों में जाकर देखें, जो लोग वास्तव में तड़प रहे हैं, भूख के कारण, अकाल के कारण दुर्भिक्ष के कारण, उनके प्रति सहानुभूति करें, उनको बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप चाहे बहुमत के आधार पर इस धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करवा लें लेकिन युगों-युगों तक यह निश्चित रूप से इस विषय पर जो गंभीर खामी रही है उन पर आपने विचार नहीं किया तो आपको कोसेंगे।

मैंने श्री छंगाणी के बारे में निवेदन किया था। एक व्यक्ति खड़ा होगा । मैं सुनाता हूं, उन्होंने कहा था :

श्री छंगाणी ने बताया कि शीत लहर के कारण हजारों लोग बीमार पड़े हैं, पौष्टिक आहार के अभाव में तहसील के सैकड़ों व्यक्ति मर चुके हैं लेकिन प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई विचार नहीं किया जा रहा है । यदि फलोदी के एक प्रेस वक्तव्य पर किसी को आपत्ति नहीं लेकिन सदन में आकर मैं कहूं कि यह बहुत बड़ा अभाव है, जिस पर विचार किया जाना चाहिये, तो इस पर आपत्ति की जाती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि दुर्भिक्ष और अकाल की जो स्थिति राजस्थान में है उससे ही यह बात संबंधित है। इससे बढ़कर क्या अकर्मण्यता होगी कि केन्द्र की ओर से हमें मक्का दिया गया, राजस्थान की अकर्मण्य सरकार, शिथिल सरकार, कर्तव्यहीन सरकार यह कहेगी कि मक्का को नहीं ले सके क्योंकि हमारे पास में मक्का लेने के साधन उपलब्ध नहीं थे। मैं समझता हूं यदि मुख्यमंत्री सख्ती के साथ काम करते आज्ञा निकालते, चाहे सचिव हो, चाहे उपसचिव हो, जिन्होंने डेढ करोड़ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, लोग मक्का खाने तक तैयार उस समय हमारा कोटा लेप्स हो जाय, ट्रक भेजे जा सकते थे, इमरजेन्सी गाड़ियां जा सकती थीं, कितना ही खर्च किया जा सकता था लेकिन मानव जो महामानव है, उसके जीवन को बचाना चाहिये था । दुःख की बात है कि वह मक्का नहीं लिया गया, मुख्य मंत्री ने स्वीकार

(श्री गुमानमल लोढा)

किया कि आगे लेप्स होने नहीं दिया जायगा लेकिन इस लेप्स के लिये कौन जिम्मेदार है? क्या मुख्य सचिव, क्या अकाल राहत कमिश्नर या फूड कमिश्नर यदि हैं तो आप ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने प्रशासन के अन्दर भ्रष्टाचार मिटा दिया, शिथिलता को मिटा दिया, तो आपने किसी को सस्पेंड किया? एनक्वायरी की कि यह क्यों लेप्स हुआ? किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया, डिपार्टमेंन्टल एन्क्वायरी नहीं की गई। यह कह दिया कि आइन्दा लेप्स नहीं किया जायगा। आज राजस्थान की जनता के जीवन के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो तो गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये। दलों से उठकर विचार किया जाना चाहिये, यह मुख्यमंत्री व अकाल राहत कार्य का कर्तव्य है कि वह जिम्मेदारी फिक्स करें कि कौन जिम्मेदार है लेकिन मक्का लेप्स हुआ यह एस्टेबिलिश्ड फैक्ट है। गवर्नमेंट रेकार्ड पर माना हुआ फैक्ट है। जब लोग घास को खा रहे हैं। जंगल के बीजों को खा रहे हैं उस समय मक्का लेप्स हो जाय, इससे बढ़कर क्या दुर्भाग्य हो सकता है। राज्यपाल महोदय इस प्रकार प्रशासनिक लेप्सेज पर भी इग्नोर करके चले हैं, अभिभाषण में कहीं इस बात का जिक्र नहीं। बल्कि उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने बड़े संयम के साथ, दृढता के साथ, आन्दोलन और हड़तालों का मुकाबला किया मुझे इस बात का दुख है। मैं समझ सकता था संयम शब्द ठीक है, लेकिन दृढता के साथ आंदोलन का मुकाबला किया जाए जनतंत्र युग में। जब विक्टोरिया का राज था, अग्रेज फिरंगी थे उस समय कहा जाता था कि दृढता के साथ आंदोलन का मुकाबला किया लेकिन लोकतंत्र में संवैधानिक परम्परा के 25 साल बाद में कहा जाए कि हमने आंदोलन को दृढता के साथ दबा दिया है, मैं समझता हूं राज्यपाल को ठीक सलाह नहीं दी गई। इतिहास इस बात का साक्षी है। पिछले एक साल का संक्षिप्त विवेचन किया जाए तो राजस्थान का जन मानस चाहे काश्तकार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे छोटा व्यापारी, चाहे कर्मचारी हो, वह उद्विग्न रहा है, आंदोलित रहा है, अभाव के कारण, मंहगाई बढ़ती जा रही है, आकाश को छू रही है, चीजों के भाव बढ़ रहे हैं और उस प्रकार से सेंट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट में देरी होने के कारण से या अन्य कारण से राजस्थान के कर्मचारियों को लिंक किया गया था, 1967 में वायदा किया गया था कि जो सेंट्रल पे कमीशन का अवार्ड होगा उसके साथ हम आपको भी बढ़ोतरी कर देंगे, वह बढ़ोतरी नहीं होने से, प्राइस इंडेक्स बढ़ने से मंहगाई भत्ते में वृद्धि नहीं दी जाती, जनता को राहत नहीं दी जाती और जब भूखे कर्मचारी या किसान आंदोलित होते हैं तो कहा जाता है कि दृढ़ता के साथ दबा दिया। दबा सकते हैं पुलिस के साथ में, मिलिटरी के साथ में धारा 144 लगाकर कर्फ्यू लगाकर जिस प्रकार आपने किया इतिहास में कहीं इस बात का उदाहरण नहीं मिलता है। मेडीकल कालेज के लड़कों के होस्टल के अन्दर रात्रि को तीसरे पहर जब वे सो रहे थे 10 पुलिस की आर. ए. सी. की गाड़ियां सारे होस्टल को घेर गई और उनको उठाकर ट्रकों में डालकर जेल में डाल दिया और जयपुर का जेल काफी नहीं, राजस्थान

(श्री गुमानमल लोढा)

काफी नहीं था बल्कि धौलपुर और आगरा में उनको भेजा गया और जाती हुई ट्रक में से एक विद्यार्थी गिर गया, उसका हाथ टूट गया। मेडीकल कालेज के विद्यार्थियों के आंदोलन के औचित्य के बारे में दो विचार हो सकते हैं। बहुत समय तक जोधपुर में कहा गया कि बरकत साहब बाहर हैं, खुराना साहब नहीं चाहते हैं कि मामला सुलटाया जाए क्योंकि उसका श्रेय हरिदेव जोशी को मिलेगा, इसलिए बरकत साहब के आने के बाद होगा। जिस समय आंदोलन चरम सीमा तक था तो धारा 144 लगाई गई। यह दुर्भाग्य की बात है कि इसका दुरुपयोग इस प्रकार किया जाता रहा है, जब आंदोलन को दबाना, विद्यार्थियों को होस्टल से निकाल कर रात्रि के तीसरे पहर धौलपुर, आगरा भेज दिया गया तो राजस्थान की हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस प्रकार की धारा 144 अवैधानिक है। हाई कोर्ट का निर्णय मैं सदन की मेज पर प्रस्तुत करता हूं जिसमें राज्य सरकार की भर्त्सना की गई है :

"In the light of the above discussion, the order passed by learned City Magistrate, Jaipur City, on September 3, 1972, under Section 144 Cr. P. C. directing the petitioner to vacate the hostel alongwith his belongings forthwith is ultra vires and is set aside. It will be open to the learned City Magistrate to take such other preventive action against the person concerned against whom he considers such action necessary and justified by the material which he may have before him."

मसला यहां पर समाप्त नहीं होता है। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय के अन्दर उसकी भर्त्सना की, उस आदेश को समाप्त किया लेकिन हमारे मुख्य सचिव और उपनेता, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, ने हाई कोर्ट के उस निर्णय को एक तरफ रख दिया, दूसरी धारा 144 लगाई। जब लड़के वापस होस्टल में आये तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं निकाल सकते तो सरकार ने कहा होस्टल से निकाल सकते हैं या नहीं, धारा हम दूसरी लगाते हैं। लड़के फिर हाई कोर्ट में गये तो उस समय ताड़ना दी गई प्रशासन को और जिस अधिकारी ने वहां धारा 144 दुबारा लगाई, हाई कोर्ट की मान मर्यादा को समाप्त कर उसकी ओर से क्षमा मांगी गई जिसमें कहा गया कि :

"Shree T. P. joshi has submitted an unconditional apology"

'The reply created an impression that while submitting an apology, Shri Joshi was trying to justify his action. However, both the learned Deputy Government Advocate and Shri Joshi made it clear that there was no intention to dilute the unconditional apology by the semblance of an explanation. All that Shri Joshi wanted to bring to the notice of the court

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

was that he had to face a difficult situation and he had only briefly outlined in his reply the situation that he had to face as a result of the strike by the students of the Medical College at Jaipur and consequent breaches of law."

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय यह बताना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय ने उस अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन लिया। एक अधिकारी जिसने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की और हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं मानने की वजह से सरकार को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने धारा 144 जो लगायी वह एक बार नहीं बल्कि दो बार गलत लगायी। उनकी इस गलत कार्यवाही के लिये उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेकर उन्हें आगे प्रमोशन दिया गया वह अधिकारी हैं श्री टी.एन. जोशी नहीं टी. पी. जोशी उन्हें प्रमोशन दिया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि उन्हें क्या प्रमोशन दिया।

श्री गुमानमल लोढा : पहले सिटी मजिस्ट्रेट थे और बाद में उन्हें प्रमोशन दिया और उन्हें दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि उन्हें क्या प्रमोशन दिया? हमें इसकी जानकारी नहीं है आपको अगर जानकारी हो तो बता दीजिये। बराबर कह रहे हैं कि प्रमोशन दिया।

श्री गुमानमल लोढा : प्रमोशन दिया है।

(मन्त्री महोदय के मुख्य सचिव के बात करने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां हाउस में मन्त्री महोदय चीफ सेक्रेट्री जो कि आफिशियल गैलेरी में बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो इन्हें कुछ बता रहे हैं इसके लिये हाउस में प्रिविलेज का मोशन लाऊंगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे शोरगुल, अश्रव्य)

श्री दलपतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पोईन्ट आफ आर्डर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं लोढाजी से कि किस प्रकार का प्रोमोशन दिया।

श्री गुमानमल लोढा : आप बैठ जाइये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनको एनुवल इन्क्रीमेन्ट दिया उसको प्रमोशन कह रहे हैं क्या?

(माननीय सदस्य के बोलते रहने पर)

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : उप नेता खड़े हैं माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार का प्रोमोशन दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं गुमानमल जी लोढा से कहूंगा कि वो यह स्पष्ट करदें कि श्री ताराप्रकाश जोशी को क्या प्रोमोशन दिया है उसकी माननीय सदस्य जानकारी चाहते है अगर आपको जानकारी हो तो दे दें।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हाउस की गरिमा को समाप्त किया जा रहा है कि माननीय सदस्य आफिशियल गेलेरी में बैठे चीफ सेक्रेट्री से बात कर रहे हैं· ·

श्रीमती नगेन्द्रबाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भी तो यह पता लगना चाहिये कि श्री ताराप्रकाश जोशी को क्या प्रोमोशन दिया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हाउस में गलत बात कह कर माननीय सदस्यों को मिसलीड किया जा रहा है। नहीं तो माननीय सदस्य यह स्पष्ट कर दें कि श्री ताराप्रकाश जोशी को क्या प्रोमोशन दिया है···

श्री गुमानमल लोढा : आप बतला दीजिये क्या प्रोमोशन दिया है ताराप्रकाश जोशी को।

श्री हरिदेव जोशी : आप बताइये क्या प्रोमोशन दिया है। मैं क्यों बताऊं ?

श्री गुमानमल लोढा : आप बताइये।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री ताराप्रकाश जोशी आर.ए.एस. आफिसर हैं, जो कि सीनियर स्केल में हैं और सीनियर आर. ए. एस. आफिसर की ट्रान्सफर बराबर के केडर में इधर से उधर होती रहती है। इनको प्रोमोशन नहीं दिया है।

श्री गुमानमल लोढा : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो सीधी-सादी बात कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रोमोशन नहीं दिया है। अगर आपको पता हो तो बता दो कि किस पोस्ट पर किया है।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय मुझे बताया गया कि श्री टी.पी. जोशी को प्रोमोशन दिया है···

श्रीमती नगेन्द्र बाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहती हूं कि क्या प्रोमोशन दिया है। आखिर हमें भी तो जानकारी मिले और यह बात कहना कि मन्त्री महोदय चीफ सेक्रेट्री से बात कर रहे हैं यह ठीक नहीं है जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं····

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बात करने पर पाबन्दी नहीं है। हमारे हाउस की परम्परा रही है। मैं पिछले 5 साल में मन्त्री भी रहा और सदस्य भी रहा हूं कई दफा सरकारी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के लिये बातचीत करते हैं। इस पर कोई रोक नहीं लगी हुई है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या आफिशियल गेलेरी में कोई आफिसर बैठा है उससे इनफोरमेशन ले सकते हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लग गये शोरगुल अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : जस्ट एक सेकण्ड प्लीज ! उपाध्यक्ष महोदय, आफिशियल गैलेरी में जो अधिकारी बैठते हैं वह यहां पर ऐसिस्ट करने आते हैं अगर कोई इन-फोरमेशन चाहिये तो वह दे सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या हम लोग भी ले सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यस यू केन। अगर वे देते है तो आप ले लीजिये।

(एक साथ कुछ सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री हरिदेव जोशी : जस्ट ए सेकण्ड, मैंने तो स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो बात कही है उससे क्या यह बात मान लें कि इस सदन का साधारण सदस्य अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहे तो कनसल्ट कर सकता है इनसे···

एक माननीय सदस्य : क्या कोई माननीय सदस्य अगर सूचना चाहे तो क्या ये यहां पर ऐसिस्ट कर सकते हैं·······

श्री हरिदेव जोशी : हां, अगर आप सूचना चाहें तो ले सकते हैं अगर यह दे तो वहां ही क्यों सेक्रेटेरियट में भी, अगर ये चाहें तो आप ले सकते हैं। कोई भी हो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सदन के अन्दर।

श्री हरिदेव जोशी : दे केन गिव।

श्री केदारनाथ : यह चेयर के अधिकार की बात है कि क्या आफिशियल गैलेरी में बैठने वाला अधिकारी इनफोरमेशन दे सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यहां पर कौन बातचीत कर सकता है यह सोचने का विषय है। कोई भी साधारण, कोई भी स्ट्रेन्जर इस हाउस में, चाहे चीफ सेक्रेट्री हो, चाहे चपरासी इस सदन के अन्दर नहीं आ सकता क्योंकि यह सदन की मर्यादा के विपरीत है।

श्री हरिदेव जोशी : सदन के अन्दर कहां है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा तो प्रश्न यह है कि इस सदन के 'अन्दर' बैठे हुए, चाहे वे वेस्ट में बैठे हों, चाहे ईस्ट' में बैठे हों चाहे साउथ में चाहे नोर्थ में कहीं बैठे बातचीत कर सकते हैं इस प्रश्न पर आप व्यवस्था दें।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा यह कहना था कि बात किसी से कहीं भी कर सकते हैं लेकिन यहां तो बात श्री तारा प्रकाश जोशी के प्रोमोशन की है।

(एक साथ कई सदस्य बोलने लगे अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : बातचीत हुई है चीफ सेक्रेट्री ने उन्हें बुलवाया है।

(कई सदस्य बोलने लगे, शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी छोटी सी बात को लेकर सदन में व्यर्थ ही उत्तेजना पैदा की गई है। मैं समझ नहीं सका कि उनको क्या प्रोमोशन दिया है। उनको किस जगह-जगह पर क्या प्रमोशन दिया, वह बता दें कि श्री ताराप्रकाश जोशी को "अमुक प्रोमोशन दिया है या नहीं। हम तो कहते हैं कि हमें प्रोमोशन का पता नहीं आप बता दीजिये। वरना मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने यह गलत सूचना सदन को दी है और इससे मैं समझता हूं कि या तो यह सदन के माननीय सदस्यों को ऐसी सूचना देकर मूर्ख बना रहे हैं या इन्हें मूर्ख समझ रहे हैं। और उन्हें एक प्रकार से भुलावे में डालना चाहते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह 'मूर्ख' शब्द एक्सपंज किया जाय। सदन के एक उपनेता क्या समझते हैं उसके लिये मेरे पास उनके प्रति सहानुभूति हो सकती है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इतने बड़े वकील होकर यह कहें...

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : If he thinks himself a fool, how can I help him.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको डिप्टी सेक्रेटरी रैवेन्यू बनाया गया...

श्री हरिदेव जोशी : आर. ए. एस. की किस स्केल में हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : बेरी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में सरकार द्वारा यह किया गया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री प्रद्युम्नसिंह : सीनियर स्केल वाले को मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : हमारी जानकारी में यह कोई प्रमोशन नहीं है। इस पोस्ट पर सीनियर स्केल के आर.ए.एस. रहते आये हैं और रह रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हाई कोर्ट के निर्णय के बाद उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की यह जानना चाहता हूं ? दोनों महानुभाव, जो इसके लिये जिम्मेदार थे, उनके विरुद्ध कोई कार्यवही नहीं की गयी। हाईकोर्ट का निर्णय हो जाने के बाद भी कुछ नहीं किया और उनको डिप्टी सेक्रेटरी रैवेन्यू बनाया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अन्डर सेक्रेटरी हैं। जब एस. डी. ओ. थे। मिस गाइड करने की कोशिश न करें। आप अधिकांश ऐसी ही बातें लाकर रखते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सदस्य, मुझे इस बात का दुःख है कि मैं अधिकांश ऐसी बातें लाकर रखता हूं जो आपकी चाटुकारिता की नहीं होती किन्तु फैक्ट्स पर होती है। मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
यदि जो बातें मैं लाकर रखता हूं यदि वास्तव में उनमें कोई गलत हैं तो उसके लिये निश्चित रूप से मैं क्षमा मांग लूंगा लेकिन जो सही हैं उनको सही रूप में रखने में मुझे कोई संकोच नहीं होता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्षमा चाह लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हाई कोर्ट के निर्णयों का आप इस प्रकार मखौल करना चाहते हैं। बच्चों को होस्टल्स से निकाल-निकाल कर उनके हाथ पांव तोड़ दिये उससे आपको किसी प्रकार की लज्जा नहीं होती। लड़कों को मेडीकल होस्टल से बाहर लाया गया। उनके साथ ज्यादतियां की गयीं। केवल बरकत साहब आयेंगे उस समय निर्णय होगा। बच्चों के साथ इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा खिलवाड़ करना कहां तक न्यायप्रद है यह आप सोचेंगे।

(व्यवधान)

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जब सदन के अन्दर कोई भी माननीय सदस्य बोलें तब ऐसा कोई मुद्दा हो कि जिसको दुरुस्त किया जाना है तो ही इन्टरप्शन हो वरना कोई अपनी बात रख ही नहीं सकेगा। मैं यह नहीं चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्य जानबूझ कर इन्टरप्ट करें और इस प्रकार बोलने वाले माननीय सदस्य का समय खराब करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका बोलना भी इन्टरप्शन में आता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप उनको तो रोकिये। मैं आपकी अनुमति से बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जो कार्य कर रहे हैं वह भी उसमें आता है। माननीय लोढ़ाजी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : व्यवस्था के प्रश्न पर निवेदन करना चाहता हूं। चेयर से रूलिंग मिलनी चाहिये, चाहे स्ट्रेन्जर हो, चाहे कोई हो, उससे दूसरा कोई सदस्य बात कर सकता है या नहीं यह स्पष्ट हो जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको बाकायदा मूव कीजिये। उस पर रूलिंग दी जायगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे उप नेता महोदय ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हंगर मार्च करके आता है, भूख के प्रश्न को लेकर आता है उस पर विचार कर सकते हैं लेकिन यहां पर तो शिक्षक महोदय थे और जानबूझ कर भंग किया। मैं उस प्रश्न को नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ समय पहले किस प्रकार से जन भावना के साथ खिलवाड़ किया गया। जोधपुर में फेमीन रिलीफ कमेटी में बैठे हुए थे। जिलाधीश ने ही बैठक बुलायी थी। सब लोगों ने कहा था उसमें अधिकतर कांग्रेस के ही लोग थे कि पहले पिलाई की जानी चाहिये। जिनके कुए सौ फीट गहरे चले गये उनकी मदद करनी चाहिये अनुदान के रूप में। जिलाधीश ने सारी बात को टाल दिया। चाहे सारे इस मत के हों लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज नौकरशाही इस प्रकार हावी हो रही है कि जनता के प्रतिनिधि एक मत होकर, जिसमें

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

प्रधान, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक, वे यहां पर उनके 145 लोगों को चला सकते हैं लेकिन उनकी जिलाधीश के सामने एक न चली और नत मस्तक हो कर उनको बैठना पड़ा, अपनी बात को नहीं मनवा सकते। अकाल का मामला है, जिसमें किसी दल विशेष का कोई प्रश्न नहीं था, पानी की पिलायी का सवाल था, उस कृषक का जो धान पैदा करता है। सुबह से शाम तक जो अपने खून का पसीना बना कर बहाता है और राज्य को जिसने बनाया है और बनाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कलेक्टर महोदय कहते हैं कि मैं नहीं मानता। यह आपके सोचने की बात है।

हम हंगर मार्च लेकर गये। जोधपुर में धान नहीं मिलता। 1½ किलो एक किलो मिलता है। उनको कहा कि धान मिलना चाहिए और धान तीन किलो और पांच किलो तो मिलना ही चाहिए। लेकिन कलेक्टर मिलने को भी बाहर नहीं आये। बाहर आकर मिलना आई. ए. एस. कोड में बहुत बड़ा अपमान माना जाता होगा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हमारा हंगर मार्च था। शान्त प्रदर्शन था और प्रदर्शनकारी सब शान्तिपूर्ण थे। उन्होंने बरामदे में भी न आकर अपने आपको कमरे में बंद कर लिया और लाठियों सहित जवानों को तैयार कर दिया। हमने कहा कि पांच किलो धान दें। जनता के लोग यह मांग करने आये हैं। वहां लाठीधारी पुलिस टूट पड़ी। मैं यह प्रमाणिकता के साथ कह रहा हूं। जोधपुर जनसंघ के श्री दामोदरजी का सिर फट गया। लाठी चार्ज किया गया। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हंगर मार्च के बारे में सोचना चाहिए था। रोटी की जगह लाठी मिली। इस राज्य में लाठी मिली रोटी की एवज में। जिलाधीश से पांच घंटे बाद मिले। कम से कम बात कर लेते। उस समय तो उनके बात करने से कलेक्टर की पोस्ट की डिग्निटी कम नहीं होती।

लेकिन उन्होंने बात नहीं की। हमारे कार्यकर्ताओं का भूख के लिये खून बहा। इसमें कोई राजनीति नहीं थी। रोटी और धान की मांग लेकर गये लोगों का सरकार की तरफ से सिर फोड़ दिया गया। यह तो एक कहावत चरितार्थ हो गई कि :

हम आह भी भरते हैं तो
हो जाते हैं बदनाम।
वो कतल करते हैं
तो चरचा नहीं होती।।

मैं चौहटन भी गया। वहां आन्दोलन चल रहा था। जिलाधीश महोदय से मिला। उन्होंने स्थिति की गम्भीरता को स्वीकार किया पर किया कुछ नहीं। मवेशियों के चरने के लिये वहां घास नहीं मिलता। लोगों ने कहा कि रिजर्व फोरेस्ट वालों को घास प्रिजर्व करने से रोका जाय ताकि इन मवेशियों को भूख से बचाया जाय और वह घास इनको चरने दी जाय। पर फोरेस्ट विभाग ने कुछ नहीं किया। यह मनुष्यता का भी प्रश्न है। इसे भी नहीं माना गया। यह आन्दोलन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नहीं है, सत्याग्रह है। भूख हड़ताली गम्भीर अवस्था में हैं। इसके बाद बाड़मेर में लाठी चार्ज का हुक्म दे दिया।

भारत-पाक युद्ध के दौरान चौहटन में हिन्दुस्तान की सेनाओं को ठाकुर हमीर सिंह ने रास्ता बताया था। लेकिन उस आदमी को भी चौहटन के बाजार में लाठियों से पीटकर घायल कर दिया। वह आदमी वैसे भी लकवा से पीड़ित था। ये उसके खून से सने हुए कपड़े हैं। मैं इनको यहां सदन को और सरकार को दिखाने लाया हूं। मैं खुद चौहटन जाकर पूरी तरह से जांच करके इनको लाया हूं।

लाठी चार्ज करके आन्दोलन को कुचलने को सरकार अपनी बहादुरी मान रही है। कहती है आन्दोलन का दृढ़ता से मुकाबला किया, जोधपुर में लाठी चार्ज किया गया। ब्यावर में मिल के मजदूरों को बन्द कर दिया। मंहगाई के विरोध में आन्दोलन चला वहां हमारे साथी कम्युनिस्ट भी इसमें गिरफ्तार हुए।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : कम्युनिस्ट आपके साथी कब से हुए ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो इस तरह से मंहगाई का विरोध करना भी इस कांग्रेस राज में अपराध हो गया। कीमतें कम करिये, तनख्वायें बढ़ाइये, यह कहना भी अपराध हो गया। पाप हो गया। गांधी, नेहरू, सुभाष, सावरकर और चन्द्रशेखर आदि लोगों ने क्या अपना बलिदान इसी तरह की आजादी के लिये किया था ? भगतसिंह को फांसी देने वाला जल्लाद यह कहे कि मैं तो गरीब आदमी था अपने पेट के लिये यह काम करता था। मेरे लिये आप क्यों इस तरह से अपमानजनक शब्द कहते हैं। यह तो उस व्यवस्था का दोष है जिसने भगतसिंह के गले में फांसी का फन्दा डाला।

मैं निवेदन करना चाहता था कि पिछले वर्ष लगातार एक के बाद एक कई लोगों की हत्या कर दी गई जयपुर में, जोधपुर में। उदाहरण देकर मैं मरसीया गाई नहीं करना चाहता। पर आपने दृढ़ता से उन सबको रोक दिया।

एक बात और कही गई। हाई कोर्ट के बारे में राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया।

एक माननीय सदस्य : यह बिल्कुल गलत बात कही जा रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुंशीजी आप बैठे रहो न। आपका ध्यान रखा जावेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसे राजनैतिक प्रस्ताव की संज्ञा देकर ठुकरा दिया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की हाई कोर्ट में दो न्यायाधीशों की जगह शीघ्रता से भरी जानी चाहिये ताकि मामलों के फैसले जल्दी से हो सकें और जनता को जल्दी से न्याय मिल सके।

इस अभिभाषण में जहां बेकारी और भुखमरी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और आपाधापी के कारण राजस्थान की, पिछले कुछ सालों से प्रगति में बाधा आई है वहां पर राज्यपाल महोदय के भाषण

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

में एक बात का जो निर्णय लिया गया है उसकी मैं प्रशंसा भी करना चाहूंगा। वह है लोकायुक्त और लोकपाल की नियुक्ति के बारे में। निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया यह मैं नहीं कहना चाहता। पर जो भी निर्णय लिया गया है वह अच्छा है। स्वागत योग्य है।

दूसरा निर्णय लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिये ट्रिब्यूनल्स का इसका भी मैं स्वागत करता हूं। इसे शीघ्र से शीघ्र नियुक्त किया जाय। यह मेरी सरकार से प्रार्थना है। प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी सैंकड़ों की तादाद में किस प्रकार से दुःखी हैं और किस तरह से वे हाई कोर्टों के द्वार खटखटाते हैं यह सबको विदित है। इसके लिये हम सबको दुःख है, खेद है। पर यह ट्रिब्यूनल अगर बना दिया जाता है तो उनको भी राहत मिलने वाली है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : यह सरासर धोखा है आपका। कौनसी बात आप सही मानते हैं। आपने प्रेस के माध्यम से स्टेटमेन्ट दिया था पहले कि यह लोकायुक्त और लोकपाल की नियुक्ति सरासर धोखा है। अब आप उसकी तारीफ कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : मुझे खेद है कि भारतीयजी को मेरी यह स्वागत करने वाली बात भी नहीं सुहाती। मैंने जानबूझ कर इस प्रसंग को यहां पर नहीं लिया अब जब भारतीय जी कह रहे हैं तो मैं उसे थोड़ा स्पष्ट कर दूं इसमें क्या धोखा था उस समय यह बता दूं आपको। जिस समय यह बात सामने आई उस समय राजस्थान कांग्रेस में मुख्य मन्त्री बरकतुल्ला के खिलाफ विद्रोह करके कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने और कौन नहीं, इस बात पर तनातनी चल रही थी और इसके लिये शक्ति परीक्षण की नौबत आ रही थी। आपने प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर सुनिये अब।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : यह बिलकुल गलत है।

श्री खेतसिंह : आप होते कौन हैं हमारे घर की बात करने वाले।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रश्न पूछा था तो उत्तर भी सुनें।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : सपना आया होगा आपको।

दिस इज एब्सोल्यूटली रोंग।

श्री गुमानमल लोढा : कहा गया कि आयुक्त आ रहा है अपनी-अपनी पुरानी फाइलें ठीक कर लो। तुम लोगों में से किसी ने जरा सी भी बगावत की, विद्रोह किया तो लोक आयुक्त को सौंप दिये जाओगे। उस समय यह घोषणा की गई थी और इस पृष्ठभूमि में की गई थी। आप भूलें नहीं इसको। आप सब दिलों में इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। पर ऊपर से कह नहीं सकते। आप लोगों की बेबसी है। लाचारी है। इसके लिये मुझे आपके प्रति सहानुभूति है। मेरी हमदर्दी है आपके साथ।

एक माननीय सदस्य : इनको बोलते बोलते दो घन्टे होने आये।

श्री केदारनाथ : भारतीय जी ले गये इनका बहुत सा समय तो। भारतीयजी जितना वेकूम करते हैं उतना समय तो इनको अधिक मिलना चाहिये।

श्री गुमानमल लोढा : उस कन्टेक्स्ट में मैंने उस समय धोखे की बात कही थी। वैसे मैंने इसका स्वागत किया है सैद्धान्तिक दृष्टि से। पर साथ ही यह जरूर निवेदन करूंगा कि इनका जो वरडिक्ट हो, जजमेन्ट हो, उसका ईमानदारी से पालन किया जाय। बेरी आयोग की तरह से टाल न दिया जाय। उस बेरी आयोग की रिपोर्ट पर रिपोर्ट करने के लिये चार सरकारी अधिकारी नियुक्त किये गये। पर वे भी आज दिन तक अपनी कोई वरडिक्ट नहीं दे सके। मुख्य मन्त्री जी से जब पूछा गया इसके बारे में तो कहा गया कि मैं उस समय मुख्य मंत्री नहीं था। पर मैं निवेदन करता हूं कि आप आज तो हैं। आपने आज बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की? आप उसको एप्लाई करिये न अब। अब सही। देर आयद दुरुस्त आयद। पर आपने भी इसे टाल दिया। हूजा कमीशन बिठाया गया। सुखाड़ियाजी के मकान के आगे लोगों ने भूख हड़ताल की थी। सदन में घोषणा की गई। उस हूजा कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ। हवाई जहाज को रोक दिया गया क्योंकि कलेक्टर साहब को टिकट नहीं मिला। इस पर जांच बैठाई गई। उसका क्या हुआ? कहां है ये सब रिपोर्टें? उदयपुर में स्कूटर कांड हुआ। जांच बिठाई गई क्या हुआ उसका? तो इन सबकी रिपोर्टें सदन में आनी चाहिये। आप रखिये इन सबको सदन में। दस-दस सालों तक घोषणा नहीं की जावे। रिपोर्टों पर अमल नहीं किया जावे, रिपोर्ट नहीं दी जावे। मोतीराम की रिपोर्ट का पता नहीं। उस पर सरकार ने क्या किया यह किसी को पता नहीं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं राजस्थान विकास की ओर जाये, प्रगति की ओर जाये– हम एक साथ हैं। हमारे मुख्य मंत्री जो ने फाइनेन्स कमीशन के सामने स्वीकार किया कि राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से, राजस्थान बिजली की दृष्टि से, राजस्थान परिवहन की दृष्टि से हिन्दुस्तान के अन्दर लास्ट बट वन है। लेकिन लास्ट बट वन क्यों है, किसकी सरकार थी मोहन लाल सुखाड़िया की सरकार हो, चाहे जय नारायण जी व्यास की सरकार हो, या अन्य कोई मुख्य मंत्री बन जाते हैं एक छत्र कांग्रेस का राज्य रहा। आपने 25 साल में क्या उपलब्धि की? राजस्थान नहर को कहां पहुंचाया? इसका आप विवरण लीजिये, आपको स्पष्ट रूप से, हृदय के अन्दर से उत्तर आयेगा कि वास्तव में हिन्दुस्तान में जो प्रगति की आनी चाहिये थी वह नहीं हुई है। बातें चाहे कितनी ही कर लें। व्हाइट रिवोल्यूशन की कर लें, हरित क्रान्ति की कर लें लेकिन दरअसल आपकी कोई क्रान्ति नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गया दिल्ली के अन्दर, वहां एक राजस्थान का मण्डप भी लगा हुआ था। इसमें हवामहल का दृश्य था। पंजाब के मण्डप में गया तो वहां देखा भगतसिंह का चित्र लगा हुआ था। वहां सबके चित्र थे। सबका इतिहास लिखा हुआ है। मुझे दुःख होता है यह कहते कि हमारे जन सम्पर्क अधिकारी, डाइरेक्टर आफ पब्लिक रिलेशन्स बिलकुल असफल रहे।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

वहां राजस्थान के मण्डप में चूड़ियों की दुकान, जूतियों की दुकान दिखाई गई हैं। कोई ऐतिहासिक चित्र नहीं दिखाया गया है। किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के अन्दर किन व्यक्तियों ने बलिदान दिया–इस प्रकार की कोई रूपरेखा नहीं थी कोई इन्डस्ट्रियल डवलमैन्ट की रूपरेखा नहीं थी। चूड़ियों और जूतियों की दुकान खोलकर भोड़ इकट्ठी कर ली। यह आप समझते हैं कि हमारे राजस्थान का विकास हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : महाराष्ट्र की बात भी कहिये न····

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र को केन्द्र से इसलिए एड मिल रही है कि हर बसों के ऊपर, हर चौराहे पर, हर सार्वजनिक स्थान पर भीषण अकाल का चित्र दिखाया गया है। मुख्य मंत्री ने एक फण्ड खोला है। जिसमें 18 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है। वहां पर बच्चों को काम करते हुए दिखाया गया है लेकिन हमारे जिलाधीश ऐसा कहते हैं कि बच्चों को काम नहीं दिया जा सकता है। महाराष्ट्र में बच्चों को काम करते हुये दिखलाकर हमदर्दी दिखलाई गई है। हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हमारे जिलाधीश ऐसा कहते हैं। मुझे पता नहीं काम पर नहीं जायेंगे···

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं····

श्रीमती निर्मला कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, लोढ़ा साहब····

(दोनों के साथ–साथ बोलने से अश्रव्य)

···आपने बाल कल्याण केन्द्र को देखा है, बच्चों का कार्य करना वास्तव में अलाऊ है या नहीं। इसको देख लीजिये और बाद में कहिये।

श्री गुमान मल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। मैं भूल गया था। यह कर्नल टॉड के समय का, जो फेमिन कोड है, इसको जला दिया जाय। यह आज के युग में, आज के समय को परिवर्तन नहीं करता है। कर्नल टाड के समय में जो होता था वह आज इन्दिरा गान्धी के समय में यह कतई उपयुक्त नहीं है। अच्छा हुआ माननीय सदस्या ने मुझे याद दिला दिया····

श्री परसराम मदेरणा : (अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : बदल दिया जाना चाहिये। संविधान को बदलने की बात हो रही है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री खेतसिंह : अब आप विराजें।

श्री गुमानमल लोढा : प्रदेशों को हालातों के अनुसार परिवर्तन लाना चाहियें और इसी भावना के साथ निवेदन करूंगा····

(दीर्घ समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्रीमती निर्मला कुमारी :··· (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजस्थान नहर का मामला, अकाल का मामला, दुर्भिक्ष का मामला, राजस्थान की बेरोजगारी के मामले में राज्यपाल महोदय ने कुछ नहीं कहा। उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। किस प्रकार एम्पलॉयमेंट दिया जायगा केवल एक पैराग्राफ लिख दिया कि इन्डस्ट्रीज खोली जायगी। हमें उस पर चिन्तन, मनन करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेकर यही कहूंगा कि पिछले एक वर्ष में जनतंत्र का गला घोटा गया है। विधान सभा को नहीं बुलाया गया, कन्सलटेटिव कमेटी को बैठक नहीं बुलाई। किसी ने बुलाई तो केवल औपचारिक रूप से। यह सारे का सारा मामला लोकतन्त्र की हत्या है। राजस्थान की भुखमरी, राजस्थान की बेकारी, राजस्थान में भ्रष्टाचारी फैलाती है। यह भी माना गया है कि 80 पर्सेन्ट करप्शन है।

मैं निवेदन करूंगा ऐसी परिस्थिति में....

(पुनः दीर्घ घन्टी)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : भैरोंसिहजी से सीख कर आये ....

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : सुना नहीं आपने क्या कहा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने कहा आप भैरोंसिहजी से कुछ सीख कर आयें। आपके भाषण में आनन्द नहीं आया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सुना नहीं, क्या कहना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप भैरोंसिहजी से कुछ सीख कर आयें तब बोलें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे प्रसन्नता है आपने मुझे सीखने की शिक्षा दी। मैं अब सीखने की कोशिश करूंगा।

एक माननीय सदस्य : चलो एक बात तो मानी आपने।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख है कि राजस्थान अकाल के अन्दर त्रस्त है और 26 जिलों के अन्दर से 21 जिलों में अकाल है और करीब 18,500 गांव अकाल से प्रभावित हैं। इसके अलावा 1 करोड़ 33 लाख जनता अकाल से पीड़ित है।

(श्री भानुकुमार शास्त्री सभापति, पदासीन)

विरोधी पक्ष के नाते, सभापति महोदय, आलोचना करना तो हमारा पुनीत कर्तव्य है, लेकिन यह जो वर्तमान परिस्थिति राजस्थान की है, यह जनता से सम्बन्ध रखने वाली है, कोई व्यक्ति विशेष या कोई विचारधारा विशेष से सम्बन्धित नहीं है इसलिए विरोधी पक्ष का भी कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व हो जाता है कि आलोचना अवश्य की जाय, स्पष्ट तौर से और

(श्री लक्ष्मणसिंह)

निर्भीकता के साथ आलोचना की जाये। लेकिन वह आलोचना जिम्मेदारी के साथ और उत्तरदायित्व के साथ होनी चाहिए और मेरे खयाल से वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आलोचना करना परमावश्यक हो जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी इच्छा व्यक्त की गयी है कि वह सब तबकों का सहयोग प्राप्त करने के इच्छुक हैं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक पॉलिसी स्टेटमेंट हुआ करता है, राजस्थान सरकार का स्टेटमेंट है, केबिनेट पॉलिसी का वह वक्तव्य है अतएव और राजस्थान सरकार की यह इच्छा है कि विरोधी पक्ष का सहयोग कुछ हद तक प्राप्त किया जाये तो दोनों हाथों से ताली बजती है, सभापति महोदय, और सरकार को भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछला आपत्काल परिस्थितियों में, दुष्कालों मे हमको जो अनुभव प्राप्त हुआ है उस अनुभव को प्राप्त करके ऐसा कहीं न हो कि 'बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध लेय'। हम जानते हैं कि आप कुछ हद तक स्वार्थ-परस्त मेरे समक्ष वाले माननीय सदस्य हैं, लेकिन Trust begets trust, mistrust begets mistrust. भरोसा भी नहीं आता लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपके आचरणों के द्वारा हमको भरोसा और विश्वास दिलाया जायेगा ताकि हम कुछ मुद्दे आपको कहें कुछ आपके सामने रखें, कुछ तथ्य आपके सामने रखें, वह आपके बहरे कानों पर नहीं पड़ें।

पहले भी अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में मैंने बार-बार जांच करने के लिए इसी सदन में सरकार को निवेदन किया। माननीय सदन के नेता उस समय श्री सुखाड़िया जी थे उन्होंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं यह समझता हूँ कि सरकार की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन सरकार की मजबूरियां ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कतई बहरे कान कर दे और विरोधियों की एक बात भी नहीं सुनें। यह तो फिर अधिनायकवादी व्यवस्था है, जनतंत्र नहीं है। अगर दस कुसूरवार हों उसमें एक दो को भी सजा नहीं दी जावेगी तो मेरे खयाल में शासन नहीं चल सकता, फिर तो भाई-भतीजावाद और पक्षपात की पराकाष्ठा हो जाती है। अतएव मैं पहले से ही अपनी भूमिका बनाते हुए आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर विरोधी पक्ष का सहयोग और प्राप्त करना चाहते हैं तो तथ्य के सहित जो बातें है, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। माननीय सदस्य जो मेरे पास बैठे हुए हैं, श्री लोढ़ाजी उन्होंने अमुक बातें कहीं वह तथ्यहीन नहीं थीं और तथ्यहीन बातें अगर नहीं है तो सरकार को साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए और उस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी, उचित निर्णय निष्पक्ष रूप से लेना चाहिए।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान का बहुत विस्तृत क्षेत्र है अतः मैं उस लम्बी चौड़ी बात के अन्दर नहीं जाना चाहूंगा। मैं केवलमात्र उदयपुर डिवीजन के संबंध में और जो मैंने देखा है उस संबंध में ही निवेदन करना

(श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहूंगा। अकाल की स्थिति सारे उदयपुर डिवीजन में है। किन्तु सबसे अधिक अकाल की विभीषिका उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग में है चित्तौड़गढ़ जिले से भी विशेष, भीलवाड़ा जिले से भी विशेष और बांसवाड़ा जिले से भी विशेष। सदर्न पार्ट आफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा प्रभावित है और वहां की हालत अच्छी नहीं है। यदि मैं कहूं कि खराब है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और यही दुर्दशा, सभापति महोदय, सारे डूंगरपुर जिले की है। माननीय सदन के नेता अभी डूंगरपुर आये थे। उन्होंने खाद्य परामर्शदात्री कमेटी के अन्दर बहुत सारी बातें कहीं, दूसरे सुझाव रखे, एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में भी उनमे जो कुछ हो सका वह कहा और सुना। उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन मैं आशा करता हूं कि सीमा के ऊपर स्थिति जाकर ठप्प नहीं हो जानी चाहिए। यह तो एक प्रोसेस है जो बिल्कुल जारी रहना चाहिए, और आज की स्थिति अभी तो फरवरी है, अभी, सभापति महोदय, कहां जून है, कहां जुलाई और कहां अगस्त है अभी तो मक्का पकेगी तो सितम्बर में पक करके खलियान में आयेगी तब तो अनाज नसीब हो सकता है, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में डूंगरपुर जिले कि बात, उदयपुर के दक्षिणी हिस्से की बात और वहां की कई तहसीलों की बात मैं निवेदन करूं कि सस्ते अनाज की दुकानें (चीप ग्रेन शॉप्स) हैं उनके ऊपर 1।। किलो, 1। किलो, 2 किलो मक्का अगर दी जाये तो मैं स्पष्टतया यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वह सफीसियेन्ट नहीं है। हजारों आदिवासियों की आज यह स्थिति है कि उनके पास अनाज नहीं है, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, उन्होंने अपने मवेशी और भेड़-बकरी सब बेच खायीं और उससे येनकेनप्रकारेण उदरपूर्ति कर रहे हैं। मैंने सुना, समाचारपत्रों में भी पढ़ा कि जानवरों को, ढोरों को अमुक स्थानों पर लोगों ने खाना शुरू कर दिया है! मुझे निश्चित रूप से यह मालूम नहीं कि कहां तक यह बात ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से यह कह सकता कि हजारों आदमियों के घरों में एक दाना भी नहीं है। जहां कि 6 किलो अनाज परमावश्यक है वहां पर 1।। किलो अनाज से क्या होगा? इससे तो बिलकुल कुछ भी नहीं हो तो भी मैं समझ सकता हूं कि टोटल भुखमरी (स्टार्वेशन) होगी। लेकिन यह तो एक तरह से इस तरह की व्यवस्था है कि थप्पड़ भी मारना और रोने भी नही देना।

उसके साथ ही साथ नौकरशाही की भी मैं विशेष निन्दा नहीं कर सकता। आखिरकार नौकरशाही के ऊपर ही जनतंत्र आधारित है लेकिन यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि अगर कुछ कुसूरवार और गुनहगार लोग हैं तो उनको सजा देनी चाहिए। अगर आप सब को समान बरतेंगे तो "अंधेर नगरी तेमूर राजा, टके सेर भाजा टके सेर खाजा" अगर इस तरह का होगा तो फिर मेरे खयाल में यह शासन के लिए भी शोभनीय नहीं है, और शासन के लिए बड़ी भारी संकट की समस्या इससे पैदा हो जायेगी।

साथ ही साथ मैं बहुत अदब के साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोरे नारेबाजी के अन्दर भी अब लोगों का

(श्री लक्ष्मणसिंह)

विश्वास उठने लग गया है। 25 वर्ष का यह रजत जयन्ती का स्वर्ण अवसर है और यह पच्चीसवां आजादी का पावन वर्ष है उसमें हमारी उपलब्धियां निश्चित रूप से देखी जायें तो क्या हैं? हमें क्या मिला भुखमरी, रिश्वतखोरी, जलालत, पक्षपात? और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर यह उल्लेख है कि सरकार कृतसंकल्प है स्वागत है यदि सरकार कृतसंकल्प है, लेकिन किस हद तक है यह भी आगे ही देखा जा सकता है।

हरितक्रांति के संबन्ध में भी कई बातें कही गयीं। अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो सरकार कहती है कि सब श्रेय हमारे ऊपर है, अगर दुष्काल पड़ जाता है तो सरकार यह कहती है कि हम क्या करें यह तो एक प्राकृतिक प्रकोप आ गया और इससे हम विवश हैं। आपकी विवशताओं के साथ तो मेरी सहानुभूति है, परन्तु आपकी अकर्मण्यता और थोथी नारेबाजी और बकवास पर मुझे शर्म ही नहीं आती, बल्कि मैं उसका विरोध किये बिना नहीं रह सकता।

राष्ट्रीयकरण, समाजवाद, विकेन्द्रीकरण, पंचायती राज हरितक्रांति यह सब नारे ही रह गये और अब गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ कि गरीबी बढ़ाओ? माननीय मंत्री महोदय मदेरणाजी मन में सब जानते हैं कि यह गरीबी हटेगी या क्या होगा?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : नारों से चिढ़ तो नहीं है?

श्री **लक्ष्मणसिंह** : मैं तो आदी हो गया हूं। मुझे तो जो कुछ कहें वह सब सांभर में नमक हो जाता है, लेकिन आखिरकार मैं भी इन्सान हूं। मैं आखों से देखता हूं और आंखें बन्द करके चुप्पी साधना भी मेरे खयाल में कायरता है। आखिरकार मुझे सदन का सदस्य होने का कर्त्तव्य तो निभाना ही चाहिए। अगर खरी बात कहने में हिचकिचाता हूं तो अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता। अगर मेरी बात आपको खोटी लगे तो क्षमा करें। अगर गलत कहता हूं तो आपसे क्षमा याचना हमेशा करता आया हूं। गलत बात के ऊपर मुझे मालूम हुआ है कि मैं गलती कर रहा हूं तो मैं क्षमायाचना कर लेता हूं। इसमें मुझे शर्म नहीं है।

श्री **चन्दनमल बैद** : One of the most dignified members of the House.

श्री **लक्ष्मण सिंह** : Thank you. सभापति महोदय, राजस्थान की 45 प्रतिशत जनता बिलो पावर्टी लाइन है। याने गरीबी का एक स्तर है उससे भी दबी हुई है। फिर करीब करीब आधी जनता राजस्थान की गरीबी के अन्दर दबी हुई है तो उनकी गरीबी कब हटेगी यह भी एक बड़ा भारी सरकार के लिए विचारणीय प्रश्न है? और जहां तक मेरे क्षेत्र का संबन्ध है यहां पर माननीय देवपुरा जी भी बैठे हुए हैं उनके क्षेत्र के अन्दर भी आदिवासी हैं और आदिवासियों की क्या स्थिति है वह भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। 27 पैसे प्रति व्यक्ति औसतन आय है। यह क्या समाजवाद है? आज की स्थिति के अन्दर क्या होने जा रहा है यह भी कोई नहीं कह सकता। मैं सरकार को इस सम्बन्ध में विशेष क्या आश्वस्त करूं

(श्री लक्ष्मणसिंह)

80 प्रतिशत जनता आदिवासी गरीब ही नहीं लेकिन बिलो पावर्टी से दबी हुई है। भुखमरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार को चाहिए कि वहां पर मक्का भेजे, कोई भी अन्न भेजे। अगर वहां पर आप करोड़ों रुपया लगा देते हैं तो यह अवमूल्यित नोट से कुछ नहीं होगा। पहले ही इस रुपये की क्रय शक्ति तो ह्रास हो चुकी है। पुराने जमाने का, 20 वर्ष पहले का मेरे खयाल से 3 आना और आज का एक रुपया बराबर है। तो आप रुपया चाहे जितना दें स्वागत है, इसका मुझे विरोध नहीं है। आप सब कुछ करें, कितना ही खर्चा करें लेकिन अनाज के बिना कुछ नहीं होगा। रुपये से कुछ नहीं होगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर अनाज की व्यवस्था करें। यह जो बॉटलनेक ट्रान्सपोर्ट के हैं इस सम्बन्ध में भी आपकी जो नीति है वह भी खामियों से भरपूर है। अगर आप जिद्द के अन्दर कहते हैं कि रेल द्वारा ही अनाज पहुंचाया जाये तो हजारों ट्रक हैं। आपके हाथ लम्बे हैं। रेलों के अन्दर भीड़ है, अनाज नहीं आता है तो आप ट्रकों से मंगवायें। ट्रकों के जरिये आप अनाज मंगवायें और वितरण-व्यवस्था करायें। आज राजस्थान की स्थिति यातायात के लिहाज से सुधरी हुई है। पहले तो यातायात सम्भव नहीं था लेकिन अब तो अणुयुग है, सारा संसार छोटा होता जा रहा है। इसके अन्दर अनाज नहीं पहुंचता तो It is a total failure on the Government's part. आपकी नीति बिलकुल असफल रही, इसमें कोई वादविवाद नहीं हो सकता। मंहगाई को देखते हुए हम सब जानते हैं। मक्का हमारे यहां का खास खाना है, लेकिन क्या मक्का की रेट है, क्या उड़द की दाल का भाव है? अगर यही रेट रही तो दालों का मुंह देखना मुश्किल होगा। पहले भी महामारियां हुई हैं, दुष्काल हुए हैं। मुगल शाही के समय में भी हुई है, मुर्दों को फूंका लेकिन कभी ऐसी मंहगाई नहीं देखी। चार रुपये की एक किलो उड़द की दाल और डेढ़ रुपये किलो मक्का का भाव। अगर यही भाव रहे तो मेरे खयाल में बहुत सारे तो पेट भी नहीं भर सकते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग भी पेट नहीं भर सकते हैं। गरीब आदिवासियों को मोटे दाणे का दर्शन दुर्लभ हो गया है। ऐसी परिस्थिति के अन्दर मैं सरकार को विशेष रूप से निवेदन करता हुआ यही निवेदन करूंगा कि आपका परम-पुनीत कर्तव्य है कि सबसे पहले आप आदि-वासी क्षेत्र के अन्दर आवश्यक व्यवस्था करें।

फूड कार्पोरेशन के सम्बन्ध में भी मैं यह निवेदन किये बिना नहीं रह सकता कि क्रय जब आप करते हैं मोटे अनाजों का तो 45 और 55 रुपयों में क्रय करते हैं और जब बेचने जाते हैं सरकार की दुकानों के अन्दर तो 88) रुपये की एक क्विन्टल के भाव से। क्या यह जनता का शोषण नहीं है? क्या यह समाजवादी व्यवस्था है? यह तो मेरे खयाल से मुनाफाखोरी की पराकाष्ठा है और कम से कम मैं इतना तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको सब्सिडाईज करिए। साहस के साथ घोषणा करिए कि एक महीने, दो महीने तक जो निर्धारित मूल्य हैं खाद्यान्नों के, चाहे सरकार को नुकसान भी हो तो भी उस नुकसान को भुगते, लेकिन आप घोषणा से विचलित न हों। सरकार का आश्वासन अगर इस तरह

(श्री लक्ष्मणसिंह)

का है तो कोई थूंक कर थूंक को चाट जाय तो मेरे खयाल में यह सरकार के लिए शोभनीय नहीं है ।

आपने बांध भी बांधे, सिंचाई की व्यवस्था भी की । लेकिन इसके साथ-साथ में इस सदन के अन्दर कई बार कहता आया हूं और अब भी कहूंगा कि परिवार नियोजन के सम्बन्ध में आपने कोई विशेष ठोस कदम नहीं उठाए । आपकी जो कुछ भी उपलब्धियां हैं वे सब व्यर्थ साबित हो जाती हैं जब परिवार नियोजन के सम्बन्ध में मैं विचार करता हूं । यह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जन संख्या इतनी बढ गई है, सभापति महोदय, कि मेरे छोटे से जिले के अन्दर, सारे राजस्थान में जो सबसे छोटा जिला है, चाहे किधर भी जाओ, डूंगरपुर के अन्दर जंगल हैं लेकिन वे जंगल सब शेव ऑफ हो गए हैं । बिलकुल घास नहीं, लकड़ी नहीं । लोगों ने जड़ें उखाड़ उखाड़ करके और गांवों में ले जा करके, मुझे किसी से विरोध नहीं है, पैसे वाले लोगों को वे जड़े भी बेच दीं । अब जब घास नहीं है, जब लकड़ी नहीं है तो मैं क्या देखता हूं कि किधर भी जाओ, आदिवासियों के झोंपड़े नजर आयेंगे । वहां झोंपड़े हैं लेकिन किसी के किवाड़ भी नहीं हैं । एक आदिवासी के घर मैं जब अपने चुनाव के सम्बन्ध में, मेरे चुनाव अभियान के सम्बन्ध में गया, तो एक आदिवासी के घर में दाखिल हुआ तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे घर में किवाड़ नहीं है ' उसने जवाब दिया कि बापजी, किवाड़ रख कर क्या करूं, मेरे घर में क्या है ? न थाली है, न लोटा है, न बकरी है न खाट है । ऐसी परिस्थितियां, आज की समस्याओं को लेकर घटेंगी नहीं, यह बढ़ेगी हीं । सरकार को इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए ।

आपकी योजनाएं जो हैं वे खामी से भरपूर है । आपकी ऑथोरिटीज़ है वह खामी से भरपूर हैं । आपकी इस योजना में मुद्रा स्फीति निहित है । मैं इसका विरोध किए बिना, इसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता । इस सम्बन्ध में मैं, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से स्वराज्य के 21 नवम्बर 1972 के अंक में सेंटीनल का लेख पढ़ कर सुनाऊंगा :

One Union Minister described recently. If people are made to pay three times for foodgrains, five times for sugar, four times for cloth and more than three times for their vegetables.. ..because of the mans employed to finance the fourth plan through deficit financing, with fifth plan of 61,000 crores in the 1974-79 period, sugar may cost as much as Rs. 6 a killo and vegetables Rs. 4 a killo and so on. Do the Planners ever give thought to such consequences.

If prices are high today they are the consequences

(श्री लक्ष्मणसिंह)

of the third and the 4th plan outlays, huge sums of which were spent on unproductive public sector projects. These public sector projects are adding up huge losses. In 5th plan public sector outlay is being fixed at Rs. 30,000 crores plus Rs. 6,000 crores for its continuing programme. By the time of execution of the plan, prices would rise by at least 20% and the total outlay will be further stricted to 60,000 crores. Things will go up to pay turvey. यह कांग्रेस के आपके मंत्री का कथन है।

एक माननीय सदस्य : नाम क्या है ?

श्री लक्ष्मणसिंह : नाम की जरूरत नहीं है। आप मालूम कर सकते हैं। Things will go up to pay turvey. Too much created money chasing too little real growth in production.

इस प्रश्न के अन्दर क्या है? आप यह सब सौदेबाजी विन्डो ड्रेसिंग कर रहे हैं। नोट छाप छाप कर के इन्फ्लेशन कर रहे हैं। आपकी करेन्सी का कोई बैंकिंग नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में विशेष निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार की व्यवस्था के साथ मेरी सहानुभूति है। यह केन्द्रीय विषय है परन्तु आप भी केन्द्र के अविभाज्य अंग है। आपको इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर के केन्द्र को प्रभावित करना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

आज अन्न कहां से आवे ? यह निर्विवाद बात है चाहे आप इसको छिपावें तो भी नहीं छिपा सकते हैं ? आज देश के अन्दर अन्न की कमी है और 25 साल की आजादी के बाद भी यह कमी दूर नहीं हो पाई है, यह एक डेफीनेट, निश्चित और निर्विवाद बात है। अन्न कहां से लावें ? आस्ट्रेलिया हमारा मित्र है लेकिन आस्ट्रेलिया ने कहा है—आज आस्ट्रेलिया में भी दुष्काल है इसलिये उन्होंने भी विवशता प्रकट की है। रशिया भी हमको दे सकता है। वह हमारा मित्र है लेकिन रशिया को भी सीमा है। आज रशिया खाद्यान्न अमेरिका से ले रहा है और मुझे कोई व्यक्तिगत मतलब नहीं है लेकिन एक मित्र देश पी. एल. 480 के अन्तर्गत अगर हम को सहायता भी देता है तो स्वीकार करना चाहिये था। हालांकि उससे हमारा ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। परन्तु यह कोई बात नहीं है। यह राजनीति है। आज का शत्रु कल का दोस्त हो सकता है अगर हम अगर उससे ठीक तौर से बातचीत करें तो मेरे खयाल से कोई बड़ा राष्ट्र अमेरिका कुछ न कुछ सहायता देगा। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को केन्द्र को प्रभावित करना चाहिये, कहना चाहिये कि येन केन प्रकारेण अन्न की पूरी व्यवस्था कर दी जावे।

अब मजदूरी के सम्बन्ध में माननीय अकाल राहत मंत्री जी को यह निवेदन

(श्री लक्ष्मणसिंह)

करूंगा कि गत बार भी मैंने बार बार यहां पर कहा था और यहां पर जो अन्य माननीय सदस्य बैठे हैं, उनके साथ भी मेरी पूर्ण सहानुभूति है, आप बराबर समय पर मजदूरों को मजदूरी नहीं चुकाते हैं। इसके लिये आप बड़े गुनहगार हैं। अगर आप कोई राहत कार्य खोलते है तो इसका अर्थ क्या है? राहत पहुँचाना। अगर राहत पहुँचाने में रेड टेपिज्म होती है, डिले होती है तो डिले डिफिट्स इक्विटी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इससे बढ़कर क्या अत्याचार हो सकता है कि मजदूरी भी समय पर नहीं मिले। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जनता का प्रश्न है, यह किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है। अगर जनता जीयेगी तो कांग्रेस भी जीयेगी और ये जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वे भी जीएंगी। लेकिन अगर जनता ही नहीं रहेगी तो यह जनतन्त्र हवाई घोड़े की तरह उड़ जायेगा और सरकार का भी सिर नीचे हो जायेगा और पैर ऊपर हो जायेंगे। जो कुछ भी हो रहा है उसके सम्बन्ध में मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि हफ्ते में नहीं तो दस दिन में और दस दिन में नहीं तो चौदह दिन में पेमेन्ट कर दीजिये। आप मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पाते हैं और बाज बाज मर्तबा तो यह होता है महीने, बीस दिन तक मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाती है। यह ठीक नहीं है। मैं पुरजोर शब्दों में मंत्री महोदय और राजस्थान सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूं तो आप मजदूरी दीजिये हर महीने की पहली तारीख को, नहीं तो दसवीं तारीख को दीजिये और यह भी नहीं हो सके तो 14 तारीख को जरूर ही मजदूरी दे दीजिये।

हमारा जो पड़ोसी राज्य है, गुजरात वहां पर भी दुष्काल है। वहां पर समाजवादी व्यवस्था का एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आप माननीय सदस्यों में से भी कई माननीय सदस्य जो सत्तारूढ़ दल के हैं वहां पर पधारे होंगे। वहां पर क्या हुआ यह मैं पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो हमने पढ़ लिया है।

श्री गुमानमल लोढा : सुनने का साहस रखें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम महारावल साहब की इज्जत रखते हैं।

श्री **लक्ष्मणसिंह** : माननीय सदस्य प्रद्युम्नसिंह को दही और उसकी कोई कमी नहीं है। भगवान की उनके ऊपर पूरी कृपा है। लेकिन जो समाजवादी व्यवस्था अहमदाबाद के अन्दर उत्पन्न हुई है उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द निवेदन करूंगा। कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिदिन क्या हो रहा था। वहां यह समाजवाद का नंगा नृत्य था। वहां पर प्रतिदिन दही 50 मन, चावल 60 क्विन्टल, गेहूं 60 क्विन्टल, मूंगफली का तेल 150 टीन, डालडा घी 50 टीन, आलू 80 बोरी, हरी सब्जी 130 बोरी और फल केले वगैरह 500 मन।

एक माननीय सदस्य : यह पांच हजार मन होगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह 500 मन ही है। पहले मैं 50 मन बोल रहा था। यह जीभ-चमड़े की है। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। यह 500 मन है। आखिर में एक माननीय सदस्य को भूख तो लगती है और केले में तो फासफोरस होता है। तीन चार तो मैं अब भी ठोक सकता हूं।

श्री जनार्दन सिंह : कानपुर की रिपोर्ट क्या आपके पास नहीं आई है ?

श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, आज राजस्थान की क्या स्थिति है और यहां पर वातावरण क्या है। इस सम्बन्ध में निवेदन कर चुका हूं। मंहगाई गगनचुंबी हो रही है और वातावरण शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग मे, बेरोजगारों में और कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ रहा है। इस सम्बन्ध में विशेष कोई लम्बी चौड़ी बात न कह कर इतना ही कहता हूं कि यह वातावरण क्षुब्ध है और इसका लक्षण शुभ नहीं है। ऐसा नहीं हो कि यह प्रश्न ला एण्ड आर्डर का बन जाये, तंग आयद जंग आयद, भूखे आयद क्या नहीं करता। कानून और व्यवस्था एक ऐसी नाजुक व्यवस्था है कि एक दफा टूटने लगी और जो सरकार का इकबाल है उसमें कमी आने लगी तो फिर उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस समस्या का एकमात्र हल यह है कि आप अनाज मंगवाइये। उसका स्टाक कीजिए। उसकी वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से कीजिए। अब मैं दुष्काल के बारे में अधिक नहीं कहूंगा।

कडाना बांध के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उसका लेविल इतना ऊंचा हो जायेगा कि 5, 6 गांव डूंगरपुर के डूब जायेंगे। वहां अधिकांश गरीब आदमी रहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : वह कर दिया है।

श्री लक्ष्मणसिंह : इसके अलावा मैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड का स्वागत करता हूं। वह एक टेक्निकल बात है वह आप विरोधी पक्ष के प्रमुख सदस्य को स्टेट प्लानिंग बोर्ड में रखते हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन टू मच टाइम डाउन होकर रेड टेपिज्म में नहीं फंसे। यही मेरा निवेदन है।

शिक्षा के बारे में मेरा यह निवेदन है, आपने विस्तार किया है। आपने जो कहा है कि 6 से 17 वर्ष तक के बच्चों का औसत बताया है। 17 वर्ष के 13 प्रतिशत हो बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं इसका कारण यही समझता हूं कि छोटी अवस्था में बच्चों की देख रेख नहीं कर सकते हैं। इसलिए जाते हैं और फिर बड़े होने पर वापिस बुला लेते हैं यह 13/14 कुछ भी हो लेकिन यह आपकी उपलब्धि नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

चिकित्सा के क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में आसपुर तहसील हैडक्वार्टर पर मेडिकल डिसपेंसरी नहीं है।

89

श्री हरिदेव जोशी : अगले साल खुल जायेगी।

श्री लक्ष्मणसिंह : इसके लिए आपको धन्यवाद है।

लोक आयुक्त के बारे में सरकार का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह रास्ता बताने वाले हम ही हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको धन्यवाद है। हम चाहते हैं कि आप भी इसके परव्यू में आयें।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं चाहता हूं कि यह निष्पक्ष रूप से कार्य करे। मैं यह तो नहीं कहता कि इसकी रिकमेण्डेशन को मानने के लिए सरकार बाध्य है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसके निर्णयों की अवहेलना करना अशोभनीय होगा। जैसा कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में किया गया। उड़ीसा, बिहार और मध्यप्रदेश में भी ये हैं। वहां उनको रिपोर्ट्स पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बेरी आयाग की रिपोर्ट पर भी कार्यान्विति नहीं की गई है। उनकी कार्यान्विति होनी चाहिए नहीं तो उनका क्या उद्देश्य रह जायेगा।

आपने विशेष प्रकोष्ठ कायम किये हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। स्पिडिली डिस्पोजल के लिए आपने सेल्स बनाये हैं। खनिज उद्योग, खाद्य, चिकित्सा इनमें कमेटी कायम हों।

इसके साथ साथ सभापति महोदय, मैं कहे बिना नहीं रह सकता, गरीब पेंशनर्स की कोई सुनवाई नहीं होती है। बुढ़ापे में आखिर वह बेचारे क्या करें। मेरा निवेदन है कि एक सेल आप पेंशनर्स के बारे में भी कायम करें।

गेम्स सेंक्च्युअरी के बारे में मुझे प्रतीत होता है कि आप कुछ न कुछ करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, श्रेंचिग को रोकना चाहिए। जब तक आप श्रेंचिग नहीं रोकते हैं तब तक आप चाहे सड़क बनायें या कुछ भी करें, सब बेकार है। जब तक वहां जानवर नहीं होगा तब तक कोई भी पर्यटक नहीं आयेगा। सेंक्च्युरी में जो जानवरों के रहने की जगह है, वहां ओवर ग्रेजिग नहीं होनी चाहिए। एक एक हिस्से में होनी चाहिए। तभी जानवर वहां रह सकेंगे और तभी पर्यटक आयेंगे। इससे देश की जनता को लाभ होगा। वहीं की जनता को भी लाभ होगा। अन्यथा कुछ नहीं होगा।

मैं एक और बात निवेदन करना चाहूंगा, मैं अभी गुजरात में गया था। वहां हमने 5, 6 काठियावाड़ो घोड़ों के स्टड्स देखे। काठियावाड़ी घोड़ों पर विशेष खर्चा भी नहीं होता है। हमारे यहां मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं। रैहल आदि की नस्ल के हैं जो चलने वाले होते थे। उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अगर सरकार इस बारे में विचार रखती है तो मारवाड़ी घोड़ों के लिए स्टड्स खोले जा सकते हैं। उस पर कुछ विशेष खर्चा भी नहीं होगा। सुना है कि कोई ठाकुर साहब बरखाना है। उनको सरकार अनुदान के रूप में मारवाड़ी घोड़ों के ब्रीड के लिए पैसा देती है। इसका स्वागत है लेकिन कोई सरकारी रूप से बनाया जाएगा तो विशेष उपयोगी होगा।

सभापति महोदय, सरकार दुष्काल के सम्बन्ध में जो कुछ करने जा रही है, वह

(श्री लक्ष्मण सिंह)
अपर्याप्त है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैं समर्थन देने में कतई असमर्थ हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, कल से इस सदन में माननीय राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान की आज की परिस्थिति पर जिक्र किया है। साथ ही साथ राजस्थान की उपलब्धियों को भी बताया है। भविष्य में राजस्थान सरकार क्या करने जा रही है, इस ओर भी संकेत है। हमारी विधान सभा का यह अधिवेशन ऐसे समय पर हो रहा है जबकि राजस्थान की जनता अकाल से जूझ रही है। सारा राजस्थान अकालग्रस्त है। 26 जिलों में से 24 जिले अकाल से प्रभावित हैं। राजस्थान की 1 करोड़ 33 लाख जनता अकाल से प्रभावित है। राज्य सरकार इस ओर जागरूक है, प्रयत्न किये जा रहे हैं और जैसा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया गया और जो वास्तविकता है, लगभग साढ़े तीन लाख मजदूर अकाल राहत कार्यों पर कार्य कर रहे हैं। यह सही है, राजस्थान की स्थिति को देखते हुए और अकाल की गम्भीरता को देखते हुए साढ़े तीन लाख मजदूर पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। राजस्थान ने कई बार अकालों का मुकाबला किया है, आजादी से पहले भी, जैसा प्रस्तावक महोदय ने इस सदन में बताया, राजस्थान में अकाल पड़े हैं, आजादी के बाद भी उसने अकालों का सामना किया है, और कठिन से कठिन परिस्थिति आयी उसका भी मुकाबला किया। राजस्थान में आजादी के बाद, कोई यह नहीं कह सकता, भीषण अकाल की स्थिति होते हुए भी कहीं भी एक भी मृत्यु भूख के कारण या प्यास के कारण हुई है। राजस्थान सरकार इस बारे में जो क़दम उठा रही है उससे और बार बार कई जगह हमारे मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा की गई है उससे हमें विश्वास बनता है कि इस बार भी, इस बार का अकाल गत अकालों से कहीं अधिक भयंकर स्थिति का होते हुए भी राजस्थान में सम्भवतः यह स्थिति नहीं आने वाली है जिससे यह कहा जा सके कि भूख से कोई व्यक्ति यहां मरा हो या भविष्य में मर जाय। सही है, आज जो स्थिति चल रही है, अनाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखते हुए आशंका हो सकती है लेकिन वह केवल आशंका मात्र ही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस बात का बराबर प्रयत्न किया है और आगे भी करने वाली है कि अनाज की व्यवस्था यहां पर हो। अनाज की कमी है–इससे मैं इन्कार नहीं करता, न इन्कार किया जा सकता है। भाव बहुत बढ़ गये हैं–यह भी सही है लेकिन दूसरी ओर जहां 4 हजार साढ़े चार हजार के ऊपर सस्ते गल्ले की दुकानें खोलीं, वहां पर अनाज जिस स्थिति में भी पहुँचाया गया, इन्टीरिअर से एन्टीरिअर में भी अनाज पहुंचाया तो उससे हमें इस बात का विश्वास तो बनता है कि सरकार प्रयत्नशील है और वह स्थिति नहीं आ पायेगी जिस स्थिति की कल्पना यहां पर की जा रही है। जनसंघ के माननीय नेता

(श्री हीरालाल देवपुरा)

गुमानमल जी ने अभी यहां पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये, भूख के कारण मृत व्यक्तियों के नाम यहां पर उन्होंने बताये। लेकिन एक भी उदाहरण उसमें ऐसा नहीं बताया गया जिसमें स्वयं वह वहां पर गये हों और उन्होंने उसकी जांच करके सदन में रखी हो। अखबारों के आधार पर उन्होंने कहा या किसी और आधार पर उन्होंने कहा लेकिन जब उनसे यह पूछा गया, आपने भी कहीं दौरा करके इस बात को आंका है, देखा है तो बाड़मेर जिले का उन्होंने जिक्र किया, जालौर जिले का उन्होंने जिक्र किया। अकाल की स्थिति उन्होंने अवश्य बतायी लेकिन वहां पर, जहां कहीं वह गये, कहीं पर ऐसा नहीं बताया कि उन्हें ऐसा उदाहरण मिला हो जिससे निश्चित रूप से कहा जा सके कि भूख के कारण मृत्यु हुई।

सभापति महोदय, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इस बात का निष्कर्ष निकालने के लिए कि अकाल के कारण कितना पर्सेन्ट मौत अधिक हो रही है—यह कोई आंकड़े लाकर हमें दे कि आम तौर पर साधारण समय में प्रति वर्ष यह पर्सेन्टेज मृत्यु आ रहा है और इस वक्त पर्सेन्टेज मृत्यु का इतना बढ़ गया है तो समझ में बात आ सकती है। मैं यह भी कहूंगा, जब कभी अकाल पड़ता है तो मृत्यु का पर्सेन्टेज बढ़ता है—उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अकाल पड़ता है तो अकाल की छाया का असर मनुष्य पर पड़े बिना नहीं रहेगा। आप अनाज दे दीजिये या और कुछ उपलब्ध कर दीजिये लेकिन अकाल अकाल है, जो पूर्ति साधारण समय में हो सकती है वह पूर्ति अकाल के समय में नहीं की जा सकती—इस तथ्य से हमें इन्कार करके नहीं चलना चाहिए। माननीय सदस्य, जो इस सदन में बैठे हैं—चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों मैं उनसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं, अकाल से जूझने की यह समझ कर बैठें कि केवल मात्र सरकार की जिम्मेदारी है, और किसी की जिम्मेदारी नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से हम चुनकर आये हैं उस क्षेत्र के प्रति हम न्याय नहीं कर रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों के प्रति हम सही बात नहीं कर रहे हैं। अकाल का मुकाबला करने के लिए हमें उन लोगों को तैयार करना होगा, हमारी अपनी सेवायें देनी होगी। उस क्षेत्र की जो स्थिति है, उस स्थिति के साथ जो राज्य की स्थिति है, देश की स्थिति वह हम बताये बिना यह कहते चले जायं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, अनाज की कमी है, पानी की कमी है, राहत कार्य पूरे नहीं खोल रहे हैं, जबकि एक तरफ इस इन्तजाम की व्यवस्था की जा रही है, यह प्रयत्न किया जा रहा है कि यह चीजें उपलब्ध कराई जायं, दूसरी तरफ यह वातावरण बनाते चले जायं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, जिस अकाल का मुकाबला हमें करना है उस मुकाबले को करने में हम समर्थ नहीं हो पायेंगे, सफल नहीं हो पायेंगे—यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं इस वक्त कि यह जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार पर नहीं आयेगी बल्कि उन लोगों पर आयेगी जो इस प्रकार का प्रचार करके लोगों को भ्रम में डाल कर, राज्य के प्रति शंका पैदा करके उनके मन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

में अकाल का आतंक और भय पैदा करके उनका मनोबल गिराना चाहते हैं। उनके ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होने वाली बात होगी–यह निश्चित रूप से इस सदन में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

जहां तक अकाल से जूझने का सवाल है, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयत्न की ओर स्पष्ट संकेत किया है। मैं तो राज्यपाल महोदय को इस अवसर पर विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं राज्यपाल महोदय ने अकालग्रस्त क्षेत्रों में स्वयं जाकर स्थिति देखी। न केवल शहरों में जाकर, न केवल जिला हैड क्वार्टर पर जाकर बल्कि इन्टीरिअर में गरीब के घर पर जाकर, गरीबों के बीच में जाकर राज्यपाल महोदय स्थिति को देख रहे हैं, जहां पर अकाल का भयंकर से भयंकर प्रभाव है, असर पड़ा हुआ है, वहां राज्यपाल महोदय उदयपुर जिले में आये। राज्यपाल महोदय ने अकाल की स्थिति उदयपुर में नहीं देखी, अकाल की स्थिति उदयपुर की झील में नहीं देखी, बल्कि कोटड़ा तहसील में वे गये, जो सबसे बैडली अफेक्टेड एरिया है, जिसके बारे में स्वतंत्र पार्टी के नेता ने कहा था, उदयपुर का दक्षिणी हिस्सा सबसे ज्यादा अकालग्रस्त है, सबसे बुरा अकाल प्रभावित एरिया देखने को मिलता है। उदयपुर के दक्षिण भाग में आदिवासियों के बीच जाकर देखे तो मालूम होगा कि अकाल की क्या स्थिति है। राज्यपाल महोदय वहां पर गये...

श्री मनोहरलाल : राज्यपाल महोदय, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने गये।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह आप कह सकते हैं, आप कहिये। मुझे मालूम है राज्यपाल-महोदय अपने फरायज को, अपने कर्तव्य को समझ कर गये। उनका मानव के प्रति लगाव है, इसलिए जिन पर यह दुःख आया है। उनके पास पहुंचे और उन्हें ढाढ़स बंधाने की बात की। वहां की स्थिति को देखने के लिए गये, किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए या राजनैतिक दृष्टि से नहीं गये।

मैं यह कह रहा था कि अकाल की जो स्थिति है–उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। मैं इस समय राज्य सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं, सही है, आप प्रयत्न कर रहे हैं, आप राहत कार्य भी खोल रहे हैं और आम तौर पर जब जब अकाल पड़ा आपने जो कदम उठाये और आगे जो कदम उठाने वाले हैं उससे विश्वास बनता है, आप राहत कार्य भी काफी संख्या में खोल देंगे और लोगों को पैसा भी मिल जायगा। आपने डेढ़ रुपये की जगह रेट भी बढ़ा दी है, तीन भी कर दिये हैं। सवा रुपये की जगह महिलाओं के लिए ढाई रुपये भी कर दिये हैं, बच्चों के लिए एक रुपये की जगह दो रुपये भी कर दिये हैं। यह सही है, आप पैसा उपलब्ध करा देंगे लेकिन वास्तव में जो अनाज की स्थिति है राजस्थान में, उस सम्बन्ध में, सोचना होगा, इस ओर ज्यादा ध्यान लगाना होगा। केन्द्र की स्टडी टीम आयी, मुझे उससे निराशा हुई। उस स्टडी टीम ने राजस्थान की सही तस्वीर केन्द्र के सामने नहीं रखी।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

राजस्थान को सही तस्वीर पत्रकारों के सामने नहीं रखी। पहली बार आयी तब एक तस्वीर केन्द्र के सामने राजस्थान के बारे में बनायी। दूसरी बार आयी तो उसने यह जरूर माना, राजस्थान में अकाल की स्थिति खराब है। लेकिन अनाज की कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयत्न किये जायं, इस सम्बन्ध में यह जरूर कह दिया कि भारत सरकार से इस बारे में बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह अनाज की स्थिति केवल बात करने से पूरी नहीं होगी, हमें सक्रिय होकर इस ओर लगना होगा। अनाज की वास्तव में कमी है। फेअर प्राइस शाप हमने खोली हैं, उन फेअर प्राइस शाप पर अनाज नहीं मिल पाता है। एफ. सी. आई. से अनाज दिलवाते हैं। एफ. सी. आई. गोदामों पर लोग जाते हैं अनाज लेने के लिए, फेअर प्राइस शाप वाले जाते हैं, मार्केटिंग सोसायटी वाले जाते हैं तो समय पर अनाज नहीं मिल पाता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन, वक्त के साथ कोप विद नहीं कर पा रहा है। इसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कमी है यह देखना होगा ताकि समय पर अनाज मिल सके। समय पर जो अनाज आप दे रहे हैं वह सस्ते गल्ले की दुकान पर पहुंच सके, आज अनाज की कमी भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर जब हम देखते हैं तो हमारे देश में मेक्सीमम प्रोडक्शन जो अब तक हुआ है वह 108 मिलियन टन हुआ है और इस साल जो बताया गया है वह है 104 मि. टन। आज केवल कमी है तो 4 मिलियन टन की।

श्री शिवचरण माथुर : 10.8 मिलियन टन। 118 लाख टन।

श्री हीरालाल देवपुरा : आई. एम. सारी तो इतनी कमी नहीं है कि कहा जा सके कि देश में अनाज की कमी है। यह कमी मानव की बनाई हुई कमी है उसकी ओर आपको देखना होगा और कड़े से कड़े कदम आपको उठाने की तैयारी करनी होगी। आज जयपुर और उदयपुर की बाजारों में 150) प्रति, क्विंटल गेहूं जितना चाहे ले सकते हैं। आपको बीज मिल रहे है, भाव बढ़ गए हैं और स्वार्थी लोगों ने भाव बढ़ाए हैं जिन के निहित स्वार्थ हैं, उनके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे तब जाकर अनाज की समस्या पूरी होगी। आप अनाज बाहर से लाने की बात करते हैं, मंगाइये, इन्कार नहीं लेकिन जो देश में अनाज है उसको बाहर नहीं निकलवायेंगे तो विदेशों पर हमारे लिए क्या असर पड़ेगा ? केवल एक साल के अकाल में आज जो प्रोडक्शन को आंकते हैं कि उसी से इतनी कमी हो गई तो भविष्य के लिए जो कठिन से कठिन समय आना है उसके लिए यदि स्टाक बिल्ड-अप करना चाहते हैं तो तैयारी कैसे पूरी होगी ? यह सही है कि राजस्थान में एक आदेश के अनुसार आपने उसको सीमित किया है कि कोई स्टाकिस्ट परटीक्यूलर लिमिट से अधिक अनाज नहीं रख पायगा लेकिन उस आदेश की पालना कितनी हुई? उन पर जब तक आपकी सख्ती नहीं होगी तब तक पालना नहीं होगी। कई बार आदेश निकले हैं लेकिन उनकी पालना नहीं जो अनाज छिपा हुआ है, वह बाहर नहीं आया। जिन अधिकारियों के अ्‌ इम्पलीमेंट करवाना चाहते हैं उनको ठीक करना होगा आज की ब्यूरोक्रेसी, हमने समाजवाद का नारा दिया, उस ओर जिस प्रकार से उसको

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ढालना चाहिए था, वह नहीं ढाल पाई है। गई बार राज्यपाल का अभिभाषण हुआ अब भी मैंने निवेदन किया था कि हमारे अधिकारियों को एक विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनका मन बनाने की आवश्यकता है, वह जमाना अब नहीं आई. सी .एस. की विशेष प्रकार की ट्रेनिंग हुआ करती थी आज के आई. ए. एस. और आर.ए.एस. को समाज निर्माण के आधार पर ट्रेनिंग देनी होगी। जो नीति हम निर्धारित करते हैं उसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए वे उसी हिसाब से तैयारी रखें जिस हिसाब से हम उस नीति का निर्धारण अपने स्तर पर कहते हैं। अगर वह ताल-मेल नहीं बैठा तो जिनके द्वारा इसकी क्रियान्विति करनी है वह असफल हो तो हमारी नीति फेल होगी और उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे। जनता इस बात को नहीं समझती कि गलती किस स्तर पर हो रही है। हमको उन्होंने प्रतिनिधि चुनकर भेजा, 145 का बहुमत देकर सदन में बिठाया तो लोग ये नहीं सोचते कि जो कुछ हो रहा है किसके माध्यम से हो रहा है। अगर अधिकारी गलती करते हैं, नौकरशाही गलती करती है तो उसके परिणाम आप, हम और हमारे दल पर आने वाले हैं। इसलिए यह जो कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं कि किस लेविल पर गलती हो रही है। मन्त्रिमण्डल का मन साफ, माननीय सदस्यों का मन साफ, संगठन का मन साफ, नीति स्पष्ट तो फिर परिणाम कहां और क्यों रुके हुए हैं, इसकी ओर देखना होगा और निश्चित व दृढ़ कदम उठाने होंगे तो सफलता मिलेगी अन्यथा सफलता मिलने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, इसके साथ, अभिभाषण में सरकार के एक निश्चय बताया गया कि अनाज का थोक व्यापार सरकार अगली रबी की फसल से हाथ में लेने वाली है। मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं इसका हामी रहा हूं लेकिन इसके लिए एक बात जरूरी है। आज जो कुछ अनाज का व्यापार हम कर रहे हैं एफ. सी. आई. के माध्यम से, उन कठिनाइयों व गलतियों को देखकर आज से ही उसकी व्यवस्था का इन्तजाम करना चाहिये। यह नहीं सोचना चाहिए कि दो महिने बाकी हैं। थोक व्यापार लेना अच्छी बात है। अगर सही रूप में हम सफल हो गए तो निश्चय ही हम ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसके लिए लोग हमारी सराहना करेंगे और गरीब से गरीब व्यक्ति जिसको आज तकलीफ महसूस हो रही है, वह महसूस नहीं होगी। लेकिन कहीं असफल हो गए, खामियां रह गई, जिन गरीबों को राहत पहुंचानी चाहिए वह नहीं पहुंच पाई तो यही कदम हमारे लिए अभिशाप भी हो सकता है। यह कदम हमने सोच समझकर उठाया है, विचार विमर्श करने के बाद उठाया है, इस कदम को सफल बनाने की जिम्मेदारी हम पर है। सम्बन्धित अधिकारियों का हमें मन बनाना होगा, सख्ती के साथ उनको इस दिशा में मोड़ना होगा। अगर ऐसा किया तो सफलता मिलेगी। ऐसा न हो कि यही कदम हमारे लिए अभिशाप बन जाए।

अकाल के समय जहां पर अन्न की कमी की ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित

(श्री हीरालाल देवपुरा)

किय, जब मैं पानी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप पैसे का इन्तजाम कर लेंगे, अनाज का इन्तजाम भी कर लेंगे लेकिन पानी की समस्या इन्टीरियर में बहुत है। पीने के पानी की समस्या कभी से प्रारम्भ हो गई है। उदयपुर जैसा स्थान जहां पर लोग कहते हैं, कि बहुत पानी है, झीलों की नगरी कहलाती है, वहां पर भी समस्या है, पहाड़ी इलाकों में समस्या है। 100–100 फीट कुंआ गहरा चला गया, पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। उन इलाकों में पानी की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक हो गया। काफी इन्टीरियर ऐसा है जहां पर टैंकर्स और ट्रक्स नहीं जा सकते। केवल मात्र एक आधार है वह है भूमि के अन्दर से पानी निकालने का, कुंए गहरे करके निकालने का, उसके लिए पर्याप्त धन राशि आवश्यक है। इस फैक्टर को नहीं भूलना है। कुंओं को गहरा करने के लिए जो मशीनें आवश्यक हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। उदयपुर जिले में 18 पंचायत समितियां हैं, वहां पानी की समस्या है। कुए गहरा करना अधिकारी भी चाहते हैं, नान-आफीसर्स भी चाहते हैं लेकिन साधन पूरे नहीं मिल पा रहे हैं। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह समस्या भयंकर रूप में आने वाली है फिर लोग कहेंगे कि गंदापानी दे रहे हैं, मालन्यूट्रेशन होगा, उसके कारण मृत्यु होंगी, उसके कारण बीमारियां होंगी। अभी सर्दी का मौसम निकला है, गर्मी में इस प्रकार की बीमारियां अधिक फैलती हैं और उसके कारण जो मृत्यु होंगी वो मृत्यु भी अकाल पर थोपी जायेंगी। आज इसकी वजह काफी लोगों के मरने की गुन्जाइश है अतः राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसका शीघ्र से शीघ्र समाधान हो ऐसे कदम उठाये।

अब मैं कुछ राज्य सरकार का ध्यान अकाल के हमेशा के लिए निराकरण की स्थिति की ओर खींचना चाहता हूं। सभापति महोदय, अकाल की स्थिति के बारे में भी जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है उसमें उल्लेख किया गया है और प्रस्तावक महोदय ने भी अपने प्रस्ताव में कहा है कि यहां पर हर साल अकाल पड़ता है उसके लिए कदम उठाये जाने चाहिये जिससे की इसका हमेशा के लिये हल निकल सके। मैं इस बारे में राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि यह अकाल की स्थिति है यह केलेमिटि यह संकट प्रतिवर्ष का संकट है। यह संकट सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में इसकी केलेमिटि है यह मानकर चलना चाहिये। यह राष्ट्रीय केलेमिटी है। इसके लिये हमें भारत सरकार को बातचीत करनी चाहिये और इस लेवल से कि यह स्टेट की केलेमिटि नहीं है बल्कि नेशनल केलेमिटि है और इसका हमें समाधान करना चाहिये। आज इसके लिये हमारी स्टेट की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि जिससे हम इस समस्या का हल निकाल सकें इसके लिये हमें भारत सरकार से मदद लेनी चाहिये और उसके लिये हमें भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिये जिससे कि इस राष्ट्रीय संकट का हल निकल सके। सभापति महोदय मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इसका कोई परमानेन्ट हल निकाला जाना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि हमारे यहां इस साल को अकाल राहत

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कार्य खोले गये हैं पर जो कार्य खोले गये हैं वह इस प्रकार के काम है कुछ तो ऐसे है जो परमानेन्ट नेचर के हैं कुछ ऐसे काम वहां कराये जा रहे हैं जो परमानेन्ट नेचर के नहीं हैं। आज हालांकि हम परमानेन्ट नेचर के काम करना भी चाहते हैं पर सबसे बड़ी दिक्कत जो राज्य सरकार के सामने आती है वह मैटिरियल कम्पोनेन्ट का अभाव है इसलिये मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कवह ऐसे कार्य अकाल राहत में खोले जो कि परमानेन्ट यूटिलिटी के हो। आज फेमिन रिलीफ के अन्दर जो कार्य चल रहे हैं उसमें हम यही काम कर रहे हैं कि लोगों को मजदूरी मिले लेकिन इस प्रकार का काम नहीं हो रहा है जिससे कि लोगों को परमानेन्ट रिलीफ मिले। पहले भी अकाल के जमाने में काम हुआ था पर वह थोड़े समय के बाद खतम हो गया। सभापति महोदय मैं उदयपुर के क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां पर पहाड़ी इलाका है वहां पर हम छोटे मोटे तालाब बना सकते हैं जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। पहले भी काम किया गया था पर जहां पर परमानेन्ट यूटिलिटी का काम नहीं हुआ तो लोगों ने बाद में कहा कि अकाल में कुछ काम नहीं हुआ और सब पैसा बेकार गया। हम पर फिर लोग चार्ज लगायेंगे कि अकाल के समय में कोई काम नहीं हुआ अतः मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे काम खोले जांय जो कि परमानेन्ट यूटिलिटी के हों। हमें आज उदयपुर डिविजन में जहां कि पहाड़ी इलाका है वहां तालाब बनाकर सिंचाई के काम लेना चाहिये। ताकि वहां के लोगों को इरिगेशन का फायदा हो सके। पहले अकाल के समय इस इलाके के कुछ क्षेत्र में तालाब बनाने चाहे इनसे सभी जगह पूरे काम नहीं हुए पर फिर भी काफी राहत मिली। आज उदयपुर डिविजन में 18 लाख की आबादी में से करीब 15 लाख लोग अकाल से ग्रसित हैं और जो तीन लाख लोग बच गये हैं वे वहीं है सभापति महोदय जहां पिछले अकाल के समय में काम हुआ था। वहां पर तालाब बनाये गये अतः उस ऐरिया के लोग थोड़े राहत में हैं। आज हमें जहां पर कुए से पानी को आने की गुन्जायश हो वहां कुए खोदे जाने चाहिये। आज हमारे इस सदन में बैठकर केवल अकाल के बारे में बातचीत करने से कोई उपलब्धि हांसिल नहीं होगी जब तक कि हम अकाल के लिये कोई परमानेन्ट यूटिलिटी का काम नही करे। जब तक परमानेन्ट यूटिलिटी का काम हम वहां नहीं करेंगे तो फिर वही बात हो जायेगी जैसा कि हमारे ऊपर पहले अकाल के समय हालांकि काम हुआ उस पर भी चार्ज लगाया गया कि अकाल में पैसा बरबाद हो गया। अकाल में पैसा व्यर्थ ही नष्ट हुआ क्योंकि उसमे परमानेन्ट यूटिलिटी के काम नहीं हुए। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि यह चार्ज हम पर वापिस नहीं लगे। इसके साथ साथ मैं कुछ आपसे फोरेस्ट के बारे में भी निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, उदयपुर जिले मे काफी फोरेस्ट थे, घने जंगल थे जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने भी अपने भाषण में कहा था कि जो पहले उदयपुर डिविजन मे घने फोरेस्ट थे सभी काट लिये गये। इससे वर्षा पर भारी असर पड़ा। प्रस्तावक महोदय ने अपने

(श्री हीरालाल देवपुरा)

भाषण में वर्षा का जिक्र किया है उन्होंने कहा कि वर्षा हुई है लेकिन असामयिक होने से अकाल पड़ा है— विशेष कमी नहीं रही। लेकिन सभापति महोदय अगर पुराने आंकड़े देखे तो पता लगेगा कि इन जंगलों के नष्ट होने से हमारे यहां का रेनफाल काफी गिर गया। उदयपुर में जो कि 35 से लेकर 40 इन्च तक रेनफाल होता था वह अब औसत गिर कर सिर्फ 12 से लेकर 15 इन्च तक आ गई है। यह बहुत बड़ा अन्तर है। इसका कारण यह है कि जंगलों से वर्षा होने में सहायता होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो फोरेस्ट बरबाद हो गये हैं उनका एफोरेस्टेशन किये जाय। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि फेमिन रिलीफ के काम में फोरेस्ट का एफोरेस्टेशन करने के काम को प्रायरिटी दी जानी चाहिये। अगर इसके लिये कोई कानून बनाने की जरूरत पड़े तो कानून भी बनाया जाय। मेरी ऐसी मान्यता है कि इसके लिये कानून बनाया जाना चाहिये। आज जो अकाल की बड़ी समस्या बनी हुई है उसे रोकने के लिये हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम इसको प्राथमिकता दें। आज उदयपुर डिवीजन में जहां पर कि जंगल ही जंगल नजर आ रहे थे। पहाड़ जो हरे भरे नजर आते थे वह सभी सूख गये। सभापति महोदय न केवल उदयपुर ही बल्कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये सभी इलाके पूरे भरे थे जो कि आज बरबाद हो गये हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार का इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करता हूं कि वह इसके लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाये। इसके अलावा जो मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज हमारे यहां पर डेजर्ट के डेवलपमेन्ट की बात बहुत कही जाती है। आज राजस्थान में काफी जगह डेजर्ट ही डेजर्ट हो गया है उसके डेवलपमेन्ट को रोकना चाहिये उसके लिये योजना बननी चाहिये लेकिन राजस्थान का दूसरा भाग पहाड़ी है—उसका भी विकास करना आवश्यक है। हमारे उदयपुर डिवीजन की विशेष परिस्थितियां है वह पहाड़ी भाग है वहां पर छोटे-छोटे होल्डिंग्स बहुत हैं। वहां पर औसत लेण्ड का जो होल्डिंग है वह करीब तीन बीघा प्रति परिवार का है। वहां का एरिया काफी हिल्ली है इसलिये आज डेवलप करने की जरूरत है। मैं राज्य का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भारत सरकार ने हिल्ली डेवलमेन्ट जोन बनाया है और हिल एरियाज को डेवलप करने की बात कही है। उसमें केवल हिमालयन एरियाज के डेवलपमेन्ट की बात कही गई है, कश्मीर के डेवलपमेन्ट की बात कही गई है, हिमाचल के डेवलपमेन्ट की बात कही गई है और उत्तरप्रदेश के तरायी एरिया के डेवलपमेन्ट की बात कही गई है। मध्यप्रदेश के विन्ध्याचल की और राजस्थान के अरावली के डेवलपमेन्ट की बात नहीं कही गई है।

मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर जोर दें। हिल सीमा डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के लिये यहां भी एक्सपर्ट बुलाये जाने चाहिये जिससे वह देखे कि इन एरियाज को आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है। इस जमीन से अधिक पैदा किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। किन-किन चीजों की आवश्यकता है। इस ओर ध्यान देना चाहिये। तो मैं

(श्री हीरालाल देवपुरा):

समझता हूं कि इस समस्या से हम जूझ पायेंगे और हमेशा के लिये एक सोल्यूशन निकाल पायेंगे और गरीबी हटाने का जो हमने नारा दिया है सही रूप में उन गरीबों को लाभ पहुंचाने की बात कर सकेंगे।

हिल डेवलपमेन्ट के लिये संभव है देर लगे। उससे पहले राज्य सरकार जो कर सकती है उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सिंचाई की जितनी भी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया और भविष्य में योजनायें शीघ्र पूरी हो उनका भी जिक्र किया। अब तक हमने सिंचाई की दृष्टि से जितने आसान प्रोजेक्ट हो सकते थे, इजी एप्रोच के प्रोजेक्ट हो सकते थे जिससे हम मेक्सीमम युटिलिटी ले सकते थे, लाभ ले सकते थे उनको हमने बनाया और निर्धारित रिटर्न मिलना चाहिये वह मिलने लगा है हमें। लेकिन जिस गरीब को जमीन पर पानी पहुँचाना चाहते हैं उस गरीब के क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाये। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को प्रोजेक्ट का लाभ नहीं मिल पाया जिनके घरों और खेतों में से पानी बह कर जाता है और वे देखते हैं कि कैसी विडम्बना है कि वही पानी दूर जाकर मैदानी इलाकों को पानी देकर लाभ पहुँचाता है। यह देख कर उसके मन में भावना आयी कि इस पानी को क्यों न यहां रोका जाय जिससे वह हमारे खेतों में जाय। उनकी मांग वाजिब है। उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। हमारे टैक्निकल एक्सपर्ट, हमारे इन्जीनियर्स यह कह कर रोकते हैं कि इसके नीचे बांध बन गया है, उसके केचमेन्ट में पानी जाता है इसलिये इसको नहीं रोक सकते। दूसरी दलील यह देखते हैं कि बांध छोटा बनेगा, इसलिये रिटर्न नहीं मिलने वाला है। पर्टीकुलर रिटर्न, आप चाहते हैं वह किसी जमाने में ठीक हो सकता था लेकिन जिस गरीब को उठाने की बात करते हैं और लाभ देने की बात करते हैं उस समय रिटर्न लादना चाहते हैं तो, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उसे लाभ से वंचित करते हैं कि आप उस पर गम्भीरता से विचार करें और रिटर्न की पाबन्दी को आपको हटाना है यदि उसको ऊपर उठाना है तो। उस एरिया में छोटे छोटे एनीकट पिकअप वेयर्स, इन पहाड़ी इलाकों में बनाइये। इसके लिये रिटर्न की कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। उस पानी से उसके खेत हरे भरे होंगे और उसके कुओं का पानी का लेवल भी बढ़ेगा। पिकअप वेयर्स से डाइरैक्ट इरीगेशन होगा एनीकट से कुओं का वाटर लेवल बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और उन गरीबों की स्थिति ठीक हो सकेगी। उनको लाभ मिल सकेगा। उनके खेतों में पानी आवेगा और खेत हरे भरे होंगे। इस ओर मेहरबानी करके आप ध्यान दीजियेगा। यह बहुत ही आवश्यक है। पांचवी योजना के प्रारूप में जो प्रायोरिटीज तय की हैं उसमें उस योजना को निश्चित रूप से लीजिये यदि रिटर्न की पाबन्दी को नहीं हटाया तो उन लोगों को पानी नहीं मिलने वाला है जो कि उनके घरों और खेतों से पानी जाकर बड़े बांधों में मिलता है।

(हीयर हीयर)

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की योजनाओं को हमें हाथ में लेना होगा।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

यहां पर मध्यम श्रेणी की कुछ योजनाओं पर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जाखम प्रोजेक्ट का उल्लेख किया। जाखम प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है यह सिंचाई मंत्रीजी को मालूम है। सदन के माननीय उपनेता बैठे हैं उनको मालूम है किस-किस गति से काम चल रहा है। जाखम प्रोजेक्ट आदिवासी क्षेत्र का प्रोजेक्ट है। इससे पूरा लाभ आदिवासी क्षेत्र को ही मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट को बहुत शीघ्र पूरा कराया जाय। इस प्रोजेक्ट पर कटौती की निगाह पड़ी हुई है। गतवर्ष भी इसका पैसा काटा गया और उसको दूसरे और काम में लिया गया। इस वर्ष भी काट दिया गया और दूसरे काम में लिया गया। इससे हमें संदेह होता है कि यह प्रोजेक्ट पूरा भी होगा या नहीं। इसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाइये। इन्टीरियर भाग में जो आदिवासी लोग हैं उनको इसका लाभ पहुंचने वाला है। यह प्रोजेक्ट हानि देने वाला नहीं है। प्रोफिटेबल है।

इसी प्रकार साई योजना है। जिस तेजी से इसको प्रारम्भ किया गया था उस तेजी से इसको समाप्त करने की ओर तैयारी नहीं है। जिस इलाके से मैं आता हूं इससे उस इलाके को लाभ नहीं मिलने वाला है। इस योजना से पाली डिस्ट्रिक्ट और जोधपुर को लाभ पहुंचने वाला है। जोधपुर को इससे पानी मिलने वाला है। इस ओर जो ढिलाई की जा रही है उस ओर सरकार को सोचना चाहिये। ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने से दोहरा लाभ मिलने वाला है। इससे इरींगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रोब्लम है उसमें लाभ पहुंचने वाला है।

देवास योजना को पहली पंचवर्षीय योजना में पूरा नहीं किया गया और द्वितीय योजना में बन्द कर दिया गया। यह योजना उदयपुर की ड्रिंकिंग वाटर प्रोब्लम को सोल्व करेगी। उदयपुर को इन्डस्ट्रियल काम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, वहां पर काफी इन्डस्ट्रीज बढ़ सकती हैं। काफी पोटेन्शियल है। मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज काफी डेवलप की जा सकती हैं। काफी स्कोप उपलब्ध है लेकिन इन्डस्ट्रीज इस लिए नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि पानी की कमी है। टायर ट्यूब की फैक्टरी को इसीलिये यह कह कर रोका जा रहा है क्योंकि वहां पर पानी नहीं है जो कि इसके लिए होना चाहिये। इस प्रकार उदयपुर के अन्दर डेवलपमेंट को मिटाने के लिए इस योजना को हाथ में लेना चाहिये। इसको थर्ड सेकिंग और थर्ड स्टेज में पूरा करेंगे तो इससे औद्योगिक क्षेत्र तो बढ़ेगा ही उसके साथ साथ झाडोला और कोटडा एरिया जो उसके बेल्ट में आता है उस एरिया को सिंचाई के लिये पानी भी दे सकेंगे।

बहुत बड़े ड्रेन प्रोजेक्ट हैं जिनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रस्तावक महोदय ने जेतपुरा के प्रोजेक्ट की बात कही यह बड़ा प्रोजेक्ट हमीलवाड़ा एरिया में। इससे सिंचाई से उस एरिया को काफी लाभ मिलने वाला है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना चाहिये।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

एक बात इस सम्बन्ध में और कहना चाहूंगा। जयसमन्द उदयपुर डिवीजन की बहुत बड़ी लेक है जिसमे राजा महाराजाओं के टाइम में कोई सिंचाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजादी के बाद जनतन्त्र आया। कांग्रेस की हुकुमत बनी। उस जयसमन्द से 30 हजार एकड़ में पानी देने की योजना बनी और उससे तीस हजार एकड़ पर पानी दिया गया। आज वही जयसमन्द खाली है। इसके लिए फीडर की योजना बनी। जिसका शिलान्यास भी किया जा चुका है लेकिन वह अधर में पड़ी हुई है। उस ओर कोई ध्यान नहीं है। टेक्निकल अफसर और इन्जीनियर्स की राय है कि इसको बहुत कम खर्चे पर पूरा कराया जा सकता है। इसको पूरा कराया जाय जिससे जयसमन्द में पानी आवेगा उससे पूरा रिटर्न भी मिलने वाला है। मैं नहीं समझता कि उस योजना को क्यों खटाई में डाल रखा है और हाथ में नहीं लिया गया है।

मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जयसमन्द फीडर योजना को हाथ में लेकर जयसमन्द में जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षित बेरोजगारों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। इस बारे में राज्यपाल महोदय ने कुछ बातें कहीं छोटे-छोटे उद्योगों में लगाने की बात कही। और भी बातें कहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो बताई गई वह यह है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से काफी स्कूलें खोली गई हैं और इनमें काफी लोगों को रोजगार दिया है और दिया जा सकेगा और भी। अगले साल पांच मील के रेडियस में जो भी प्राइमरी स्कूलें होंगीं उन पर एक मिडिल स्कूल खोल दी जायेगी। इसमें काफी लोगों को अोब्जर्ब कर लिया जावेगा। वर्तमान को देखते हुए यह कदम अच्छा है। पर आप इस तरह की एम्पलोयमेन्ट की पोटेन्शियलिटी तो कितनी भी बढा दें पर इसकी आगे जाकर एक सीमा आ जावेगी जब आपको इनकार करना पड़ेगा।

आज शिक्षा बढ़ रही है। आपने शिक्षा की सहूलियतें बढाई हैं। दोनों प्रकार की शिक्षाओं का। टेकनिकल और नान टैक्नीकल। टैक्नीकल शिक्षा से इन्जीनियर डाक्टर वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। यह आवश्यक भी है। पर इनकी संख्या जब बढ़ जावेगी तो उसको एम्पलोयमेन्ट देने के लिये आप के पास क्या सोल्यूशन है।

हर स्तर पर कहा जाता है कि हमारी शिक्षा की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि कालेज स्कूल से निकलते ही विद्यार्थी काम पर लग सके। अपने आप उसे धन्धा मिल सके। आज यह कहते कहते वर्षों हो गये। मेरा कहना है इसकी भी आप एक सीमा बान्ध दें कि अमुक समय तक यह आमूलचूल परिवर्तन हो जाय। ऐसा करेंगे तभी काम बनेगा। नहीं तो आज शिक्षितों में बेरोजगार शिक्षितों में फ्रस्ट्रेशन आया हुआ है। उस पर उसके बिना काबू पाना मुश्किल हो जावेगा। मुझे विश्वास है राज्य स्तर पर इस पर विचार किया जावेगा, इस ओर ध्यान दिया जावेगा।

मैं दो तीन और भी निर्णयों का स्वागत करता हूं। एक निर्णय भूमि पर सीलिंग

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लगाने का स्वागत करता हूं। यह राजस्थान की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक था और इसके लिए लोगों के प्रति हम कमिटेड भी थे कि हम भूमि की सीमा बान्धेंगे।

पर उपाध्यक्ष महोदय, भूमि पर सीमा बन्दी की बात पहली बार की हो ऐसा नहीं है। काफी अरसे से ये बातें हम करते आ रहे हैं। आज तक उन पर इम्पलीमेन्ट नहीं कर पाये। भूमिहीनों को जिनको भूमि देना जरूरी है सब को हम भूमि नहीं दे पाये हैं फिर भी जो निर्णय हम लें उस पर अमल शीघ्रता से हो यह देखना चाहिये। इस पर बहस होगी बजट के सिलसिले में तब विस्तार से अपने विचार प्रकट करूंगा। इसमें भूमि का जो वर्गीकरण किया गया है। कुछ इलाकों को परटीकुलर लिमिट से आगे की भूमि दी है। कुछ को परटीकुलर लिमिट से कम दी है। इस वर्गीकरण की गहराई में जाना पड़ेगा। यह वर्गीकरण रहेगा तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जो भूमि भूमिहीनों को मिलने की थोड़ी बहुत आशा भी है तो वह भी नष्ट होने-वाली है जो भूमि के स्वामी हैं वे ही उस पर बने रहेंगे। इसलिये कहना चाहता हूं कि इस दृष्टि से इस में परिवर्तन किया जावे। इसे दुबारा ठीक कराया जावे।

लोकआयुक्त की नियुक्ति का मैं स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झांवरमल सूंडा।

श्री झावरमल सूंडा : परसों के लिये रख लें मुझे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्तरात्मा के हामी भूत-पूर्व शिक्षामंत्री द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है धन्यवाद का उसके विरोध में दूसरे भूतपूर्व मंत्री का बोलना थोड़ा कठिन जाता है। यह भूतपूर्व शब्द बड़ा ही कर्कश है। यह अन्त-रात्मा की आवाज कर्कश है। जिन्होंने इ को सुना है वह ठिकाने पर बैठ गया। मैं भी उसी हालत में आया। और ये भूतपूर्व भी आये।

मैं भी इस प्रस्ताव पर धन्यवाद के संबंध में विचार करना चाहता हूं और इसलिये विचार करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने बुजुर्ग होते हुए भी राजस्थान का इतना व्यापक दौरा करके, यात्राएं करके एक विश्वास राजस्थान के लोगों को बन्धाया जगह-जगह। आवाज तो सबकी एक ही रही है उपाध्यक्ष महोदय कि अगर धान नहीं है तो धान लाया जावेगा, पैसा नहीं है तो पैसा लाया जावेगा, इसकी चिन्ता न की जावे। अनाज नहीं है तो अनाज भी आ जावेगा। इसकी भी चिन्ता न की जावे। और राहत कार्यों में विलम्ब हो गया है तो अब वह भी शीघ्र ही खुल जावेंगे। इसकी भी चिन्ता न की जावे। यह हिमालय से चलकर धरातल तक बराबर इस तरह की आवाज चलती रही है कि जैसे एक ही दिशा में चल रही है। पर इसमें एक विशे-षता रही है कि राज्यपाल महोदय की यात्रा ने लोगों के मनोबल को बढ़ाने में कुछ शक्ति दी है। इसलिये इस दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

बाकी अभिभाषण में तो दिवाली के रोज जिस प्रकार से एक सेठ-साहूकार पिछले पहले साल का अपना हिसाब अगले साल में लेता है उस प्रकार की पुनरावृत्ति इसमें है। जो पहले वाले अभिभाषण में कहा है वही इसमें भी दोहराया गया है।

लेकिन इस अभिभाषण में बताये गये बहुत कुछ राहत-कार्यों के खोलने से जनता को राहत मिलने का अन्देशा है। इस तरह से इस अभिभाषण पर वक्ताओं ने बहुत कुछ राहत की सांस ली। मुख्यतः भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री विश्नोई के भाषण ने हमको सम्बल भी दिया। स्पष्टीकरण भी किया और यथार्थ का ज्ञान भी कराया उपाध्यक्ष महोदय।

मैं दो विषयों पर बहुत ज्यादा बोलने वाला था। पर उन की कृपा है कि उन विषयों पर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया जो मैं भी कहने जा रहा था। इसलिए अब मैं उन पर मौन रह जाता हूं। अब उन पर कहने की आवश्यकता नहीं है। इनमें एक विषय है भ्रष्टाचार का। मैं सदन से भी निवेदन करूंगा कि अब इस विषय पर वे अधिक न बोलें। क्योंकि इस विषय पर श्री विश्नोईजी जो बहुत ही अधिकार रखते हैं और गहरा अन्तर का अनुभव भी जिनको है उनकी मान्यता में और हमारी मान्यता में अन्तर नहीं है। 80 प्रतिशत करप्शन वे सरकारी अधिकारियों में और सरकारी तन्त्र में मानते हैं। उनके हिसाब से केवल बीस पर्सेन्ट ही बाकी रहा। अब इसमें मैं दस और बढाना चाहूं तो और बढ़ा सकता हूं, पर यह उचित नहीं होगा। मैं उनकी मान्यता का ही अनुमोदन करता हूं।

दूसरी बात कहनी थी अन्तरात्मा की। प्रस्तावक की अन्तरात्मा में बड़ा अन्तर रहा। विश्नोईजी की अन्तरात्मा निश्चय ही अपनी अन्तर की घुटन निकालना चाहती थी, स्पष्ट सत्यों और तथ्यों का आभास वह देना चाहती थी। आपने कहा वही कहा जो आपकी अन्तरात्मा ने उचित समझा, आपने उचित समझा वही कहा। दूसरी अन्तरात्मा भी भूतपूर्व है पर वह अभी ट्रेजरी बेंचों में बैठी है। सम्भव है उसका फल आगे आभास मिले। इस दृष्टिकोण से उन्होंने दूसरे रूप से इस प्रश्न को रखा।

श्री शिवचरण माथुर : आत्मा की एक ही अभिव्यक्ति हो सकती है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : डाक्टर लिंकन का सिद्धान्त है डेमोक्रेसी के सम्बन्ध में : Government of the people, by the people, for the people.

विश्नोई जी ने इसका रूपान्तर किया—इस सरकार के संदर्भ में गवर्नमेन्ट ऑफ दी सिविल सर्विस, बाई दी सिविल सर्विस एण्ड फार दी सिविल सर्विस। इसके बाद कोई बात जमती नहीं है। हम यह कहें लोक शाह या लोकतन्त्र सशक्त हो गया है, इसके हाथ में शासन आ गया है आपकी मान्यता के बाद हमें कहने का आवश्यकता नहीं पड़ती। यही जनता की भी मान्यता है। इसलिए यह प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय बड़े ही सरल हो जाते हैं और इन पर किसी को कहने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

श्री नाथूलालजी विधायक को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज को आज के समाचार पत्रों में बुलन्द करके जिस विषय पर मैं बोलना चाहता था उसको छीन लिया। उन्होंने कहा है कि अकाल क्षेत्र में आदिवासियों की दुकानों पर अन्न का एक दाना नहीं है। रोजगार और महंगाई के प्रश्न पर भी उन्होंने बहुत ही दर्द प्रकट किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ यह कि जब अभी भाषण हो रहा था, उपाध्यक्ष महोदय! मैं माननीय सदस्यों के मनो विज्ञान का अध्ययन कर रहा था कि दरअसल इस भाषण में कुछ तथ्य भी है या नहीं। अभी ये प्रश्न, जो प्रेरणा दायक है हमको सशक्त करते हैं, हमारी अनुभूति को आगे बढ़ाते है? बहुत कोशिश करता रहा इस अभिभाषण को सुनते रहने की लेकिन मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ आपने भी उनको दाद नहीं दी और आपने इसके समर्थन में ताली नहीं बजाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मनोविज्ञान इस सदन के मानस का यह है कि यह सदन सन्तप्त है। यह सदन उसको अनुमोदन नहीं करना चाहता है और सदन यथार्थ ज्ञान रखता है।

ऐसी स्थिति में जो माननीय सदस्यों ने अभिभाषण पर कहा वह कुछ दब कर कहा। कहीं खुलकर कहा, कहीं साफ कहा। लेकिन आवाज का स्वरूप एक ही रहा है। दरअसल हमारी उपलब्धियां नहीं हैं यह तो मैं नहीं कह सकता हूं आखिर देश आजाद हुआ, अन्धकार दूर हुआ, ''प्रकाश आया और प्रकाश में मंजिल दिखाई दी''। यह प्रश्न दूसरा है कि मंजिल पर कैसे बढ़े—रेंगते हुये बढ़ें या लड़खड़ाते हुये बढ़े। लेकिन हमने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। वे उपलब्धियां जिन पर हमने जनता को विश्वास दिया था कि जनता बहुत आगे बढ़ेगी; वे उपलब्धियां हम प्राप्त नहीं कर सके। फिर भी जितने बढ़े हैं अनायास नहीं बढ़े हैं, कुछ प्रयत्नों पर बढ़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय! इस राजस्थान की स्थिति के सम्बन्ध में अभिभाषण में बहुत कुछ कहा गया है। कहा गया है कि हम करने वाले हैं, किया गया है और कर रहे हैं अभिभाषण को इन तीन भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन मैं सदन के सामने आंकड़े प्रस्तुत कर, उन आंकड़ों के माध्यम राजस्थान की तस्वीर खींचना चाहता हूं कि राजस्थान की स्थिति क्या है और उस संदर्भ में कितना करना चाहिये था और कितना कर सके हैं—यह प्रश्न मैं रखना चाहता हूं।

मैं इस डेजर्ट के सम्बन्ध में, बहुत से माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं कि किस तरह डेजर्ट को समाप्त किया जाय और हमने अभी तक क्या-क्या किया है। माननीय विश्नोईजी ने इस पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है ये डेजर्ट के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 31 लाख की आबादी शिड्यूल ट्राईब्स की है और शिड्यूल कास्ट्स दोनों को है। 16 परसेन्ट ट्राईब्स हैं और 12 परसेन्ट कास्ट्स है इस तरह 28 परसेन्ट दोनों को आबादी होती है। इस सम्बन्ध में मैं समाज शिक्षण संस्थान के

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

निदेशक श्री वेदी का सर्वेक्षण रखना चाहता हूं जिन्होंने सारी परिस्थितियों का सर्वेक्षण करके अपनी मान्यता प्रकट की है। 51-52 से 71-72 तक आर्थिक, सामाजिक उत्थान पर हमारा खर्च 929 पाइन्ट 7 लाख खर्च हुआ है। आर्थिक विकास के लिये 440 लाख खर्च हुआ है, शिक्षा के मद में 388 लाख खर्च हुआ है और स्वास्थ्य व अन्य मदों पर 16, अन्य व्यय पर 70 लाख। इतना व्यय होने के साथ-साथ सरकार के 62 - बड़े-बड़े आदेश इस पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये निकाले हैं।

अब जो उपलब्धियां हुई है वह मैं रखता हूं ताकि उपलब्धियों के संदर्भ में कितना खर्च हुआ और कितनी कम उपलब्धियां हुई है, यह आभास मिल सके। कुछ विभागों व कर्मचारियों की श्रेणी में कितने आदिवासियों को एब्जार्ब किया गया। राजस्थान में 5 परसेन्ट, 11 परसेन्ट शायद आरक्षित है—इनकी जगह के लिये उसमें से 5 परसेन्ट ही एब्जार्ब हो पाये हैं। अब मैं केटेगरीवाईज निवेदन करना चाहता हूं—प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में ये आदिवासी कितने-कितने एब्जार्ब हुये हैं। प्रथम श्रेणी में दो प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में चार प्रतिशत, तृतीय श्रेणी में चार प्रतिशत और चतुर्थ में 12 प्रतिशत हैं तो मैं यह निवेदन कर रहा था यह हमारी उपलब्धियां जो खर्च हुआ है उसके संदर्भ में है जन जाति का प्रश्न है। हम कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गये हैं, उसका आभास इस तुलनात्मक दृष्टि से मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त भू-स्वामित्व के प्रश्न पर जाना चाहता हूं। आजादी के बाद कितनी जमीन इस आदिवासी वर्ग को दी गई, कितनी जमीन इसके पास रही और कितनी आमदनी उस जमीन से प्रत्येक आदिवासी को होती है। यह भी मैं उन्हीं निदेशक श्री वेदी के आधार पर रखना चाहता हूं। आजादी के बाद 5 लाख 81 हजार एकड़ जमीन दी गई। विश्लेषण के आधार पर पांच सदस्यों के परिवार में 3 पाइन्ट 36 एकड़ जमीन इस आदिवासी को मिलती है फिर विश्लेषण मिलता है पानी, खाद और मेहनत बीज और दूसरी तरीके के खर्चों को अगर लें तो आदमी पर 1 पाइन्ट (1.25) यानि एक रुपये के आसपास इन आदिवासियों को मिलती है और रुपया जैसा महारावल साहब ने कहा रुपये की कीमत तीन आना, साढ़े तीन आना यह प्रमाणित होती है। यह मैं अर्ज करना चाहता था कि जमीन कितना मिली? मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि जमीन जो भी मिली और इन आंकड़ों में आई, अगर आप अब सर्वेक्षण करें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के भू-स्वामित्व का तो आपको यथार्थ का ज्ञान होगा, और मुख्यत: अकाल के दिनों में वह जमीन कब्जे में है या नहीं है। इसका सर्वेक्षण करें तो मेरा विश्वास है जो आंकड़े दिये गये हैं वह झुठलाये जा सकते हैं।

आप एक गांव की स्थिति को समझिये जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हो। उसको जमीन मिलती है तो पहले तो जमीन मिलने पर दूसरी जातियों की आंख जमीन पर, उसके बाद महाजन की उस पर आंख और इस अकाल

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

के प्रश्न पर कर्जा देने वाले की उस पर आंख... मेरा यह विश्वास है कि जो जमीन उसको मिली है वह जमीन संतप्तावस्था में, उसकी विषमताओं में दबती हुई चली जा रही है। और उसके कब्जे पर अभी सर्वेक्षण किया जाये तो कब्जे बेनामी साबित होंगे। कब्जा दूसरे का होगा और नाम पर इसके होगी। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आंकड़े झूठे भी हों, सच्चे भी हों लेकिन आप एक सर्वेक्षण करके देखिये कि आदिवासियों के कब्जे में जो आपने जमीन दी थी और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के कब्जे में आपने जमीन दी थी वह जमीन अभी उसके पास कितने परसेन्टेज में है और उससे उसको कोई आमदनी हो रही है या नहीं। यह प्रश्न तो मैंने इस पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में अर्ज किया।

सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान में दस डिस्ट्रिक्ट अकाल के घेरे में हैं जो कुल जन संख्या का 33 परसेन्ट है और एरिया को लें तो 55 परसेन्ट राजस्थान का इज अण्डर डेजर्ट। सर्वेक्षण के हिसाब से हमारे यहां फेमिन दो साल में एक दफा आता है। इस डेजर्ट एरिया में फेमिन का रेकरेन्स दो साल में एक दफा और फ्लड का रेकरेन्स दो और तीन साल में एक दफा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के दुश्मन याने राजस्थान की प्रगति को पीछे लेजाने वाले दुश्मन राजस्थान में तीन हैं—फ्लड, फेमिन और पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग पर जो हम लाखों और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं उसका अपव्यय हो जाता है। करोड़ों रुपया हम इस डेजर्ट पर खर्च करते हैं उसका अपव्यय होता है और डेजर्ट का निराकरण नहीं होता और फ्लड का भी यही हाल है। हमने 711 करोड़ रुपया अभी शायद केन्द्र से मांगा इस फ्लड के संबंध में लोगों को रिहेबिलिटेट करने के संबंध में, वह मिला नहीं है लेकिन फ्लड की स्थिति, डेजर्ट की स्थिति और पिछड़े वर्ग की स्थिति हमारे प्रयत्न करने के बावजूद भी सुधरती नहीं जा रही है। जिसका अर्थ है कि राजस्थान में की उसकी प्रगति की यह तीनों विषमतायें बराबर प्रभावित करती रही हैं और यदि हमने ऐसा कदम नहीं लिया तो यह तीनों स्थितियां शाश्वत रहेंगी और हमारी प्रगति को आगे नहीं बढ़ने देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

अब मैं आपके सम्मुख इसके साथ ही हमारे विकास की तुलनात्मक दृष्टि रखूंगा कि अन्य प्रान्तों की तुलना में हम क्या हैं? बिजली में क्या है, रोड्स में क्या हैं, इरिगेशन और कल्टीवेटेड लेण्ड के सम्बन्ध में हमारी स्थिति दूसरे प्रान्तों की तुलना में क्या है। इस अभिभाषण में जो भी उपलब्धियां बताई हैं वह तुलनात्मक दृष्टि से नहीं बताई हैं। जब हम तुलनात्मक दृष्टि से नहीं रखते हैं तो हमें संतोष हो जाता है कि जो कुछ हम प्रगति कर रहे हैं वह ठीक है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बिजली पर केपिटा कन्जम्पशन 30 किलोवाट जिसका अर्थ है कि हमारा नम्बर 17 प्रान्तों में 14वां है। अब रोड्स को ले लीजिये। पर हन्ड्रेड स्क्वायर किलोमीटर 5 किलोमीटर है, याने हम दूसरे प्रान्तों की तुलना में 13वें हैं। इसी तरह से इरि-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

गेशन के कल्टीवेटेड लेण्ड को लीजिये । 1 करोड़ 50 लाख एकड़ जमीन हमारी कल्टीवेशन में है और इसमें हमारा 11वां नम्बर है अन्य प्रान्तों की तुलना में । इरिगेशन को लीजिये 18 लाख 25 हजार एकड़ हमारी इरिगेशन की जमीन है और अभी इसका परसेन्टेज नहीं निकाला जा सका है । इसलिए मैं इस तुलनात्मक दृष्टि से इस अभिभाषण का तालमेल करना चाहता हूं कि दरअसल हम 17 प्रान्तों में कहां है और क्या स्थिति में हैं और हम कितने नीचे हैं, और नीचे हैं तो हमारा क्या प्रयत्न हो रहा है जिससे हम आगे बढ़ें ।

अब मैं दूसरा प्रश्न सैन्ट्रल इनवेस्टमेन्ट के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं । टोटल इनवेस्टमेन्ट इन दी सेन्ट्रल सेक्टर इज 2.8 परसेन्ट आफ दी टोटल । यह इनवेस्टमेन्ट है और एडवान्सेस मेड बाई दी कमशियल बैंक्स यानी हमारा शेयर कमशियल बैंक में 1 परसेन्ट है और महाराष्ट्र से तुलना करें तो महाराष्ट्र में जहां 30 पर्सेन्ट है वहां हमारा 1 पर्सेन्ट है । वेस्ट बंगाल में जहां 19 पर्सेन्ट है वहां हमारा 1 परसेंट है । जहां तमिलनाडु में 11 परसेंट है वहां हमारा 1 परसेंट । गुजरात का 6 परसेंट और हमारा 1 पर्सेन्ट । तो आर्थिक स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम तुलना में कहां हैं और इस तुलनात्मक दृष्टि से खींच कर आगे बढ़ाने वाला कोई विश्वास इस अभिभाषण में हमको नहीं मिलता है ।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं, मैं गर्व नहीं करता हूं, लेकिन सेंट्रल इन्वेस्टमेन्ट के पॉइन्ट आफ व्यू से निवेदन करना चाहता हूं और निश्चयपूर्वक कहना चाहता हूं कि केन्द्र के समक्ष हम अशक्त हैं, हम निर्बल हैं, हम अकर्मण्य हैं और हम अयोग्य हैं । ऑयल रिफाईनरी, जिसके सम्बन्ध में यहां कई बार घोषणायें की गईं, उसको सवाई माधोपुर से हटा कर मथुरा में एस्टेब्लिश कर दिया गया । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह ऑयल रिफाईनरी यहां स्थापित होती तो हम आशा कर सकते थे कि सेंट्रल इन्वेस्टमेन्ट कुछ बढ़ता । निश्चय ही हम केन्द्र को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं । यह हमारी अकर्मण्यता का द्योतक है ।

मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा था कि राष्ट्र के कर्णधार अगर यह समझें कि इन्वेस्टमेन्ट की यही स्थिति रहेगी और इसी तरह से हमारा और दूसरे प्रान्तों का बैलेंस रहेगा और इसी तरह का ढांचा आगे बढ़ता जाएगा और हम पीछे रहते जायेंगे तो यह मान लीजिए कि यह प्रश्न विषम होता चला जाएगा । अगर राजस्थान पीछे रहता है और महाराष्ट्र आगे बढ़ता है, गुजरात आगे बढ़ता है या दूसरे 16 प्रान्त आगे बढ़ते चले जाते हैं तो यह इन्इक्विटी बढ़ती रहेगी और यह केन्द्र के लिए भी खतरा है । हमारे लिए तो खतरा ही है लेकिन केन्द्र के लिए भी खतरा है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में इस असमानता के लिए, इस असंतुलन के लिए, इस शोषण के खिलाफ कोई पैरवी नहीं की गई है । हमारे राज्य सरकार की शक्ति का आभास और विश्वास हमको इसमें नहीं मिला ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अब हमारी उपलब्धियों के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसके बावजूद कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अतिरिक्त भी मैं कहना चाहता हूं। मैं इसके लिए तो धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, कि उन्होंने एक साहस का कदम उठाया लोक आयुक्त आर्डिनेंस निकाल करके। मंशा तो साफ दिखती है इसमें। भ्रष्टाचार को रोकने की उनकी नियत है। लेकिन लोक आयुक्त का यह आर्डिनेंस किस तरह से अशक्त है इस प्रश्न पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी उपलब्धि है अकाल-अकाल और फ्लड के सम्बन्ध में मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि दूसरे माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। लेकिन एक और उपलब्धि मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का मैंने थोड़े दिन हुए एक भाषण पढ़ा था। साम्प्रदायिक संस्थाओं के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है और दिल खोल करके कहा है। अच्छा लगा हमको भी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े सजग हैं इस सम्बन्ध में कि देश में ऐसी संस्थायें न पनपें। वे जागरुक हैं इस मामले में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर एक विष और उभर कर आ रहा है और दुर्भाग्य का विषय है कि वह विष राजस्थान में इतना व्यापक होता जा रहा है कि जिसकी ओर राजस्थान के राजनेताओं और जन-प्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। मेरा मतलब मुस्लिम लीग से है। मैं अगर मुस्लिम लीग के इतिहास की ओर ध्यान आकर्षित करूं तो बड़ा स्पष्ट है यह। हमारी इन्डिपेंडेंस के साथ, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम में, हमारी लड़ाई में जो योग, इस संस्था का रहा है वह भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसी स्थिति में जिसका इतिहास हमारे राष्ट्र को दो भागों में बांटने का हो, जिसका इतिहास साम्प्रदायिकता के जहर को उगलने का हो और जिसका इतिहास हिन्दू और मुसलमानों में बैर-भाव पैदा करने का हो, जिसका विश्वास राजनीति में प्रवेश करके अपने संगठन के माध्यम से राजनीति को हाथ में लेने का हो, उस संगठन के सम्बन्ध में किसी भी हमारे जन-प्रतिनिधि से, जिसका मतलब मेरा राज्य सरकार से है, एक शब्द भी अभी तक सुनाई नहीं पड़ा। मैं आगाह करना चाहता हूं राज्य सरकार को कि कहीं लगता है कि आपकी ममता इस संगठन के प्रति नहीं हो। संगठन पैदा हो जोधपुर में और जोधपुर से पैदा होकर यह पाली और नागौर और वहां से चलता हुआ कोटा में जड़ें जमा रहा है, जयपुर में जड़ें जमा रहा है, अजमेर में जड़ें जमा रहा है और इसका विष व्यापक रूप से फैल हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे नेतृत्व को अकर्मण्यता है। हमारे नेतृत्व की निर्बलता है कि यह ऐसा संगठन जोधपुर से पैदा हो और जोधपुर से क्यों हो सकता है इस सम्बन्ध में मैं आपको निवेदन नहीं करना चाहता। आखिर कहीं न कहीं कमजोरी है और कमजोरी का हमको परीक्षण करना होगा। इसलिए करना होगा कि मुसलमान की आर्थिक हालत क्या

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है। मुसलमान ठेकेदार ही तो नहीं होते, सरमायेदार ही तो नहीं होते। मुसलमानों में मोची भी होता है, मुसलमान हरिजन भी होता है और मुसलमान एक वर्ग, पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं यह पूछना चाहता हूं, इस पिछड़े हुए वर्ग के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उसकी प्रगति और उसके उत्थान के सम्बन्ध में, उसके अधिकारों के सम्बन्ध में, उसके पिछड़ेपन के सम्बन्ध में क्या किया है? पिछड़े हुए वर्ग को आप सहायता दिया करते हैं लेकिन इस पिछड़े हुए वर्ग की ओर आपकी निगाह क्यों न जा सकी? मेरा विश्वास है कि जिस तरह से हमने पिछड़े वर्ग को विश्वास में लिया, पिछड़े वर्ग के उत्थान के सम्बन्ध में पैसा खर्च किया और इसको प्रगति के पथ पर लाने के लिए कई कार्य किए, यदि इस उपेक्षित वर्ग पर भी ध्यान दिया होता तो यह विष का पौधा जो फैल रहा है, नहीं फैलता। जोधपुर सौभाग्य से हमारे मुख्य मंत्री की जन्म-स्थली और उनकी कर्म-स्थली है। मुख्य मंत्रीजी का यह चुनाव क्षेत्र भी रहा है, जिसमें उनका काफी प्रभाव है। आस-पास के क्षेत्र में प्रभाव है और यह नेतृत्व का भार भी उन्हीं पर है और यह स्थान हमारी सीमाओं से लगा हुआ है। ऐसे स्थान से ऐसे विष का पैदा होकर उभरना, हम समझते हैं कि कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व में कमजोरी है। मुसलमानों के इस संगठन को जन्म देने का प्रयास हमारे दिल में कहीं न कहीं रहा है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि कम से कम मुसलमानों के पिछड़े वर्ग को केवल इस विश्वास से कि तुम हमारे भाई हो, इस विश्वास से साथ लेकर चल सकते हैं। यह कि बंटवारे के बाद यह समाज संत्रस्त रहा है, कुछ आश्रित रहा है, कुछ भयभीत रहा है और भय के कारण ही आपको अब तक सहयोग देता रहा है। लेकिन अब डेमोक्रेसी, हमारा प्रजातन्त्र परिपक्व हो चुका है। उसने विश्वास पैदा किया है कि हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत हो गई हैं। ऐसी अवस्था में मुसलमान जो अभावग्रस्त है, मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है, और मुसलमान जो उपेक्षित रहा है, उन पर ध्यान न जाने के कारण उसका प्रतिफल भोगना पड़ सकता है इस पौधे के रूप में। यह राजस्थान में व्यापक होता जा रहा है। मैं राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर जैसे अन्य साम्प्रदायिक दलों के प्रश्न पर, साम्प्रदायिकता पर आपका ध्यान जाता रहा है, इसके जन्म के प्रश्न पर आपका एक शब्द सुनने को नहीं मिला। इसके विकास के प्रश्न पर, इसके संगठित होते रहने के प्रश्न पर आपने कोई उपाय नहीं सोचा और अब जब यह बेल बहुत ज्यादा बढ़ गई राजस्थान में तब भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप उदासीनता के साथ इसको नजरन्दाज करते जा रहे हैं। मुझे लगता है, शायद सम्भव हो सकता है कि राजनैतिक दल के रूप में यह साम्प्रदायिक दल सामने आए और चुनावों के दिनों से इसके पास कोई दूसरा आप्शन नहीं रहे, अगर गठबंधन करता है तो कांग्रेस के साथ कर सकता है। इस भ्रान्ति में शायद आप उदासीन रहना चाहें···

श्री झाबरमल : केरल में कर रखा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गठबंधन कम्यूनिस्टों से कर सकते हैं, समाजवादियों से कर सकते हैं लेकिन किसी साम्प्रदायिक दल से गठबंधन करें ऐसा विश्वास आपका नहीं है। आपके दिल में यह विश्वास है कि यह संगठित हो जाने पर भी, यह साम्प्रदायिक दल उग्र हो जाने पर भी राजनैतिक स्तर पर इसका हमसे गठबंधन करना आवश्यक होगा। लेकिन यह कितना भयानक होगा? अगर आपकी मान्यता यह है तब भी उस मान्यता को दूर करके कृपया इस वर्ग को आप अपने विश्वास में लेकर इसकी प्रगति की ओर ध्यान देकर, इसके आगे बढ़ाने के माध्यम पर अगर आप निगाह डालें तो मेरा विश्वास है यह जहर राजस्थान में फैलता हुआ बन्द हो सकेगा।

अब मैं लोक आयुक्त के प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, मैंने मुख्य मंत्रीजी को इस पर धन्यवाद भी दिया है, लेकिन आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा अभी कि तमिलनाडु पब्लिकमेन क्रिमिनल मिस कण्डक्ट बिल, 1972 अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके मैन फीचर्स आपके सामने रखूं तो आपका यह जो आर्डिनेंस है लोक आयुक्त का वह उसके सामने कुछ नहीं है। एक आई वाश मालूम होता है और क्यों मालूम होता है इसके कारण हैं--

एक लम्बे अर्से से जो जनता की आकांक्षा थी कि उच्च स्तर पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस भ्रष्टाचार के निराकरण का कोई माध्यम निकलना चाहिए। खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी ने माध्यम निकाला। लेकिन मेरा विश्वास है कि यह अशक्त है। जो इंट्रोड्यूस हुआ है तामिलनाडु में उस बिल के कुछ फीचर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। एन्क्वायरी अगेंस्ट दी चीफ मिनिस्टर, एन्क्वायरी अगेंस्ट दी एम. एल. एमज. और एन्क्वायरी अगेंस्ट दी एम एल सीज का उसमें विशेष प्रावीजन है। यह हमारा लोक आयुक्त का आर्डिनेंस इन तीनों की एन्क्वायरी नहीं करता है। जिसका अर्थ है कि मुख्य मंत्री इसमें नहीं है। जिससे मुख्य मंत्रीजी सशक्त होंगे। मंत्रियों के ऊपर सशक्त होंगे, अधिकारियों पर सशक्त होंगे। मुख्य मंत्री को इस तामिलनाडु के बिल में समान स्तर पर रखते हुए बुलन्दगी के साथ कि करप्शन के खिलाफ भी यहां कार्यवाही की जाने का प्रावधान उसमें रखा गया है।

दूसरा फीचर है–इम्प्रीजनमेंट अप टू सेवन इयर्स एण्ड फाईन। यह इस कमीशन को अधिकार दे दिया गया है। आरोप अगर सिद्ध हो जाय तो सात साल की सजा और फाईन का प्रावधान किया गया है। हमने क्या किया है। हमने यह किया है कि लोक आयुक्त अपने फाईडिंग दे दे। या लोक आयुक्त,उपलोकआयुक्त अपनी फाईडिंग दे कर गवर्नमेंट के पास भेज दे। तीन महीने के बाद भी गवर्नमेंट अगर उन पर डिसीजन न ले तो राज्यपाल के पास भेज दे। राज्यपाल फिर किस पर एक्ट करता है? केबिनेट की एडवाइस पर एक्ट करता है। इसका मतलब है एडवाईज जो दी, सरकार उस पर राज्यपाल को सलाह दे तब वह निर्णय ले सके। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि तामिलनाडु के बिल में जहां कमीशन को सजा देने का प्रावधान दे दिया गया है, कमीशन को सजा देने का

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अधिकार दे दिया गया है वहां हमने उसे सजा देने के अधिकार नहीं दिये, केवल कार्यवाही करने के अधिकार तो इस लोक आयुक्त के आर्डीनेंस में छीना है।

तीसरा फीचर है क्वालिफिकेशन का।

Qualifications of the Commissioner.

इस बारे में उन्होंने कहा है "Judge of the High Court, sitting or retired......

श्री उपाध्यक्ष : समय के सम्बन्ध में। क्या माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक समय बढ़ा दिया जाय। समय बढ़ाया जाता है। (स्वीकृत)

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें यह कहा गया है, क्वालिफिकेशन...

"Judge of the High Court, sitting or retired, or a person qualified to be a High Court Judge"

यह तीन क्वालिफिकेशन रखी हैं। यह तो तकदीर की बात है कि मुख्य मन्त्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं लोक आयुक्त बाहर से लाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को लाऊंगा। लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी है, कहीं पर प्रेस्क्राइब नहीं है। साधारण व्यक्ति को भी यहां बिठा सकते हैं। दूसरे कोरपोरेशन्स में जैसे टिप किया गया है, अलग-अलग चेयरमैन। जनता से निकले हुए लोगों को जैसे टिप किया गया है और जनता के निकाले हुए आदमियों को टिप किया जा रहा है। वैसा इसमें भी किया जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मुख्य मंत्रीजी ने एलान किया है उसके माफिक इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और हाई कोर्ट या जस्टिस आफ सुप्रिम कोर्ट की योग्यता का इसमें निर्धारण होना चाहिए। सिटिंग हो या रिटायर हो। और तीसरा उसमें उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि 5 साल की अवधि में जो चार्जेज फोम दी डेट आफ नालेज आफ कम्पलेन्ट होगी उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। अभी यह आर्डिनेन्स अस्पष्ट है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर तामिलनाडू गवर्नमेंट ज्यादा आगे है हमसे। कमिश्नर को सारे अधिकार दे दिये हैं और लोक आयुक्त को अधिकार देने के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस मसले को अब नये तरीके से तामिलनाडू के संदर्भ में इस लोक आयुक्त के मसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

बाकी यह जो भूख से मरने का प्रश्न है उस पर कई माननीय सदस्यों ने यहां पर कह दिया है। माननीय सदस्यों ने जो इधर से बैठे हैं उन्होंने भी कहा है। आपने जिलाधीशों को आदेश दे दिया है कि कोई भूख से मरेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अतः जिलाधीश बड़े सतर्क हैं। जैसा कि अभी फेमीन मिनिस्टर साहिब ने कहा, मैंने पता लगा लिया है वहां इस नाम का कोई

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

नहीं है। तो क्या जिलाधीश की शामत आई है कि वह किसी को भी भूख से मरना बतायेगा। यह जिलाधीश कभी नहीं लिखेगा। जिलाधीश ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। जहां-जहां पर मरने की जिम्मेदारी आ गई है, जहां कोई भी भूख से मर गया है उसने तहसीलदारों को आदेश दे दिया है, एस.डी. ओज. को आदेश दे दिया है कि कोई भी राजस्थान में भूख से नहीं मरने पायेगा। अब आपने डाक्टरों को भी आदेश दे दिया है कि भूख से आदमी नहीं मरने पाये क्योंकि वह सरकार का अन्न खायेगा। मरेगा तो वह मैल न्यूट्रेशन से मरेगा, अन्डर न्यूट्रेशन से मरेगा और अन्डर न्यूट्रेशन के कारण भयंकर कमजोरी से प्राप्त व्याधियों के कारण उसका असर उस पर पड़ेगा और उससे वह मरेगा। भूख से कोई नहीं मरता है। आमरण अनशन की जो बात हमारे माननीय सदस्य ने कही है, उससे वे नहीं मरेंगे, मरेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर, मैल-न्यूट्रेशन, अन्डर न्यूट्रेशन से मरेगा, और इस सबका क्युमुलेटिव इफेक्ट से उसकी डेथ होगी। उसके मरने का आधार अन्न नहीं है। यह कोई नहीं देखेगा। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह अर्ज कर रहा था और उसको यह आगाह करना चाहता था कि कोई भूख से तो नहीं मरने दिया जायगा और उस भूख का इन्टरप्रिटेशन मैल-न्यूट्रेशन अन्डर न्यूट्रेशन होगा। इसलिये आप कृपा करके जिलाधीश को यह भी आदेश दे दें कि मैल-न्यूट्रेशन, अन्डर न्यूट्रेशन से उनके जिलों के अन्दर कितनी डेथ हो रही है। इस कारण से जो व्यक्ति मरते हों उसकी भी जिलाधीश आपको इत्तिला कर दें। फिर आप देखिये हजारों की संख्या में यह सूची आयेगी बाकी इस तरह से नहीं आयेगी। अनाज के अभाव में जो मक्का मिल रही है वह कैसी है? भूखा आदमी क्या करता है। उसमें बदबू आती है लेकिन फिर भी वह उसको खाता है। हरी घास की रोटी खाने के बजाय वह उसको खाना पसन्द करता है। आज मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि भूख के कारण राजस्थान संतापित है, क्यों संतापित है? राज्यपाल महोदय भी गये हैं। उन्होंने स्थिति को देखा है, उसको देखकर वे व्यग्र हो गये हैं, दयार्द्र हो गये हैं। अगर अनाज पहुंच रहा है तो यह घबराहट क्यों हो गई है। राजस्थान में मनचंदा कमेटी आयी थी, और दुबारा दूसरी कमेटी आई है उसने भीलों की बस्तियों में जाकर देखा है। वे भील लोग चावल के भूसे को उबाल कर खा रहे थे। उन मेम्बरों ने अलग-अलग पैसा करके उस खानदान को डोनेशन दिया और फिर वे उस पर फातिया पढ़ कर चले गये। यह तो आंखों देखा हाल है। जब गांवों में गये तो उनकी आंखों में आंसू आ गये। यह इसलिये कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले वित्तमंत्री जी के बारे में यह समाचार आया था, वे चूरू जिले के दौरे पर थे वहां दौरे में उनके भी आंसू आ गये। हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी ने यह कहा है, भयंकर स्थिति है। इसके बारे में हमारे माननीय सदस्य बार-बार कहते आ रहे हैं कि भयंकर स्थिति है, ऐसी स्थिति है कि लोग अन्न के बजाय जड़ें खाने लग गये हैं। राजस्थान की जनता को ऐसी विकृत हालत में आप थोड़ा अनाज भ रे देंगे तो वह उस को पचा नहीं पायेगी। हजारों की संख्या

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

में मृत्यु हो चुकी है यह कह कर मैं आतंक पैदा नहीं करना चाहता हूं परन्तु यह कहना चाहता हूं कि इसके प्रति आप का जागरूक होना आवश्यक है। इसके साथ-साथ आप पशुधन को नहीं बचा पायेंगे। जिलाधीशों ने आपको लिख दिया है, इस प्रश्न पर वे साफ हैं, हमको कहा है, मैं उन जिलाधीशों का तो यहां पर नाम नहीं लूंगा, परन्तु उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चारे का अभाव रहा है और पशु नहीं बच पायेंगे। इसका कारण है– किसान और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। पशु मरता है तो किसान मरता है। पशु मरता है तो हरित क्रान्ति का अन्त होता है यह क्रान्ति जनता के द्वारा नहीं, आ रहा है क्रान्ति वैसे जनता के द्वारा होती है, परन्तु यह जो हरित क्रान्ति है यह ऊपर से थोपी गई है, और इससे इस हरित क्रान्ति को भी ठेस पहुँचेगी। इसलिये यहां पर यह सुझाव देना चाहता हूं कि हालांकि लकड़ी महंगी हो गई है सांठे का भाव सस्ता है सांठे का भाव लकड़ी के मुकाबले सस्ता है, और हमारे यहां पर लकड़ी का अभाव चल रहा है। घास का अभाव है ही। राजस्थान की स्थिति इस संदर्भ में भयावह है और यह भयावह हुई है हमारी अकर्मण्यता के कारण हम समय पर जगे नहीं हैं और समय पर हमने केन्द्रीय सरकार पर अपना प्रभाव कायम नहीं किया इस प्रकार अनाज के भाव के साथ लकड़ी का भाव भी बढ़ा है। कृपा करके आप इस जनता के लिये लकड़ी का इन्तजाम भी कर दीजिये, ताकि मरने पर काम ले सकें।

एक बात और है। आये दिन अखबारों में छपता है हमारे मुख्य मन्त्रीजी दिल्ली में रहे और वहां पर उन्होंने धरना दे दिया है। मुख्य मन्त्रीजी क्यों कर धरना देंगे। उनका तो वहां पर प्रभाव है। दूसरे दिन समाचार आता है 5 हजार टन अनाज निकलवा लाये। याने पांच दिन में पांच हजार टन, एक दिन का एक हजार टन। यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह राजस्थान के लिए संताप की स्थिति है और आज से हम अगर केन्द्रीय सरकार पर सशक्त होकर दबाव डालें तो हमारे यहां भी धान की कमी नहीं रहेगी। परन्तु हमारे मुख्य मन्त्री का यह बयान निकला है कि अकाल के लिये धन की कमी नहीं रहेगी। धन की कमी महाराष्ट्र में नहीं है। क्या महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने यह बात कही है, गुजरात के मुख्य मन्त्री ने यह बात कही है कि वहां धन की कमी नहीं रहेगी। मैसूर के मुख्य मन्त्री ने कहा कि धन की कमी नहीं रहेगी। परन्तु हमारे यहां पर यह स्लोगन दूसरे स्लोगन के साथ उठा दिया गया है कि धन की कमी नहीं रहेगी। आप महरबानी करके इसको हटा दीजिये। यह प्रलोभन आप मत दीजिये जिन माननीय सदस्यों ने खुल करके अपनी बात को यहां पर कहा है, उनको भी धन्यवाद और जो कहना चाहते हैं उनको भी धन्यवाद। मुख्य मन्त्री को धन्यवाद। मुख्य मन्त्री ने अभिभाषण में जनता को एक सलाम दिया है–जनता राज्यपाल ने। सतश्री अकाल अभिभाषण में कहा है–और अकाल में मर जाये उसके लिये हुकूमत की ओर से राम राम। राज्यपाल महोदय ने यहां आकर जो भाषण दिया है और जनता के लिये जो दर्द और चिन्ता व्यक्त की है वह सरा-

113

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हनीय है। इसलिये मैं राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण पर धन्यवाद के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 21-2-73 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही दिनांक 20-2-73 को सायं 5 बजकर 8 मिनट पर दिनांक 21-2-73 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट-1

(ता. प्र. सं. 25 की सूची)

सूची राजस्व मुकदमात जो फैसल होने बाकी पड़े हैं

परिशिष्ट 'क'

1959	1
1963	4
1964	3
1965	3
1966	18
1967	6
1968	16
1969	23
1970	17
1971	203
1972	883
1973	11
कुल :—	683 मुकदमें

परिशिष्ट 'ख'

1965	8
1966	15
1967	35
1968	50
1969	84
1970	119
1971	203
1972	361
1973	23
कुल :—	901

परिशिष्ट 'ग'

सन्	राजस्व	फौजदारी	कुल
1959	–	–	–
1963	–	–	–
1964	–	–	–
1965	–	2	2
1966	5	7	12
1967	4	15	19
1968	10	28	38
1969	8	42	50
1970	5	85	90
1971	66	198	264
1972	189	155	244
1973	4	13	27
कुल	291	545	836

परिशिष्ट-2

(ता. प्र. सं. 26 की सूची)

वर्ष 1971 स्थिति 1-1-1972

क्र.सं.	जिला	मुख्य चिकित्सालय का नाम व स्थान	रोगी शैयाएं	श्रेणी	स्थान जहां चिकित्सालय है की जन संख्या	जिले की जन संख्या	प्रति एक हजार स्थानीय आबादी पर रोगी शैयाएं
1.	अजमेर	जे. एल. एन. चि. अजमेर	624	I	2,64,291	11,47,729	2.36
2.	अलवर	सा. चि. अलवर	332	I	1,00,378	13,91,162	3.31
3.	बांसवाड़ा	सा.चि. बांसवाड़ा	150	II	27,363	6,54 586	5.48
4.	बाड़मेर	सा. चि. बाड़मेर	75	II	38,630	7,74,805	1.94
5.	भरतपुर	सा. चि. भरतपुर	292	I	69,902	14,90,206	4.19
6.	भीलवाड़ा	मा. गांधी चि. भीलवाड़ा	150	II	82,155	10,64,890	1.83
7.	बीकानेर	पी.बी.एम.एम.चि. बीकानेर	705	I	1,88,518	5,73,149	3.71
8.	बूंदी	सा. चि. बूंदी	77	II	34,492	4,49,021	2.23
9.	चित्तौड़	सा. चि. प्रतापगढ़	65	II	17,402	9,44,981	3.73
10.	चूरू	एस. एम. जे. चि. रतनगढ़	54	II	31,506	8,74,439	1.71
11.	डूंगरपुर	सा.चि. डूंगरपुर	150	II	19,773	5,30,258	7.58
12.	गंगानगर	सा.चि. गंगानगर	180	II	90,042	13,94,011	1.99
13.	जयपुर	सवाई मानसिंह चि. जयपुर	921	I	6,15,258	24,82,385	1.49
14.	जैसलमेर	जे. चि. जैसलमेर	50	II	16,578	1,66,761	3.02
15.	जालौर	सा. चि. जालौर	66	II	15,478	6,67,950	4.26
16.	झालावाड़	एस.आर.जी.चि. झालावाड़	95	II	20,035	6,22,001	4.74

117

1	2	3	4	5	6	7
17.	झुंझुनू	सा.चि. झुंझुनू	70 II	32,024	9,29,230	2.18
18.	जोधपुर	मा. गांधी चि. जोधपुर	674 I	3,17,612	11,52,712	2.12
19.	कोटा	एम. व [illegible]स.चि. कोटा	300 I	2.12,991	11,43,870	1.41
20.	नागौर	सा.चि. नागौर	70 II	36,448	12,62,157	1.92
21.	पाली	बांगड चि. पाली	100 II	49,834	9,70,002	2.01
22.	सवाई माधोपुर	सा.चि. करोली	100 III	27,793	11,93,528	3.59
23.	सीकर	कल्याण चि. सीकर	150 II	70,987	10,42,648	2.11
24.	सिरोही	पुरुष चि. सिरोही	65 iv	18,774	4,23,815	2.93
25.	टोंक	सहादत चि. टोंक	100 II	55,866	6,25,830	1.79
26.	उदयपुर	सा. चि. उदयपुर	600 I	1,61,278	18 0[illegible],680	4.09

परिशिष्ट-3

(ता. प्र. सं. 31 की सूची)

ANNEXURE 'A'

ASSEMBLY —QUESTION No. 106 MOVED BY
SHRI BADRI, PRASAD GUPTA, M.L.A.

S.No.	Name of applicant	Village	Date of deposit of Security amount	Remarks
1	2	3	4	5
1	Shri Richhpal	Bansur	27-1-1973	
2	Shri Nathu Singh	Rampur	15-1-1973	
3	Shri Kudia Ram	—do—	11-1-1973	
4	Shri Bhiwala Ram	Cirudi	4-11-1972	
5	Shri Matadeen	Bhupseda	21-10-1972	
6	Shri Prahlad	—do—	21-10-1972	
7	Shri Prabhati Ram	Chatrapura	30-8-72	
8	Shri Surajmal	—do—	—do—	
9	Shri Hanuman sahai	—do—	—do—	
10	Shri Gyarsi Mali	—do—	—do—	
11	Shri Natha Ram	—do—	—do—	
12	Shri Lal Singh	—do—	11-1-1973	
13	Shri Bagh Singh	—do—	—do—	
14	Shri Balya s/o Ganga Ram	Hamirpur	19-1-1972	
15	Shri Ruda Ram	Shahpur	10.11.1972	
16	Shri Nathuram	Holabas	10.1.1973	
17	Shri Khanga Ram	—do—	31.1.1973	
18	Shri Jag Roop Singh	Chaturpura	23-1-1972	)
19	Shri Sua Lal s/o Onkar	—do—	23-10-1972	)
20	Shri Suja Ram s/o Narsangram	—do—	—do—	) 'L' forms
21	Shri Bedharam s/o Panna	—do—	—do—	) not) received.

1	2	3	4	5
22	Shri Sedu Ram s/o Sheojiram	Chaturpura	23-10-1973	'L' forms not received.
23	Shri Chhitar Dass-Swami	—do—	—do—	
24	Shri Mula Ram s/o Mohan Ram	Holabas	24-1-73	
25	Shri Kanhiya lal s/o Mohan Gurjar	—do—	—do—	

ANNEXURE 'B'

ASSEMBLY QUESTION No. 103 HM MOVED BY SHRI BADRI PRASAD GUPTA, M. L. A.

Name of 6 applicants, who have deposited the amount of security:

S.No.	Name of applicant	Village	Date of security deposit.
1.	Shri Pratap Singh	Rampur	7-4-71
2.	Shri Prabhati Ram	,,	,,
3.	Shri Ami Chand	,,	,,
4.	Shri Mangi Lal	,,	,,
5.	Shri Chunna Ram	,,	,,
6.	Shri Deva Ram	,,	,,

120

परिशिष्ट 4

(ता. प्र. सं. 32 की सूची)

Information regarding localities electrified and wells energised up to September 1972.

ANNEXURE 'A'

S. No.	Name of the locality.	Date of Electrification.	No. of wells energised upto 1972.
1	2	3	4
1.	Kushalgarh	Feb., 1962	12
2.	Partapur	31-3-64	3
3.	Garhi	—do—	10
4.	Banswara	1-10-64	32
5.	Kupada	26-1-66	7
6.	Sundanpur	—do—	11
7.	Talwara	—do—	7
8.	Wajwana	23-2-66	2
9.	Dewaliya	11-1-67	5
10.	Paraoliya	31-3-67	7
11.	Ghantol	1[illegible]-8-67	15
12.	Khumjikapada	30-11-67	2
13.	Tekala	23-11-68	3
14.	Chanduji ka garha	24-1-68	5
15.	Sagwadiya	2-2-68	1
16.	Jantoda	4-2-68	1
17.	Dewada	25-3-68	8
18.	Soorpur	—do—	2
19.	Sanawasa	28-3-68	6
20.	Badaliya	29-3-68	11
21.	Bhilwan	—do—	1

121

1	2	3	4
22.	Chidiyawasa	29-3-68	14
23.	Lodha	26-1-66	—
24.	Jolana	31-3-68	5
25.	Bagidora	1-6-68	3
26.	Thikariya	25-7-68	11
27.	Bhimeorae	8-9-68	1
28.	Bodala	1-12-68	3
29.	Chopasag	1-1-69	1
30.	Bheruda	3-2-69	—
31.	Barodiya	15-3-69	14
32.	Daduka	20-3-69	—
33.	Raiyana	—do—	1
34.	Nogama	21-3-69	11
35.	Nichaleghantala	27-3-69	3
36.	Makod	—do—	2
37.	Nasotiya	20-3-69	4
38.	Tajpur	30-3-69	—
39.	Bori	13-3-70	1
40.	Kheda	—do—	1
41.	Saredi Badi	—do—	5
42.	Chhinch	—do—	2
43.	Borwat	—do—	6
44.	Kheran ka Parda	20-3-70	2
45.	Saliya	—do—	14
46.	Dhani	30-3-70	—
47.	Saliya	—do—	1
48.	Odwara	—do—	—
49.	Dhanpur	—do—	—
50.	Kudua Amri	31-3-70	—
51.	Balawada	—do—	4
52.	Katriya	—do—	2
53.	Saredi Chhoti	—do—	3
54.	Padi Khurd	—do—	1
55.	Mordi Nichli	—do—	2
56.	Padoli Ghordhan	—do—	1
57.	Tamtiya Rathod	—do—	3

1	2	3	4
58.	Malana	31-3-70	—
59.	Odwadiya	8-4-69	1
60.	Padoli Rathod	-do-	1
61.	Odarji ka Pada	20-11-70	6
62.	Sagdod	-do-	7
63.	Dailao Bari	-do-	1
64.	Shaympura	-do-	...
65.	Badgeov	31-1-71	3+1
66.	Runjla	-do-	8
67.	Itawa	31-3-71	7
68.	Sakria	31-1-71	4
69.	Navagawa	-do-	...
70.	Kushalpura	5-2-71	...
71.	Mor	31-3-71	...
72.	Johaniya	-do-	...
73.	„ Mufti	-do-	...
74.	„ Khodan	31-1-71	...
75.	Asan	-do-	...
76.	Nahali	31-3-71	...
77.	Bhimpuri	26-4-71	...
78.	Ganoda	-do-	2
79.	Lohariya	16-8-71	...
80.	Vassi	-do-	1+1
81.	Ora	-do.	1
82.	Padoda	-do-	...
83.	Chandravir Garh	30-9-71	2
84.	Sawania	31-10-71	...
85.	Udaji ka Garh	-do-	...
86.	Baroda	-do-	...
87.	Khamera	-do-	...
88.	Bansla	30-11-71	8+1
89.	Chokhla	-do-	3
90.	Siyapura	30-11-71	10
91.	Chhatrasapur	-do-	...
92.	Navagaon	-do-	...
93.	Anjana	30-11-71	...

1	2	3	4
94.	Arthusa	30-11-71	..
95.	Vakhatpura	-do-	...
96.	Charchira	7-2-72	3
97.	Tamtiya	28-2-72	4+4
98.	Baripadal	31-3-72	4
99.	Gordi	-do-	3
100.	Padikala	-do-	2
101.	Motagao	-do-	..
102.	Vassi Bari	-do-	...
103.	Kushalkot	-do-	..

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

पटवार घरों का निर्माण

श्री लूनाराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिलेवार कितने कितने राजस्व पटवार मंडल हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रत्येक पटवारी द्वारा मंडल वार औसतन प्रति वर्ष कितने भू-राजस्व की वसूली होती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिलेवार कितने कितने पटवार घर बने हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार यह चाहती है कि जिन पटवार मण्डलों में पटवार घर बने हुए नहीं है उन स्थानों में शीघ्र पटवार घर बनाये जायें ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(5) राज्य सरकार को सालाना मकान किरायों की एवज में कुल कितने रुपये तथा जिलेवार कितने कितने रुपये पटवारियों को देने पड़ते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि जो वार्षिक किराया देना पड़ता है, उस राशि से काफी पटवार घरों का निर्माण करवाया जा सकता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 7059 पटवार मण्डल है जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) प्रत्येक पटवारी द्वारा मण्डलवार औसतन प्रति वर्ष कम से कम आठ हजार रुपये एवं अधिकतम 40,000/–रुपये तक की वसूली की जाती है।

(3) जिलेवार पक्के बने हुये पटवार घरों का ब्योरा संलग्न सूची में अंकित हैं।

(4) जी हां। वित्तीय साधनों के अनुसार योजना बद्ध तरीके पर पटवार घर बनाये जा रहे हैं।

(5) राज्य सरकार को सालाना मकान किराया के रूप में पटवारियान को कुल 2,66,119 (दो लाख छियासठ हजार एक सौ उन्नीस रुपये) देने पड़ते हैं, जिसका जिलेवार ब्योरा संलग्न सूची में अंकित हैं।

---

(6) जी नहीं।

125

पटवार मंडलों एवं पटवार घरों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	पटवार मण्डलों की संख्या	बने हुये पटवार घरों की संख्या	पटवारियों को दिये जाने वाले मकान किराये की राशि
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	419	37	20,273।–
2.	अलवर	378	57	9,419।–
3.	बांसवाड़ा	135	36	4,762।–
4.	बाड़मेर	222	44	9,673।–
5.	भरतपुर	574	146	24,793।–
6.	भीलवाड़ा	323	120	13,779।–
7.	बीकानेर	123	47	6,914।–
8.	बूंदी	141	40	3,793।–
9.	चित्तौड़गढ़	315	49	11,682।–
10.	चूरू	221	61	6,959।–
11.	डूंगरपुर	125	24	800।–
12.	गंगानगर	367	56	16,134।–
13.	जयपुर	598	93	26,132।–
14.	जैसलमेर	36	30	1,097।–
15.	जालोर	184	54	6,421।–
16.	झालावाड़	244	28	1,249।–
17.	झुंझुनू	133	36	5,837।–
18.	जोधपुर	228	64	14,146।–
19.	कोटा	318	34	8,786।–
20.	नागौर	317	44	15,222।–
21.	पाली	235	73	9,710।–
22.	सवाईमाधोपुर	410	47	15,656।–
23.	सीकर	174	44	7,807।–
24.	सिरोही	101	60	2,543।–
25.	टोंक	231	44	3,567।–
26.	उदयपुर	507	75	19,365।–
	योग	7,059	1,432	2,66,119।–

लालसोट क्षेत्र के गांवों का विद्युतिकरण

36. श्री मोठालाल (लालसोट): क्या माननीय विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल देहाती क्षेत्र में कृषि प्रयोजनार्थ विद्युत् वितरण के लिये उन्हीं ग्रामों में विद्युत् लाइन देता है जिनकी जिला उत्पादन समिति सिफारिश करती है ?

(2) क्या लालसोट क्षेत्र के ग्रामों में विद्युतिकरण के लिये कोई कार्यवाही की गई है ? क्या जिला उत्पादन समिति की सिफारिश के बिना भी कई ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया है ? यदि ऐसा हुआ है तो क्यों ?

(3) लालसोट क्षेत्र में विद्युतिकरण का काम इतनी ढिलाई से क्यों किया जा रहा है जब कि यह तहसील कृषि उत्पादन में अग्रिम रही है ?

उत्तर

(1) गांवों को बिजली देने के लिये मुख्य आधार प्रस्तावित गांव की विद्यमान उपप्रसारण प्रणाली से निकटता, कृषि सम्बन्धी भार में समृद्धि/प्रचुरता एवं जिला कृषि उत्पादन समिति की सिफारिश हैं। उपयुक्त बातों का ध्यान रखते हुए गांवों का सर्वे किया जाकर स्कीम रिपोर्ट बनाई जाती है। यदि स्कीम आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद एवं तकनीकी दृष्टि से साध्य हो तो धनराशि की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए उसे विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत कर दिया जाता है। स्वीकृति करते समय विभिन्न जिलों में विद्युतिकृत गांवों की संख्या पर भी ध्यान रखा जाता है जिससे क्षेत्रीय असमानता न बढ़े।

(2) जी हां। लालसोट तहसील के 10 ग्रामों में अब तक बिजली पहुँचाई जा चुकी है पहले से खींची हुई लाइन पर पड़ने वाले ग्रामों का भी विद्युतिकरण किया गया है क्योंकि योजना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद थी।

(3) ग्रामों के विद्युतिकरण, धनराशि की उपलब्धि के अनुसार ही किया जा रहा है अतः ढिलाई का प्रश्न ही नहीं उठता।

चक 15 ई. ई. ए. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर में भूमि आवंटन

37. श्री गुरदयालसिंह संधू (करणपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) चक 15 ई. ई. ए. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर में मु: नं 52 व 64 किसके कब्जे में कब से है और जिस नाम से उपरोक्त भूमि आवंटित की गई है क्या उस नाम का आदमी गांव में रहता है? यदि नहीं, तो उस भूमि को कौन काश्त करता है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि श्री हेमराज, भूतपूर्व पटवारी मौके पर काश्त करता है और जिन नामों पर आवंटित है उन नामों का, कोई भी आदमी गंगानगर जिले में नहीं है ?

उत्तर

(क) चक 15 ई. ई. ए. के मुरब्बा नं. 52 में 3 बीघा 1 बिस्वा नहरी व मु. नं. 64 में 17 बीघा 10 बिस्वा बारानी कुल 20 बीघा 11 बिस्वा भूमि श्री तेजासिंह पुत्र मानसिंह को दिनांक 7-12-67 से पुख्ता आवंटित है। श्री मेजरसिंह पुत्र जनरेलसिंह को मु. नं. 52 में 11 बीघा 16 बिस्वा बारानी व 3 बीघा 18 बिस्वा नहरी कुल 15 बीघा 14 बिस्वा दिनांक 7-12-67 से पुख्ता आवंटित है।

(ख) जी नहीं।

इस वर्ष श्री प्रेमसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत साकिन 2 आर. पी. ने काश्त की है।

जी नहीं।

एस. एन. मेडिकल कालेज जोधपुर

38. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि इंडियन मेडिकल कौंसिल द्वारा एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर को रिकग्नाइज न करने के कारण वहां से उत्तीर्ण छात्रों को न तो आगे अध्ययन के लिए राजस्थान के बाहर एडमीशन मिलता है और न नौकरी ?

(2) यदि हां, तो किन कारणों से इंडियन मेडिकल कौंसिल ने एस. एन. मेडिकल कालेज जोधपुर को रिकग्नाइज नहीं किया ? उनकी अन्तिम इन्सपेक्शन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त मेडिकल कालेज के अस्पताल के भवन की नीवें भरने के पश्चात् काम बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(4) उपरोक्त भवन में कितनी रोगी शय्याओं की क्षमता है और इसका निर्माण कब तक पूर्ण होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर को आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता नहीं दी जाने के कारण इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों को राजस्थान से बाहर अध्ययन हेतु अथवा नियुक्ति के लिए सुविधा प्राप्त न होने की कोई सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) मूलतः शिक्षकों की कमी एवं नया ओपीडी भवन निर्माणाधीन होने के कारण। किन्तु गत माह दिसम्बर में शिक्षकों की नियुक्ति की पूर्ति कर दी गई है और निर्माण कार्य जारी है। इण्डियन मेडिकल कौंसिल के इन्सपेक्टर माह दिसम्बर में आये थे और कालेज का इन्सपेक्शन हो चुका है। आशा है कालेज निकट भविष्य में रिकग्नाइज हो जावेगा। कौंसिल के अन्तिम आदेश की प्रतीक्षा है।

(3) जी नहीं। कार्य जारी है।

(श्री स्वास्थ्य मन्त्री)

(4) इस मेडिकल कालेज के अस्पताल भवन की क्षमता 1000 शय्याओं की रखी गई थी। लेकिन महात्मा गांधी अस्पताल व उम्मेद अस्पताल में मौजूदा शैय्याओं की संख्या एवं वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए इस अस्पताल को मौजूदा शैय्याओं की 1000 से उचित मात्रा में कम करते हुए नये प्रस्तावों पर विचार हो रहा है ताकि इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जा सके।

भारत-पाक युद्ध में महावीर चक्र एवं वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को सहायता

39. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध में राज्य के किन-किन सैनिकों को कब कब महावीर चक्र, वीर चक्र आदि चक्र प्रदान किये गये? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन सैनिकों की राज्य सरकार द्वारा कब-कब क्या-क्या सहायता एवं सुविधा प्रदान की गई है? एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध में जिन-जिन सैनिकों को महावीर चक्र, वीर चक्र प्रदान किये गये उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। यह चक्र कब-कब प्रदान किये गये-यह सूचना भारत सरकार अथवा सैनिक उच्च अधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई है। इसको शीघ्र भेजने के लिए उनसे पत्र व्यवहार जारी है। अतः यह ब्यौरा प्रस्तुत करने में फिलहाल असमर्थता है।

(2) इन सैनिकों को सहायता एवं सुविधा दिये जाने सम्बन्धी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

बाड़मेर जिले में औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन

40. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में सहकारिता के आधार पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक कितनी औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उन औद्योगिक समितियों में से कितना सफल रही और कितनी असफल रहीं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त समितियों की असफलता के क्या कारण रहे हैं? प्रत्येक समिति का अलग से विवरण देने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इन असफलताओं का मुख्य कारण सहकारिता विभाग

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
और उद्योग विभाग के सहयोग की भारी कमी है ?

(5) क्या राज्य सरकार उन कारणों को जिनके कारण उक्त समितियां असफल रही हैं मिटाने के लिये गंभीरता से सोच रही है ? यदि हां तो राज्य सरकार इसके लिए क्या विशेष कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 162 औद्योगिक समितियों का गठन किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची के कालम नं. 3 में अंकित कर दिया गया है।

(3) सूची के कालम नं. 4 में अंकित कर दिया है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां, समितियों का सर्वे करवाया गया है जिसके अनुसार समितियों को पुनर्जीवित करने, विलीनीकरण करने अथवा अवसायन में लाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखदी गई)

द्वितीय ग्रेड के कम्पाउण्डरों को फर्स्ट ग्रेड में क्रमोन्नत कर अस्पतालों में लगाना।

41. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहायक सचिव चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के पत्र क्रमांक एफ. 4।685।64।ग्रुप (2) दिनांक 8–1–71 के द्वारा 13 जिला अस्पतालों में द्वितीय ग्रेड के कम्पाउन्डरों को फर्स्ट ग्रेड में क्रमोन्नत किया था ? यदि हां, तो उन 13 जिला अस्पतालों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अस्पतालों में चूरू अस्पताल भी शामिल है ? यदि हां, तो क्या इस अस्पताल में प्रथम श्रेणी का कम्पाउन्डर भिजवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि प्रथम श्रेणी कम्पाउन्डर अभी तक रतनगढ़ अस्पताल में ही लगा रखा है ? यदि हां, तो इसे चूरू अस्पताल में न बदलने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। प्रथम श्रेणी कम्पाउन्डर दिनांक 23–10–72 से कार्यरत है।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

13 जिला अस्पतालों में द्वितीय ग्रेड के कम्पाउन्डरों को फर्स्ट ग्रेड में क्रमोन्नत किये गये जिला अस्पतालों की सूची :—

1. जिला अस्पताल नागौर
2. „ „ डूंगरपुर
3. „ „ पाली
4. „ „ सीकर
5. „ „ बांसवाड़ा
6. „ „ बाड़मेर
7. „ „ चित्तौड़गढ़
8. „ „ जालौर
9. „ „ झुन्झुनू
10. „ „ सवाई माधोपुर
11. „ „ सिरोही
12. „ „ जैसलमेर
13. „ „ चूरू

———

परिशिष्ट 6

(ता. प्र. सं. 24 की सूची)

सूची – क

तारांकित प्रश्न संख्या 48 स्वा. मं.

क.सं.	नाम कार्य	वर्तमान मजदूर संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	बसे ग्राम्बा रोड	76	
2.	जवानपुरा रघुनाथपुरा रोड	16,	
3.	कपासन सुरपुर रोड	32	
4.	भूपालसागर गुन्दली रोड	निल	पत्थर एवं गिट्टी डाल दी गई है।
5.	रावतभाटा जावदा रोड	,,	पत्थर डाले गए हैं।
6.	राशनी नेवरिया रोड	75	
7.	दलोट सालमगढ़ रोड	80	
8.	छोटी सादड़ी से गड़रा रोड	--	कार्य पूरा कर दिया गया।
9.	डोरिया बिनोता रोड	50	
10.	भदेसर खोड़ीप रोड	--	पत्थर एवं गिट्टी डाल दी। रोलर मिलते ही कुटाई की जावेगी।
11.	राती मगरी सांगेसरा रोड	27	
12.	डूगला बोहेड़ा रोड	23	
13.	बरोठा बसेरा रोड	--	मजदूर कार्य पर नहीं आ रहे।
14.	मावलिया मदेसर रोड	67	
15.	निम्बाहेड़ा केली रोड	95	
16.	देगूं से चेची रोड	46	
17.	बैगूं से नन्दवाई रोड	[illegible]	
18.	चित्तौड़गढ़ गिलुण्ड घटियावली रोड	83	

1	2	3	4
19.	गोमूण्डी पाल सादी अमरपुरा-रोड	29	
20.	राशमी गंगापुर वाया मात्रीकुण्डिया	—	कार्य समाप्त कर दिया ।
21.	बान्सी घरियावद रोड	65	
22.	शम्भुपुरा-गिलुन्ड-पटियावलो रोड	,,	
23.	छोटी सादड़ी भंवर माता रोड	45	
24.	पान्डोली घोसुन्डा रोड	34	
25.	निम्बाहेड़ा, लांगज़ रोड	72	

परिशिष्ट 7

(अ. ता. प्र. सं. 16 की सूची)

गंगनहर से पिछले पांच वर्षों में कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए काम में आने वाले पानी की मात्रा और उससे होने वाली आय।

वर्ष	काम में आये पानी की मात्रा एकड़ फीट में			अनुमानित आय		
	कृषि कार्य	अन्य कार्य	योग	कृषि	अन्य काय	योग
1967–68	1418058	9800	1427858	5322801	53663	5374464
1968–69	1344726	9800	1354526	5109823	72651	5182474
1969–70	1229680	9800	1239480	5036088	146437	5182525
1970–71	1169514	9800	1179314	4936816	125215	5062031
1971–72	1202028	9800	1211828	6390645	117880	650825

परिशिष्ट -8

(अता. प्र. सं. 17 की सूची)

सूची तहसील चाकसू के अतिक्रमण के नियमन के मामले को जो विचाराधीन हैं।

क्रम सं.	मिसल नं.	नाम अतिक्रमी	ग्राम	ख. नं.	रकबा
1.	213	श्री भूरा पुत्र काना खटीक	चाकसू	834	9।।।)

परिशिष्ट 9

(अ. ता. प्र. सं. 19 की सूची)

फहरिस्त मण्डी एरिया रकबा हनुमानगढ़ टाउन चक 15 एच. एम. एच.

क्र.सं.	नाम आसामी	कुल रकबा	कब से कब्जे में है
1.	हरबन्ससिंह पुत्र अमरसिंह कोम जट सिख सा. हनुमानगढ़	6) बीघा	ये भूमि के मालिक थे लेकिन इनकी जमीन भूमि अवाप्ति में ले ली गई। लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया।
2.	प्रभुदयाल वल्द दौलतराम अरोड़ा सा. हनुमानगढ़	6) बीघा	
3.	नन्दु वल्द सुरजा कौम धानका	6) बीघा	
4.	पिरुराम वल्द गोरुराम कोम खटीक सा. हनुमानगढ़	51) बीघा	ये 1970-71 के अतिक्रमणी हैं। इनके ऊपर तावाना लगाने की तथा खाली कराने की कार्यवाही जारी है।
5.	शेर मोहम्मद वल्द फिरोज खां	4) बीघा	
6.	जरनेलसिंह – करनेलसिंह पिता लालसिंह हनुमानगढ़ कौम जट सिख	6) बीघा	
7.	चेतराम वल्द रामलाल कोम अरोड़ा साकिन हनुमानगढ़	20) बीघा	
8.	भगवानाराम वल्द नरजूराम ब्राह्मण सा. हनुमानगढ़	1811) 4 बीघा	ये भूमि के मालिक थे लेकिन इनकी जमीन भूमि अवाप्ति में ले ली गई लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया।
9.	रुकना वल्द सुन्दर कोम चुहड़ा सा. हनुमानगढ़	9) बीघा	
10.	सुखदेवाराम वल्द तिलकाराम साकिन हनुमानगढ़	13) बीघा	

परिशिष्ट 10

(अता॰ प्र. सं. 20 की सूची)

देवस्थान विभाग में नियुक्त वकीलों का ब्योरा

नाम	वेतन	समयावधि
1. श्री भवानी शंकर उपाध्याय उदयपुर हैड आफिस	400।– माहवार	28 फरवरी, 1973 तक।
2. श्री रविशंकर एडवोकेट, उदयपुर	100।– माहवार	1966 से जब तक कार्य सन्तोषजनक रहे।
3. श्रीमती तारा एडवोकेट, जयपुर	150।– माहवार	5–12–72 से 6 मास के लिये।
4. विष्णुदत्त एडवोकेट, जयपुर।	मुकदमेवार फीस पर	7–5–70 से 3 वर्ष के लिये।

137

शुद्धि-पत्र

(दिनांक 20 फरवरी, 1973)

	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
	2	3	4
	नीचे से 11	फांस्फेट	फांस्फेट
	ऊपर से 3	ब्लॉम	ब्लाक
	नीचे से 6	की है	के हैं
	,, 5	कोस्ट	का़स्ट
7.	ऊपर से 3	देखा	दे रखा
	,, 18	कान्ट्रैक्टर्स	कान्ट्रैक्टर्स
9.	,, 15	बण्ध	बन्ध
	,, 19	करें	करेंगे
10.	,, 7	(जी रामचन्द्र चौधरी)	(श्री रामचन्द्र चौधरी)
	,, 17	द्वार	द्वारा
	नीचे से 1	सारा	सारे
11.	,, 13	हैरेसमेन्ट	हेरेसमेन्ट
	,, 5	प्लांट	प्लाट
12.	,, 12	हो	तो
13.	,, 13	आरबिट्रेटी	आरबिट्रेरी
14.	,, 5	श्री जयकिशनलाल	श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा
14.	,, 8	भ्रष्टाचार	अधिकारी
15.	,, 9	नीमज	नीमच
	,, 8	डाफन	डाकन
20.	,, 8	संख्या है।	संख्या है उससे
	,, 3	शैयाएं ज्यों की	शैयाएं बढ़ाई थी वे ज्यों की
48.	,, 1	स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था	—
52.	ऊपर से 12	होने कारण	होने के कारण
64.	नीचे से 17	चाहता	चाहूंगा
	ऊपर से शीर्ष	स्थगन प्रस्तावों पर-	सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
		20 फरवरी, 73- अध्यक्षीय व्यवस्था	—

138

2

1	2	3	4
69	ऊपर से शीर्ष	अध्यक्षीय व्यवस्था	शासकीय वक्तव्य
90	नीचे से 9	मानवीय	माननीय
99	ऊपर से 9	रोका	रोकना
131	ऊपर से 6	हूँ	हूँ
	„ 7	खनकी	उनकी
142	„ 6	के	से
146	नीचे से 4	कई सदस्य	कई माननीय सदस्य
153	„ 10	श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय	श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय
166	ऊपर से 10	सकता कि	सकता हूं कि
172	नीचे से 12	mans	means
	„ 6	killo	kilo
173	„ 17	Stricted	Restricted
193	„ 12	कवह ऐसे कार्य	ऐसे कार्य
195	ऊपर से 15	किये	किया
200	नीचे से 15	अन्दर	अण्डर
	नीचे से 13	लेन	लेना
	„ 7	बड़े डेव	बड़े बड़े
201	ऊपर से 1	श्री हीरालाल देवपुप	श्री हीरालाल देवपुरा
204	„ 6	कठिन जाता है	कठिन हो जाता है
207	„ 11	हूं यह कि	हूं कि
220	„ 5	एमज	एज
223	„ 1	श्री निरंजननाथ आचार्य	श्री निरंजन नाथ आचार्य
239	„ 2	समयभाव के कारण न लिए जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर	समयाभाव के कारण सदन में न लिए गए तारा[illegible] प्रश्नोत्तर